

## अध्याय - II

### 2 सरकारी कंपनियों के निष्पादन लेखापरीक्षा

#### 2.1 तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का कार्यकलाप

##### कार्यकारी सारांश

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नवम्बर 1987 में स्थापित तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (कंपनी) एक ऊर्जा उत्पादक कंपनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य तापीय शक्ति स्टेशन का निर्माण, उत्पादन एवं इसका रखरखाव एवं उत्पादित शक्ति की बिक्री लाईसेंसधारियों/व्यवसायियों तथा अन्य एजेन्सियों को करना है। कंपनी का अपना तापीय शक्ति स्टेशन 420 मेगावाट (210 मेगावाट x 2 इकाई) तेनुघाट तापीय शक्ति स्टेशन (टीटीपीएस) है जो बोकारो जिला के ललपनिया में अवस्थित है। कंपनी के परफॉर्मन्स लेखापरीक्षा में इसके वित्त एवं दक्ष परिचालन को प्रभावित करने वाली बहुगुणित एवं चिरकालिक कमियों का उदभेदन हुआ है। कंपनी विवादित स्वामित्व, कमजोर प्रबंधन, वित्त की कमी, त्रुटिपूर्ण नियोजन, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और अधिकतर स्टेकहोल्डरों के उदासीन रवैया जैसी व्याधियों से ग्रस्त है जो इस रिपोर्ट में दर्शायी गयी हैं।

##### कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य

प्रारंभ से ही खराब कार्य-प्रदर्शन की वजह से 31 मार्च 2016 तक कंपनी का संचित घाटा ₹ 824.53 करोड़ था। खराब प्रदर्शन के मुख्य कारण थे: (क) इन्सटॉल्ड क्षमता के विरुद्ध प्रोजेक्टेड आउटपुट (प्लांट लोड फैक्टर) हासिल करने में विफलता, (ख) अधिकतम उपलब्ध घंटों (प्लांट एवलेबिलिटी फैक्टर) के विरुद्ध निम्नतर वास्तविक कार्य घंटे, (ग) शक्ति की अत्यधिक ऑक्सीलियरी खपत, (घ) कोयला एवं तेल की अत्यधिक खपत इत्यादि।

2011-12 में कंपनी ने ऊर्जा की बिक्री से ₹ 0.02 प्रति इकाई लाभ कमाया जो 2012-13 में बढ़कर ₹ 0.33 प्रति यूनिट हो गया; क्योंकि उस वर्ष विद्युत का उच्चतम उत्पादन हासिल किया गया। यद्यपि, वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान ऊर्जा की बिक्री से उसे क्रमशः ₹ 0.66, ₹ 0.07 और ₹ 0.86 प्रति यूनिट का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा मुख्यतः ऋणों पर दण्डात्मक ब्याज के प्रावधानों में वृद्धि, अप्राप्त ऊर्जा बकाया तथा मूल्यहास इत्यादि से संबंधित पूर्वावधिक समायोजन हेतु प्रावधानों के कारण हुआ।

(कंडिका 2.1.8.2 एवं 2.1.8.3)

##### वार्षिक लेखों का अंतिमीकरण

वर्ष 1994-95 से 2010-11 के लिए कंपनी के वार्षिक लेखों का अंतिमीकरण विलम्ब से 2011-12 से 2015-16 में किया गया। यद्यपि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के वार्षिक लेखों का अंतिमीकरण दिसम्बर 2016 तक भी नहीं किया गया है। लेखों के अंतिमीकरण में विफलता का मुख्य कारण कंपनी के स्वामित्व को लेकर झारखण्ड सरकार और बिहार सरकार के बीच उठा विवाद रहा। लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब

से कंपनी अधिनियम नियम, 1956/2013 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ और इससे कंपनी को किसी चूक/धोखाधड़ी का पता लगाने/रोकथाम करने में कठिनाई हुई।

(कंडिका 2.1.8.1)

### वित्तीय प्रबंधन

राज्य सरकार ने उत्पादक और वितरक (जेयूवीएनएल) को एक साथ लाने के लिए एक सामान्य मंच तैयार करने और ₹ 3082.72 करोड़ की बकाया राशि से उत्पन्न भुगतान संबंधी विवाद को हल करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण के पुनर्भुगतान में चूक हुई तथा परिहार्य दण्डात्मक ब्याज एवं कंपनी के घाटे का संचयन हुआ। साथ ही विद्यमान अनुबंध के प्रावधानों के प्रयोग में अनावश्यक संयम के परिणामस्वरूप बिक्री राजस्व की उगाही में अत्यधिक विलंब हुआ जिसके फलस्वरूप सरकारी ऋण (₹ 665.89 करोड़) पर ब्याज के भुगतान की स्थिति दयनीय रही और बकाया ब्याज की रकम ₹ 2181.79 करोड़ तक पहुँच गयी। आगे, भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार के द्वारा मॉडल एम.ओ.यू जारी किया गया है जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन की निगरानी करना है। हालांकि, झारखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस प्रकार का कोई एम.ओ.यू इस कंपनी के साथ नहीं अपनाया है। परिणामस्वरूप झारखण्ड सरकार कंपनी के परिचालन एवं वित्त संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण एवं उसके प्रदर्शन की निगरानी नहीं कर सकी जिससे कि उसकी वित्तीय स्थिति एवं लाभप्रदता को सुधारा जा सके।

उपलब्ध अवसरों के बावजूद कंपनी अपनी बिक्री का विस्तार (50 मेगावाट) दूसरों तक करने के अवसर का उपयोग करने में भी असफल रही।

(कंडिका 2.1.7.2, 2.1.8.2, 2.1.8.6 एवं 2.1.8.7)

### प्लांट लोड फैक्टर

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) द्वारा निर्धारित 85 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2011-12 से 2015-16 के मध्य की अवधि में कंपनी का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) मात्र 61.32 प्रतिशत और 79.42 प्रतिशत के बीच रहा। परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान ₹ 870.78 करोड़ मूल्य की 2809.48 एम.यू बिजली उत्पादन का नुकसान हुआ। ऊर्जा निकासी प्रणाली में अवरोध की वजह से संयंत्र की बंदी, गतकालिक मशीन, निवारक एवं नियमित अनुरक्षण का अभाव और संयंत्र में निम्न कोटि के कोयले का प्रयोग निम्न पीएलएफ के कारण थे।

निम्न पीएलएफ की वजह से कंपनी को वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ा; क्योंकि टैरिफ की गणना प्रतिवर्ष अभिकलित वास्तविक पीएलएफ की जगह 85 प्रतिशत पीएलएफ को ध्यान में रखते हुए की जाती थी। इस तरह 85 प्रतिशत पीएलएफ की जगह 71.46 प्रतिशत वास्तविक पीएलएफ के आधार पर गणना किये गये टैरिफ

मूल्य की तुलना में कंपनी को वर्ष 2015-16 में उत्पादित 2385.86 एमयू ऊर्जा पर ₹ 0.446 प्रति इकाई का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

2015-16 में वास्तविक नुकसान और भी ज्यादा होकर 0.86 प्रति इकाई तक पहुँच गया। यह भी देखा गया कि कंपनी जेएसईआरसी को इस बात की जानकारी देने में असफल रही कि 85 प्रतिशत पीएलएफ कहीं ऊँची है और वह उसे हासिल करने में कभी भी सक्षम नहीं हुई है। वर्ष 2011-12 से लेखे के अंतिमीकरण में विफल रहने का तात्पर्य यह था कि टैरिफ का निर्धारण करते समय जेएसईआरसी द्वारा डेब्ट सर्विसिंग की उच्चतर लागत (ऋण पर उच्चतर दंडात्मक ब्याज) एवं पूर्वाधिक समायोजन आदि पर विचार नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.9.1)

#### **सहायक ऊर्जा खपत (एपीसी)**

मशीनों के पुराना होने, मशीनों का ससमय ओवरहॉल करने में विफलता और संचरण लाइनों के बार-बार ट्रिप करने की वजह से वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में कंपनी ने जेएसईआरसी के मानकों से ₹ 56.79 करोड़ मूल्य की 173.80 एमयू अधिक सहायक ऊर्जा की खपत की।

कंपनी ने दावा किया कि निधि की कमी के कारण मशीनों का ओवरहॉल नहीं किया जा सका जिसकी वजह से एपीसी अधिक थी। हालांकि, यह देखा गया कि 2011-16 के दौरान कंपनी ने ₹ 275.26 करोड़ से ₹ 392.42 करोड़ तक की रकम अल्पावधि जमा के रूप में रख छोड़ी थी जिसका उपयोग, शायद, उस काम के लिए किया जा सकता था। साथ ही वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए कुल राजस्व की वास्तविक आवश्यकता का अनुमोदन (डू अप) करते समय जेएसईआरसी ने उच्चतर सहायक ऊर्जा खपत (एपीसी) का अनुमोदन नहीं किया था; क्योंकि वह 2010 के उत्पादन दर विनियम के अनुसार एक नियंत्रित किये जाने योग्य मापदण्ड था। आगे के वर्षों हेतु उक्त आवश्यकता को अभी भी जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदन (डू अप) किया जाना है।

(कंडिका 2.1.9.3)

#### **मरम्मत, अनुरक्षण और पूँजीगत ओवरहॉल**

संयंत्र की इकाई एक का पूँजीगत ओवरहॉल उसकी नियत तिथि से 49 माह के विलम्ब के बाद हाथ में लिया गया जबकि 28 महीनों के विलम्ब के बावजूद भी इकाई 2 का ओवरहॉल अभी भी किया जाना है। इसकी वजह से उत्पादन इकाइयों के बॉयलर एवं रोटार का परिचालन बार-बार ठप्प हुआ और परिणामतः संयंत्र का परिचालन बंद करना पड़ा। 2011-12 से 2015-16 की अवधि में प्लांट का शटडाउन जेएसईआरसी के मानकों से 7095 घंटे अधिक हुआ जिस कारण ₹ 409.10 करोड़ मूल्य के 1490 एमयू ऊर्जा उत्पादन का घाटा हुआ। इसे प्लांट एवं उपस्करों की समय पर मरम्मत और रखरखाव तथा पूँजीगत ओवरहॉल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था।

(कंडिका 2.1.9.2 एवं 2.1.9.4)

### क्षमता विस्तार

झारखण्ड सरकार/कंपनी के त्रुटिपूर्ण नियोजन एवं अनिर्णय की वजह से ₹ 359 करोड़ के निवेश के बावजूद टीटीपीएस का परिकल्पित क्षमता-विस्तार उसको चालू किये जाने के 19 वर्षों के बाद भी हाथ में नहीं लिया जा सका है।

(कंडिका 2.1.13.1)

### मेरी-गो-राउंड रेल पद्धति और अन्य परियोजनाएँ

अक्टूबर 2015 में 24 वर्षों के विलम्ब के बाद ₹ 51.34 करोड़ की अतिरिक्त लागत से कंपनी ने कोयला ढोने लिए मेरी-गो-राउंड (एमजीआर) रेल पद्धति चालू की थी। विलम्ब के कारण विलम्ब से जमीन का आहरण, निधि की कमी इत्यादि थे। इस अवधि के दौरान प्लांट के लिए आवश्यक कोयला सड़क मार्ग से ढोया गया। यद्यपि एमजीआर रेल पद्धति अक्टूबर 2015 में चालू हुई थी, तथापि वैगन की कमी के कारण आंशिक रूप से कोयले की ढुलाई अभी भी सड़क मार्ग से ही की जाती है। यद्यपि कंपनी ने 1998 में 34 वेगनों के लिए ₹ 2.88 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया था, तथापि वह आज तक एक भी वैगन की सुपुर्दगी प्राप्त नहीं कर सकी है।

(कंडिका 2.1.13.3 एवं 2.1.13.4)

### पावर प्लांट के स्वीचयार्ड का उन्नयन

वर्ष 1997 में प्लांट को खड़ा करते समय संवेदक-मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने स्वीचयार्ड के उन्नयन कार्य को अधूरा छोड़ दिया था। कंपनी द्वारा (जुलाई 2010) जब इसे पुनः शुरू किया गया, उसके बाद भी 52 महीनों का और विलम्ब हुआ एवं दिसम्बर 2016 तक भी अधूरा रहा। परिणामतः ऊर्जा निकासी संबंधी बाधाओं की वजह से उत्पादन ईकाईयों को बैंक डाउन करना पड़ा और कंपनी को 2011-12 से 2015-16 के दौरान 971 एमयू शक्ति उत्पादन तथा ₹ 267.51 करोड़ के राजस्व का घाटा सहना पड़ा। हालांकि जेएसईआरसी ने (सितंबर 2016) कंपनी को मार्च 2017 से पहले उन्नयन कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है।

(कंडिका 2.1.10.1)

### कोयले की खरीद और कोयले की गुणवत्ता

कोयले की कमी और खराब गुणवत्ता, जैसे ग्रेड स्लीपेज, नमी का उच्चतर प्रतिशत और सीसीएल द्वारा आपूर्ति किये गये अधिक बड़े आकार के पत्थर के कारण 2011-12 से 2015-16 के दौरान शक्ति प्लांट को ₹ 50.24 करोड़ मूल्य के 326 एमयू उत्पादन का घाटा उठाना पड़ा। यद्यपि कंपनी सेन्ट्रल कोलफिल्डस लिमिटेड (सीसीएल) से ₹ 49.62 करोड़ के दावे की वसूली नहीं कर सकी; क्योंकि वह गुणवत्ता की जाँच हेतु कोयले का संयुक्त सैंपलिंग कराने में असफल रही। सीसीएल ने भी इस बात की पुष्टि की कि अनेक मामलों में कंपनी ने लोडिंग पॉइंटों पर संयुक्त नमूनाकरण में भाग नहीं लिया। कंपनी ने बताया (नवम्बर 2016) कि सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च को लोडिंग एवं अनलोडिंग पॉइंटों पर नमूनाकरण हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(कंडिका 2.1.12.1 एवं 2.1.12.2)

अपने टैरिफ पेटिशनों में वायु, वर्षा एवं नमी के वाष्पीकरण की वजह से हुए 43,857 एमटी कोयलों की क्षति का दावा करने में विफल रहने के कारण कंपनी को वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में ₹ 8.14 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।

(कंडिका 2.1.12.5)

2011-12 से 2015-16 के दौरान प्लांट डिजाइन नॉर्म दो प्रतिशत के विरुद्ध तल राख में 9.96 प्रतिशत से 12.66 प्रतिशत के बीच बिन जला कार्बन था। उस अवधि में प्लांट डिजाइन नॉर्म 0.5 प्रतिशत के विरुद्ध फलाई राख में बिन जला कार्बन 4.87 प्रतिशत से 5.53 प्रतिशत के बीच था। इस कारण 1,68,545 एमटी कोयले की अधिक खपत हुई जिससे उत्पादन की लागत ₹ 35.10 करोड़ बढ़ गई। इसके अलावे, 2011-12 से 2015-16 के दौरान जेएसईआरसी के नॉर्म से ₹ 38.57 करोड़ मूल्य के 7329 किलो लीटर अधिक लाइट डीजन ऑयल की खपत हुई।

(कंडिका 2.1.11.1 एवं 2.1.11.2)

### निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

झारखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग ने कंपनी के साथ कोई मेमोरैंडम ऑफ अर्ण्डस्टैंडिंग (एमओयू) हस्ताक्षरित नहीं किया है। जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा विभाग कंपनी की वित्तीय स्थिति और लाभप्रदता को उन्नत करने तथा इसके कार्य की निगरानी करने हेतु कार्यकारी एवं वित्तीय लक्ष्य निश्चित नहीं कर सका।

निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की गतिविधियों की प्रभावकारी निगरानी (मॉनिटरिंग) नहीं की गयी; क्योंकि उसकी नियमित बैठकें नहीं हुईं। साथ ही बोर्ड के कामकाज को सशक्त बनाने के लिए दो कार्यकारी निदेशकों की प्रस्तावित नियुक्ति एवं स्वतंत्र निदेशकों की प्रविष्टि को मूर्त रूप नहीं दिया गया।

(कंडिका 2.1.7.2 एवं 2.1.15.3)

### मानव संसाधन प्रबंधन

कंपनी का मानव संसाधन प्रबंधन त्रुटिपूर्ण रहा है। 510 तकनीकी मैनुपावर के स्वीकृत कार्य-बल की जगह केवल 258 कार्यबल था अर्थात् 252 कर्मचारियों की कमी थी जो कंपनी के कार्य प्रदर्शन को कुप्रभावित कर सकती है।

(कंडिका 2.1.12.7)

इस प्रकार कंपनी के वित्त को सशक्त बनाने और इसके ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने में सरकार/प्रबंधन की असफलता के कारण राज्य में शक्ति आपूर्ति दयनीय रही। यह राज्य के समस्त व्यावसायिक वातावरण को कुप्रभावित कर सकता है। परिणामस्वरूप जून, 2016 को समाप्त हुई अवधि के लिए विश्व बैंक के रिपोर्ट में इस राज्य को प्राप्त 'इज ऑफ डुइंग बिजनेस' संबंधी सातवाँ रैंक संकट में पड़ सकता है।

### 2.1.1 परिचय

तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड एक विद्युत उत्पादक कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम-1956 के तहत नवम्बर-1987 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य बातों के साथ थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण, उत्पादन और इसका रखरखाव करना और उत्पादित ऊर्जा को लाइसेंसधारियों/व्यापारियों तथा अन्य एजेंसियों को विद्युत अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुसार बेचना था।

कंपनी ने अपना थर्मल पावर स्टेशन (तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन) झारखण्ड के बोकारो जिला स्थित ललपनिया में स्थापित किया है जिसकी वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 420 मेगावाट (210 मेगावाट x 2 यूनिटें) है। यूनिट-1 का वाणिज्यिक परिचालन सितम्बर 1996 तथा यूनिट-2 का वाणिज्यिक परिचालन सितम्बर-1997 में प्रारंभ हुआ। इसके द्वारा कुल उत्पादित ऊर्जा झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड<sup>9</sup> को बेची जाती है जो अपनी पूरी ऊर्जा आवश्यकता का 20 प्रतिशत इस कंपनी से खरीदती है।

बिहार के पुनर्गठन के फलस्वरूप बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा- 47 के अनुसार कंपनी का स्वामित्व झारखण्ड सरकार में निहित हो गया। तदनुसार झारखण्ड सरकार ने कंपनी के स्वामित्व का अधिग्रहण करते हुए फरवरी 2001 में अधिसूचना जारी की। हालांकि बिहार राज्य ने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की और इसे कानून की अदालत में चुनौती दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2008 में अपने अंतरिम आदेश में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया। हालांकि झारखण्ड सरकार द्वारा कंपनी के विस्तार हेतु किये जाने वाले कार्य को जारी रखने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी तथापि ऐसे विस्तार अथवा कार्य के लिए वह कोई अंशपूर्जी का दावा नहीं कर सकती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है (नवम्बर 2016)।

टीटीपीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार परियोजना के द्वितीय चरण में 210 मेगावाट की तीन इकाइयों और 500 मेगावाट की एक इकाई की स्थापना के द्वारा क्षमता-विस्तार की परिकल्पना की गई थी।

### 2.1.2 संगठनात्मक संरचना

कंपनी झारखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। कंपनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल में निहित है। 31 मार्च 2016 को उसमें चार निदेशक-दो गैर-कार्यपालक निदेशक यथा प्रमुख सचिव, वित्त विभाग और प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, तथा दो कार्यपालक निदेशक यथा कंपनी के अध्यक्ष<sup>10</sup> और प्रबंध निदेशक थे। कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है। महाप्रबंधक, टीटीपीएस ललपनिया पावर स्टेशन का प्रधान है और वह टीपीएस को

<sup>9</sup> जेयूवीएनएल, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) की होल्डिंग कंपनी है जो जेबीवीएनएल द्वारा वितरण हेतु विद्युत खरीद करता है।

<sup>10</sup> टीवीएनएल के अध्यक्ष का पद 2 मार्च 2015 से रिक्त है।

सुचारु रूप से चलाने के लिए समग्र रूप से प्रभारी है। वित्त नियंत्रक, कंपनी के वित्त विभाग का प्रमुख है जो कंपनी के वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा कार्यों के लिए जिम्मेदार है। कंपनी का संगठन चार्ट 2.1.1 में दिया गया है।

चार्ट 2.1.1: कंपनी का संगठन चार्ट



### 2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- उत्पादन क्षमता की वृद्धि एवं विद्यमान संयंत्र से इष्टतम उत्पादन हेतु कोई कार्य-योजना विद्यमान है;
- प्लांट के परिचालन एवं उसके उन्नयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है, उस धन का उपयोग लक्षित उद्देश्य के लिए किया गया है और ऊर्जा बिक्रय से संबंधित सभी दावों के लिए सही विपत्र निर्गत किये गये और उनकी वसूली की गई है;
- विद्युत संयंत्र को कुशलतापूर्वक परिचालित किया गया एवं बलात् उत्पादन बंदी (फोर्सड आउटेज) को कम करने के लिए जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण और निवारक अनुरक्षण संबंधी कार्य, जैसा कि विहित है, किये गये;

- ईंधन आवश्यकताओं का आकलन सही ढंग से किया गया है; उसकी खरीद मितव्ययिता पूर्वक और उसका उपयोग कुशलतापूर्वक किया गया;
- कंपनी द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी विविध विधियों एवं नियमों का अनुपालन किया गया; और
- कंपनी में निगरानी प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र कुशल एवं प्रभावी था।

#### 2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन के लिए प्रयुक्त मानदण्ड निम्न स्रोतों से लिए गये:

- झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) द्वारा जारी ऊर्जा उत्पादन संबंधी विनियम;
- पावर प्लांट परिचालन एवं नियोजित आउटेज हेतु जेएसईआरसी द्वारा विहित मानदण्ड;
- मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुसार संविदा सौंपने के लिए मानक प्रक्रिया;
- ऊर्जा उत्पादन हेतु तय लक्ष्य; और
- पर्यावरण से संबंधित कानून, नियम एवं विनियम।

#### 2.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से जून 2016 के दौरान आयोजित की गयी जिसका उद्देश्य 2011-12 से 2015-16 की अवधि में कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करना था। निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान निगम कार्यालय, राँची तथा टीटीपीएस के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी।

लेखापरीक्षा मानदंडों के परिपेक्ष में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्य-विधि अपनायी गयी उसमें निगम कार्यालय और टीटीपीएस के कागजातों की जाँच, लेखापरीक्षित इकाई के कर्मियों के साथ बातचीत, लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण, प्रबंधन के साथ लेखापरीक्षा-निष्कर्षों की चर्चा एवं दिप्पणी के लिए प्रबंधन को प्रारूप समीक्षा निर्गत करना शामिल थे। कंपनी के अधिकारियों के साथ सेंट्रल स्टोर तथा टीटीपीएस प्लांट का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया तथा लेखापरीक्षा अवलोकन को वर्तमान प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। इसके अलावा, कंपनी के कारोबार के संबंध में उसके अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया एवं स्थूल तथा सूक्ष्म मुद्दों पर उनके विचार निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त ढंग से समाविष्ट किये गये हैं।

कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ 21 अप्रैल 2016 को एक प्रविष्टि सम्मेलन किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र और कार्य-पद्धति पर चर्चा की गयी। लेखापरीक्षा आपत्तियों को कंपनी और सरकार को जारी किया गया (जुलाई 2015)। अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार और कंपनी के प्रबंध निदेशक के साथ नवम्बर 2016 में हुए निर्गमन सम्मेलन में उस पर चर्चा की गई। कंपनी का



उत्तर प्राप्त हो गया है (अक्टूबर 2016), किन्तु सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है। कंपनी के उत्तर और निर्गमन सम्मेलन में सरकार द्वारा व्यक्त विचार प्रतिवेदन में उपयुक्त ढंग से समाविष्ट किये गये हैं।

### लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

#### 2.1.6 कम्पनी का असंतोषजनक प्रदर्शन

वर्तमान प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा के नतीजों से संकेत मिलता है कि कंपनी 2011-12 से 2015-16 के दौरान झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित परिचालन मानदंड के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। यह प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी जो 61.32 से 79.42 के बीच था और उसे ₹ 870.78 करोड़ मूल्य के 2809.48 एमयू ऊर्जा उत्पादन की हानि हुई। प्लांट का प्लांट उपलब्धता फैक्टर (पीएएफ) वर्ष 2012-13 एवं 2015-16 को छोड़कर शेष वर्षों में जेएसईआरसी के मानदंड की तुलना में 5.33 प्रतिशत से 21.25 प्रतिशत तक कम रहा और 173.80 एमयू अतिरिक्त सहायक ऊर्जा का उपभोग किया गया जिसका मूल्य ₹ 56.79 करोड़ था।

संयंत्र का समुचित अनुरक्षण करने में विफल रहने के कारण संयंत्र और उसके उपस्करों का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया; क्योंकि यूनिट-1 का पूँजीगत ओवरहॉल 49 माह के विलंब से पूरा हुआ तथा यूनिट-2 का पूँजीगत ओवरहॉल नियत समय से 28 माह बीत जाने पर भी हाथ में नहीं लिया गया। जुलाई 2010 में 400 केवी स्वीचयार्ड का उन्नयनीकरण शुरू किया गया था, जो 52 माह की देरी होने के बावजूद भी पूरा नहीं हो सका है जिसके कारण वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में कुल ₹ 267.51 करोड़ के 971 एमयू ऊर्जा के उत्पादन की हानि उठानी पड़ी।

राख में बिन जले कार्बन की मात्रा प्लांट के रूपांकित मानदण्ड से ज्यादा होने के कारण 1,68,545 एमटी कोयले की अधिक खपत हुई जिसका मूल्य ₹ 35.10 करोड़ था एवं लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) की खपत जेएसईआरसी मानदंड से अधिक होने के कारण ₹ 38.57 करोड़ की हानि हुई। प्लांट में खराब गुणवत्ता के कोयला/कोयले की कमी के कारण ₹ 50.24 करोड़ मूल्य के 326.39 एमयू उत्पादन की हानि हुई और कंपनी सेन्ट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) से ग्रेड फिसलन, आर्द्रता का अधिक प्रतिशत और कोयला में बड़े पत्थरों की उपस्थिति के दावों के रूप में ₹ 56.02 करोड़ वसूलने में विफल रही।

झारखण्ड सरकार और कंपनी, बिजली संयंत्र की परिकल्पित क्षमता विस्तार का कार्य टीटीपीएस की स्थापना के 19 साल बाद भी पूरा करने में असफल रही। इंधन परिवहन के लिए मेरी-गो-राउंड (एमजीआर) रेल प्रणाली की स्थापना 24 साल विलंब के बाद ₹ 51.34 करोड़ की अतिरिक्त लागत से की गई और एमजीआर प्रणाली हेतु 34 वैगनों के लिए क्रय आदेश (मार्च 1989) के विरुद्ध सिमको से अभी तक उन वैगनों की आपूर्ति नहीं हुई है जिसके लिए ₹ 2.88 करोड़ का भुगतान वर्ष 1998 में ही किया जा चुका था। आगे, ऊर्जा खरीद समझौते (पीपीए) में प्रावधानित भुगतान

सुरक्षा तंत्र को लागू नहीं करने के परिणामस्वरूप जेयूवीएनएल के विरुद्ध ₹ 3082.72 करोड़ बकाया हो गया। इसके अलावे, पीपीए में अनुमोदित अन्य लाइसेंसधारियों को ऊर्जा की बिक्री नहीं की गयी जिससे कंपनी अपना राजस्व बढ़ाने में विफल रही। अतः कंपनी विवेकपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने में असफल रही और वह जेयूवीएनएल से बकाया राशि वसूलने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठायी जबकि कंपनी को कोयला-क्रय, पूँजीगत ओवरहॉलिंग, अनुरक्षण एवं मरम्मत तथा अपने प्लांट एवं उपस्करों के उन्नयनीकरण और वैगन खरीद के लिए भुगतान करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

इस तरह कंपनी जेएसईआरसी द्वारा निर्धारित परिचालन मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करने में विफल रही, संयंत्र की स्थापना के समय स्थापित उपस्कर एवं बुनियादी ढाँचे निष्क्रिय पड़े रहे, आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं मौजूदा बुनियादी ढाँचे के उन्नयनीकरण में अत्यधिक विलम्ब हुआ। यह अत्यावश्यक है कि जब तक कंपनी का परिचालन जेएसईआरसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं होगा एवं प्लांट का पूँजीगत ओवरहॉलिंग और निवारक रखरखाव नियमित रूप से नहीं होगा तब तक कंपनी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगी और लंबी अवधि तक इसे कायम रखने में जोखिम बना रहेगा। लेखापरीक्षा के जाँच-परिणामों की चर्चा आगे के परिच्छेदों में की गई है।

### 2.1.7 नियोजन

#### **अल्पावधि एवं दीर्घावधि योजना न बनाया जाना**

2.1.7.1 समुचित नियोजन परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किये जाने वाले कार्यों की पहचान करने में सहायक होता है। यह कार्यकुशलता में वृद्धि करता है और कंपनी की गतिविधियों के संचालन एवं परियोजना/ योजना के क्रियान्वयन में निहित जोखिमों को कम करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने संयंत्र के क्षमता-विस्तार, उसके जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण तथा परिचालन दक्षता में सुधार के लिए वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दरम्यान कोई अल्पावधि अथवा दीर्घावधि योजना तैयार नहीं की थी। यद्यपि कंपनी द्वारा वार्षिक बजट में जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए राशि का आवंटन किया जा रहा था तथापि बजट में शामिल कार्यों के क्रियान्वयन को उन वर्षों में भी हाथ में नहीं लिया गया जिन वर्षों में उनके लिए निधि चिह्नित की गयी थी। यह इंगित करता है कि जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण हेतु निधि का प्रावधान इन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए समुचित नियोजन के बगैर किया गया था। परिणामस्वरूप न तो जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के कार्यों और न ही क्षमता-विस्तार के कार्यों को क्रियान्वित किया गया। इस प्रकार समुचित नियोजन के अभाव में कंपनी के वित्तीय संसाधनों का उपयोग कुशल एवं प्रभावी ढंग से नहीं किया गया।

### **झारखण्ड सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं होना**

2.1.7.2 सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारत सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए एवं जवाबदेही के साथ उनकी समुचित स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) विकसित किया है। राज्य सरकार जरूरत के अनुसार संशोधन/बिना संशोधन के साथ मॉडल एमओयू को अंगीकार कर सकती है। इस प्रकार सरकार उन उपक्रमों के साथ एमओयू के द्वारा वर्ष के शुरुआत में लक्ष्य निर्धारण कर एवं वर्ष के अंत में प्रदर्शन का मूल्यांकन कर इन उपक्रमों के प्रदर्शन की निगरानी करती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशासनिक विभाग, यथा ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार ने कंपनी के साथ बिजली उत्पादन, क्षमता-विस्तार, वित्तीय और परिचालन मानकों इत्यादि के संबंध में लक्ष्य निर्धारण हेतु किसी भी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इस तरह झारखण्ड सरकार के द्वारा कंपनी के प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन नहीं किया गया है।

31 मार्च 2016 तक कंपनी की संचित हानि ₹ 824.53 करोड़ एवं जेयूवीएनएल से ₹ 3082.72 करोड़ की ऊर्जा राशि बकाया थी जो कंपनी की कमजोर वित्तीय स्थिति एवं प्रदर्शन को दर्शाता है। झारखण्ड सरकार को कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करना चाहिए ताकि ऊर्जा विभाग कंपनी के परिचालन एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण एवं उसके प्रदर्शन की निगरानी कर सके जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं उसकी लाभकारी स्थिति को सुधारा जा सके।

### **2.1.8 वित्तीय प्रबंधन**

कंपनी की आय का मुख्य श्रोत स्वयं द्वारा उत्पादित ऊर्जा की बिक्री<sup>11</sup> से प्राप्त राजस्व था और कंपनी के दिन-प्रतिदिन के व्यय की पूर्ति इसी राजस्व से होती थी। कंपनी के वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गई :

#### **वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब**

2.1.8.1 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 210, जिसको धारा 166 के साथ पढ़ा जाए एवं धारा 129(2), जिसको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96(1) (अप्रैल 2014 से प्रभावी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार प्रत्येक कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीने की समयवधि में वार्षिक वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने के पश्चात् उसे वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत करना होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी का वर्ष 1994-95 से 2010-11 का वार्षिक लेखा विलम्ब से 2011-12 से 2015-16 के दौरान अंतिमीकृत किया गया, जिसका कारण झारखंड सरकार और बिहार सरकार के बीच कंपनी के स्वामित्व संबंधी विवाद बतलाया गया। हालांकि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के वार्षिक लेखों का अंतिमीकरण लंबित था (अक्टूबर 2016)। लेखा के पूर्ण करने में विलंब न केवल कंपनी अधिनियम

<sup>11</sup> कुल कमाई का 95 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के बीच

1956/2013 के प्रावधानों की अवहेलना है बल्कि इसके कारण कंपनी को किसी चूक/धोखाधड़ी को पहचानने/रोकने एवं तात्कालिक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, खातों का अंतिमीकरण नहीं होने की वजह से कंपनी अपने वित्तीय स्वास्थ्य पर नजर रखने में विफल रही। फलतः कंपनी लाभकारी परिचालन हेतु प्राप्त अवसरों का लाभ नहीं उठा सकी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कंपनी द्वारा वर्ष 2011-12 से 2013-14 के टैरिफ आदेश के दू अप के लिए जेएसईआरसी को दायर याचिका में इन वर्षों के अंतःकालिक लेखों को अंकेक्षित लेखा बतलाया गया। जेएसईआरसी ने इन लेखों में दर्शाये गये व्यय के आधार पर ही दू अप आदेश पारित किया। कंपनी द्वारा अंतःकालिक लेखों को अंकेक्षित लेखा के तौर पर प्रस्तुत करना अनुचित था।

### **वित्तीय स्थिति**

2.1.8.2 कंपनी के अंतःकालिक लेखों पर आधारित वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट 2.1.1 में दर्शायी गयी है। 31 मार्च 2016 को कंपनी का असुरक्षित ऋण ₹ 3016.09 करोड़ था जिसमें बिहार सरकार का ₹ 608.89 करोड़ और झारखंड सरकार का ₹ 57 करोड़ का ऋण शामिल है। कंपनी द्वारा ऋणों का पुनर्भुगतान न किये जाने की वजह से वर्षों से ब्याज संकलित होता रहा। ऋण पर बकाया ब्याज 31 मार्च 2016 को ₹ 2181.79 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी द्वारा जेएसईआरसी को दायर (अगस्त 2015) टैरिफ याचिका में कहा गया है कि कंपनी झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) पर बकाया होने के कारण अपने ऋण के पुनर्भुगतान करने में असमर्थ रही है। किंतु जेएसईआरसी के अनुसार ऋण के पुनर्भुगतान को बकाये की वसूली के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऋण के पुनर्भुगतान में विफलता के कारण जेएसईआरसी ने वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए वार्षिक राजस्व-मांग (एआरआर) में ₹ 36.73<sup>12</sup> करोड़ ब्याज को व्यय के रूप में मानने से इन्कार कर दिया जिससे कंपनी के लिए अनुमोदित शुल्क की दरों में कमी आ गयी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कंपनी ने झारखंड सरकार से अपने ₹ 665.89 करोड़ के ऋण एवं ₹ 1334.01 करोड़ के संचित ब्याज को अंश पूँजी में बदलने का अनुरोध किया। साथ ही ₹ 845.74 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज के साथ शेष बकाया राशि को माफ करने अथवा उसे जेयूवीएनएल से अप्राप्त बकाया राशि के साथ समायोजित करने का भी अनुरोध किया गया है। हालांकि इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है।

31 मार्च 2016 तक कंपनी की संचित हानि ₹ 824.53 करोड़ थी जो मुख्यतः प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ), प्लांट एवलेविलिटी फैक्टर तथा ऑक्सीलियरी पावर के

<sup>12</sup> 2012-13 से 2015-16 के दौरान पुनर्भुगतान के लिए देय ₹ 282.56 करोड़ पर ब्याज 13 प्रतिशत के दर से गणना किया गया।

उपभोग से संबंधित जेएसईआरसी के मानकों को हासिल न कर पाने एवं प्लांट के उचित रख-रखाव में असमर्थ रहने की वजह से कोयला एवं तेल की अधिक खपत के कारण हुआ।

### **कार्यकारी परिणाम**

2.1.8.3 कंपनी के अंतःकालिक लेखों के अनुसार कंपनी के कार्यकारी परिणामों का विवरण परिशिष्ट 2.1.2 में दिया गया है। कंपनी के परिचालन से प्राप्त राजस्व 2011-12 में ₹ 490.38 करोड़, 2012-13 में ₹ 810.86 करोड़, 2013-14 में ₹ 612.60 करोड़, 2014-15 में ₹ 741.38 करोड़ और 2015-16 में ₹ 815.03 करोड़ रहा। इस तरह वार्षिक राजस्व में वृद्धि तो हुई परंतु यह वृद्धि समानरूप नहीं रही।

कंपनी को वर्ष 2013-14 में ₹ 0.66, 2014-15 में ₹ 0.07 और 2015-16 में ₹ 0.86 प्रति यूनिट ऊर्जा बिक्री पर हानि हुई।

कंपनी ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 4.73 करोड़ और ₹ 86.05 करोड़ का लाभ अर्जित किया यद्यपि, वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में उसने क्रमशः ₹ 131.53 करोड़, ₹ 14.78 करोड़ और ₹ 200.36 करोड़ का नुकसान दर्ज किया। 2011-12 में प्रति इकाई ऊर्जा बिक्री पर ₹ 0.02 प्रति यूनिट लाभ हुआ जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 0.33 प्रति इकाई हो गया; क्योंकि वर्ष 2012-13 में विद्युत का उच्चतम उत्पादन हासिल किया गया। ऊर्जा बिक्री पर प्रति यूनिट हानि 2013-14 में ₹ 0.66, 2014-15 में ₹ 0.07 और 2015-16 में ₹ 0.86 रही जिसका मुख्य कारण 2013-14 में कर्ज पर दण्डात्मक ब्याज के लिए किये गये प्रावधान में भारी वृद्धि और खातों में मूल्य-हास, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, बकाया देनदारियों, देय ऋण, भंडार एवं पूर्णों इत्यादि के लिए वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लेखों में किये गये प्रावधानों का पूर्वावधिक समायोजन रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दरम्यान मरम्मत एवं अनुरक्षण, मूल्य-हास, ब्याज एवं वित्त प्रभार पर खर्च कुल खर्च का 21.88 प्रतिशत से 55.19 प्रतिशत रहा। ब्याज एवं वित्त प्रभार, जिसमें बिहार एवं झारखण्ड सरकार से लिये गये दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज शामिल है, वर्ष 2012-13 में ₹ 83.14 करोड़ (कुल व्यय का 11.51 प्रतिशत) से बढ़कर 2013-14 में ऋणों पर ₹ 221.72 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के प्रावधान की वजह ₹ 324.87 करोड़ (कुल व्यय का 41.84 प्रतिशत) हो गया। हालांकि ब्याज और वित्त प्रभार वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में घटकर प्रत्येक वर्ष के लिए ₹ 103.06 करोड़ रह गया।

### **निधियों के निवेश के लिए नीति/दिशा-निर्देश न बनाया जाना**

2.1.8.4 कंपनी के पास नकद एवं नकद समतुल्य वर्ष 2011-12 से 2015-16 के अंत में ₹ 303.87 करोड़ से ₹ 427.01 करोड़ के बीच रहा। यद्यपि उसने निधियों के निवेश के लिए नीति/दिशा-निर्देश तैयार नहीं किया था तथापि वर्ष 2011-12 से

2015-16 के अंत तक अल्पावधि जमा<sup>13</sup> के रूप में एक बड़ी रकम बैंकों में रख छोड़ी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ राष्ट्रीयकृत/ निजी बैंकों से प्राप्त दर के आधार पर निधियों का निवेश अल्पावधि जमा के रूप में किया गया और बेहतर निवेश के लिए अवसरों की तलाश नहीं की गई। इस तरह निधियों के निवेश के लिए लिपिबद्ध नीति/दिशा-निर्देशों के अभाव में उपलब्ध निधियों के निवेश पर अधिकतम लाभ सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

कंपनी ने कहा (जून 2016) कि निधियों का क्षमता-विस्तार की परियोजना में उपयोग में लाने के लिए अल्पावधि जमा के रूप में रखा गया था एवं वे निवेश निविदा निकालकर किये गये।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि निधियों का निवेश सभी बैंकों को समुचित एवं समान अवसर दिये बगैर और बिना खुली निविदा के कुछ चुने हुए बैंकों से प्राप्त दर पर अल्पावधि जमा के रूप में किया गया।

**कोयला विपत्र के भुगतान पर टीडीएस की कटौती करने में विफल रहने के कारण जुर्माना लगाया जाना**

2.1.8.5 झारखण्ड मूल्य संबद्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम) की धारा 45 (1) के अनुसार, टीवीएनएल को कोयले की खरीद पर सीसीएल को देय राशि पर 2 प्रतिशत की दर से श्रोत पर झारखण्ड वैल्यू एडेड टैक्स काटना था। उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न किये जाने पर कम्पनी से मूल टैक्स की दुगुनी राशि दण्ड स्वरूप वसूल की जानी थी। अधिनियम की धारा 79(4) के अनुसार कर या जुर्माना से संबंधित मांग-पत्र के विरुद्ध कोई अपील मांग-पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर ही की जा सकती है परंतु अपीलीय प्राधिकरण यदि इस बात से संतुष्ट है कि प्रार्थी के पास नियत समय के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण है तो वह विलम्ब को क्षमा कर सकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 की अवधि के लिए सीसीएल के बीजकों का भुगतान करते समय टीडीएस-जेवैट नहीं काटा। वाणिज्यिक कर विभाग (सीटीडी) ने वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 5 करोड़ के टीडीएस-जेवैट और ₹ 10 करोड़ के जुर्माने (मार्च 2015) का मांग-पत्र जारी किया। वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 14.69 करोड़ के जुर्माने और ₹ 7.35 करोड़ के टीडीएस-जेवैट के लिए एक अन्य मांग-पत्र (मार्च 2016) निर्गत किया गया। कंपनी द्वारा अभी तक (नवंबर 2016) यह राशि जमा नहीं की गई है। लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ के दौरान कंपनी ने कहा कि सीसीएल टीवीएनएल को आपूर्ति किये गये कोयले की कीमत पर सीटीडी को पाँच प्रतिशत की दर से जेवैट जमा कर चुका है। उसने यह भी कहा कि अपील दर्ज करने के लिए उसके द्वारा जमा किये गये कर सम्बन्धी सहायक अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु सीसीएल से अनुरोध किया गया

<sup>13</sup> 2011-12 में ₹ 275.26 करोड़, 2012-13 में ₹ 314.52 करोड़, 2013-14 में ₹ 319.64 करोड़, 2014-15 में ₹ 364.16 करोड़ एवं 2015-16 में ₹ 392.41 करोड़ निवेश था 2011-12 से 2015-16 के वर्ष के अन्त में।

है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जेवैट भुगतान संबंधी चालान की प्रति कंपनी द्वारा सीसीएल से एकत्र नहीं की गयी है एवं अधिनियम के प्रावधानों के तहत मांग-पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के अनुमत्त समयावधि के भीतर मांग-पत्र के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के पास कोई अपील नहीं की गयी है।

इसतरह टीडीएस की कटौती में विफलता के कारण कंपनी को ₹ 24.69 करोड़ के जुर्माने (₹ 10 करोड़ और ₹ 14.69 करोड़) का भुगतान करना पड़ सकता है।

कंपनी ने कहा (जुलाई 2016) कि दस्तावेजी साक्ष्य, यथा, जमा किये गये जेवैट के चालानों और 2011-12 और 2012-13 में सीसीएल के द्वारा दायर रिटर्न की प्रति एकत्र की जा रही है ताकि मांग के खिलाफ अपील दायर की जा सके। आगे यह भी कहा गया कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 में सीसीएल को किये गये भुगतान पर टीडीएस-जेवैट जून 2016 में सीटीडी को जमा किया गया है एवं अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अप्रैल 2015 से टीडीएस-जेवैट की कटौती कर उसे जमा किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही जिसके कारण उसके उपर ₹ 24.69 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। जैसा कि अधिनियम की धारा 79 (4) के तहत आवश्यक था, मांग-पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों की अनुमत्त समयावधि के भीतर जेवैट की मांग के विरुद्ध अपील दायर करने में भी कंपनी विफल रही और कालातित होने के कारण अब कोई भी अपील अस्वीकार की जा सकती है।

### **विद्युत क्रय अनुबंध के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन में विफलता**

2.1.8.6 कंपनी स्वयं द्वारा उत्पादित समूची बिजली जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार जेयूवीएनएल को बेचती है। 2005 में भूतपूर्व जेएसईबी के साथ किये गए ऊर्जा-क्रय-अनुबंध (पीपीए) में भुगतान सुरक्षा तंत्र को शामिल नहीं किया गया था और कंपनी आपूर्ति की गयी बिजली के लिए पूरा भुगतान वसूल करने में विफल रही। परिणामस्वरूप अक्टूबर 2012 तक ऊर्जा प्रभार और विलम्ब भुगतान अधिशेष (डीपीएस) के मद में ₹ 1820.27 करोड़ जेयूवीएनएल के विरुद्ध बकाया रहा।

कंपनी ने 31 अक्टूबर 2012 को अर्थात् पूर्व पीपीए की समाप्ति (अगस्त 2010) के 27 महीने बाद जेएसईबी के साथ एक नया पीपीए किया। उस पीपीए के अनुसार, जेएसईबी को उसे एक महीने में आपूर्ति की गयी ऊर्जा के लिए अनुमानित राशि के 105 प्रतिशत के समतुल्य अपरिवर्तनीय एवं आवर्ती शाख पत्र (एलसी) खोलना था। एलसी की राशि पिछले 12 महीने में औसत विपत्रीकरण के आधार पर प्रत्येक 6 महीने में घटाया या बढ़ाया जाना था। इसी तरह ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की टैरिफ नीति (जनवरी 2006) के अनुसार पीपीए में उत्पादक कंपनियों के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय भुगतान सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी था।

पीपीए में उपस्थित भुगतान सुरक्षा व्यवस्था का अनुपालन न हाने के परिणामस्वरूप जेयूवीएनएल पर ₹ 3082.72 करोड़ का बकाया संकलित हो गया।

जेयूवीएनएल ने ₹ 40 करोड़ के शाख पत्र<sup>14</sup> खोले, जो वर्ष 2013-14 में ₹ 51 करोड़ के औसत मासिक बिल का केवल 78 प्रतिशत राशि के लिये पर्याप्त था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2015-16 में जब औसत ऊर्जा बिल की राशि बढ़कर ₹ 67.92 करोड़ हो गई तब भी एलसी की राशि को नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा, मासिक ऊर्जा विपत्र की वसूली के लिए शाख पत्र को कभी खंडित नहीं किया गया जबकि जेयूवीएनएल विपत्र का पूरा भुगतान नहीं कर रहा था। परिणामस्वरूप कुल बकाया राशि बढ़कर मार्च 2016 में ₹ 3082.72<sup>15</sup> करोड़ हो गयी। इस तरह भुगतान सुरक्षा तंत्र से संबंधित पीपीए में किये गये प्रावधान को लागू नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप जेयूवीएनएल के विरुद्ध बकाया रकम बढ़ती गयी। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कंपनी जेयूवीएनएल से बकाया राशि वसूली के लिए जेएसईआरसी से संपर्क नहीं किया और न ही आयोग के सामने इस संबंध में कोई याचिका दायर की।

आगे लेखापरीक्षा द्वारा लिए गए साक्षात्कार (नवम्बर 2016) में कंपनी के प्रबंध निदेशक ने जेयूवीएनएल के पास बकाया को प्लांट के क्षमता-विस्तार में एक बड़ी अड़चन बताया। टीटीपीएस के महाप्रबंधक ने भी कहा कि बकाया राशि टीटीपीएस के परिचालन एवं मरम्मत-कार्य से संबंधित योजना बनाने और उसे लागू करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बकाया राशि कंपनी के परिचालन प्रदर्शन एवं विस्तार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी।

कंपनी ने (जुलाई 2016) अपने जवाब में कहा कि बकाया राशि की वसूली का मुद्दा झारखण्ड सरकार/जेयूवीएनएल के समक्ष लगातार उठाया गया। इसने आगे कहा कि जेयूवीएनएल ने सीधे सीसीएल को ₹ 563.05 करोड़ का भुगतान (मार्च 2016) भारत सरकार की उज्ज्वल डिसकाम एस्वोरेंस योजना (उदय) के तहत कंपनी को आपूर्ति किये गये कोयले की बकाया राशि के विरुद्ध किया। अपर मुख्य सचिव ने निर्गमन सम्मेलन में कहा (नवम्बर 2016) कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी एवं टीवीएनएल की बकाया राशि की वसूली पर ध्यान देगी।

यद्यपि तथ्य यथावत है कि ₹ 3082.72 करोड़ की राशि की वसूली जेयूवीएनएल से नहीं हो पायी; क्योंकि कंपनी पीपीए में उपलब्ध भुगतान सुरक्षा तंत्र का प्रयोग करने में विफल रही। झारखण्ड सरकार द्वारा भी इस मुद्दे पर निश्चित कदम उठाया जाना अभी शेष है।

**ऊर्जा क्रय अनुबंध के मुताबिक अन्य लाइसेंसधारियों को ऊर्जा की बिक्री नहीं किया जाना**

2.1.8.7 कम्पनी ने एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनबीवीएनएल) को 50 मेगावाट बिजली बेचने का निर्णय लिया (नवम्बर 2011)। तदनुसार नवम्बर/दिसम्बर 2011 में 5.23 मिलियन इकाई (एमयू) ऊर्जा बेची गई जिससे

<sup>14</sup> 15 करोड़ का एलसी दिनांक 10 मई 2012 एवं 25 करोड़ का एलसी दिनांक 28 फरवरी 2013

<sup>15</sup> ऊर्जा प्रभार ₹ 1186.85 एवं विलंबित भुगतान अधिभार ₹ 1895.87 करोड़ (जेएसईआरसी द्वारा निर्धारित 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से)



₹ 2.01 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। किन्तु टीटीपीएस की एक इकाई के बंद रहने के कारण और झारखण्ड राज्य में विद्युत संकट को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड सरकार ने दिसम्बर 2011 में अन्य लाइसेंसधारियों को बिजली की बिक्री स्थगित करने का प्रशासनिक निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेएसईबी के साथ पीपीए (31 अक्टूबर 2012) के अनुसार टीवीएनएल को 50 मेगावाट बिजली अन्य लाइसेंसधारियों/ग्राहकों को बेचने की अनुमति थी, और यदि तत्कालीन जेएसईबी के विरुद्ध बकाया राशि तीन महीनों के विद्युत प्रभार से अधिक हो जाती है तो कंपनी, जहाँ तक उचित समझे, दूसरे लाइसेंसधारियों/ग्राहकों को बिजली बेच सकती थी। हालांकि पीपीए की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जेयूवीएनएल द्वारा बिजली की बकाया राशि, जो मार्च 2016 में ₹ 3082.72 करोड़ तक पहुँच गयी थी, भुगतान किये जाने में विफल रहने के बावजूद भी कंपनी द्वारा 2012-13 से 2015-16 की अवधि में किसी अन्य ग्राहक को बिजली बेचने का प्रयास नहीं किया गया। इस तरह कंपनी अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफल रही जबकि वह अपने परिचालन खर्चों, यथा, कोयले की खरीदारी, पूँजीगत ओवरहॉल एवं संयंत्र के अनुरक्षण और मरम्मत आदि पर होने वाले खर्चों का वहन करने में असमर्थ थी। यह दर्शाता है कि कंपनी अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करने में विफल रही।


निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कंपनी सीसीएल को बिजली बेच सकती है और ऊर्जा आपूर्ति विपन्न का समायोजन सीसीएल द्वारा आपूर्ति किये गये कोयले के मूल्य के साथ कर सकती है।

हालांकि तथ्य यथावत है कि जेयूवीएनएल पर अत्यधिक बकाया होने के बावजूद भी कंपनी अन्य लाइसेंसधारियों को ऊर्जा नहीं बेची जिससे प्लांट का परिचालन प्रदर्शन एवं लाभदायकता प्रभावित हुई।

### 2.1.9 परिचालन प्रदर्शन एवं अनुरक्षण गतिविधि

वर्ष 2015-16 में समाप्त पिछले पाँच वर्षों में कंपनी के परिचालन प्रदर्शन को चार्ट 2.1.2 में दिया गया है:

चार्ट 2.1.2 : 2011-12 से 2015-16 के दौरान परिचालन प्रदर्शन



परिचालन प्रदर्शन का मूल्यांकन कई परिचालन मापदंडों के आधार पर किया गया है जिसपर अगले परिच्छेद में चर्चा की गई है।

### जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित पीएलएफ का प्राप्त न होना


2.1.9.1 प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) किसी विद्युत संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता पर अधिकतम संभव उत्पादन की तुलना में उसके वास्तविक उत्पादन की माप है। एक उच्चतर लोड फैक्टर का तात्पर्य प्रायः अधिक उत्पादन और निम्नतर प्रति इकाई लागत होता है; क्योंकि स्थायी लागत को उत्पादन की अधिक इकाइयों में वितरित कर दिया जाता है। कंपनी ने अपने टैरिफ पिटिशन में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए क्रमशः 75 प्रतिशत, 76 प्रतिशत, 77 प्रतिशत एवं 78 प्रतिशत पीएलएफ का अनुमान दर्शाया था। यद्यपि जेएसईआरसी ने वर्ष 2011-12 में 75 प्रतिशत पीएलएफ निर्धारित किया था, तथापि उसने वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए अपने मल्टीपल इयर टैरिफ आदेश में टीटीपीएस में ताप विद्युत उत्पादन के लिए 85 प्रतिशत पीएलएफ निर्धारित किया। हासिल की गयी वास्तविक पीएलएफ एवं वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान निम्नतर पीएलएफ के कारण हुए राजस्व के नुकसान को नीचे तालिका 2.1.1 एवं चार्ट 2.1.3 में दर्शाया गया है।

टेबल 2.1.1: टीटीपीएस का पीएलएफ 2011-12 से 2015-16 के दौरान

क्र. स.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	संरचना के आधार पर ऊर्जा उत्पादन (एमयु)	3689.28	3679.20	3679.20	3679.20	3689.28
2	जेएसईआरसी के मानक के अनुसार आवश्यक उत्पादन (एमयु)	2766.96	3127.32	3127.32	3127.32	3135.89
3	वास्तविक उत्पादन (एमयु)	2280.42	2922.00	2256.14	2380.46	2636.31
4	पीएलएफ के लिए जेएसईआरसी मानक (प्रतिशत)	75.00	85.00	85.00	85.00	85.00
5	वास्तविक पीएलएफ (प्रतिशत)	61.81	79.42	61.32	64.70	71.46
6	पीएलएफ में कमी (प्रतिशत) (4-5)	13.19	5.58	23.68	20.30	13.54
7	उत्पादन में कमी (एमयु) (2-3)	486.54	205.32	871.18	746.86	499.58
8	योगदान (₹/ केडब्लूएच)	0.87	1.35	1.36	1.54	0.99
9	कम उत्पादित ऊर्जा का योगदान राशि (₹ करोड़ में)	42.33	27.72	118.48	115.02	49.46

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रस्तुत विवरण से संकलित)

चार्ट 2.1.3: वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान ऊर्जा उत्पादन और पीएलएफ



ऊपर की तालिका एवं चार्ट में देखा जा सकता है कि इन वर्षों के दौरान पीएलएफ 61.32 प्रतिशत से 79.42 प्रतिशत के बीच रहा जो जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित वर्ष 2011-12 के लिए 75 प्रतिशत पीएलएफ तथा 2012-13 से 2015-16 तक के लिए 85 प्रतिशत पीएलएफ से कम था। साथ ही कंपनी वर्ष 2012-13 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में स्वयं द्वारा अनुमानित पीएलएफ को भी प्राप्त नहीं कर पायी।

कंपनी ने निकासी प्रणाली की कमियों, जिनकी वजह से टीटीपीएस की एक इकाई वर्ष 2011-12 में 120 दिन और वर्ष 2013-14 में 183 दिनों तक बंद रही, निवारक रख-रखाव के अभाव में प्लांट का काम बंद रहने, गतकालिक मशीनों एवं निम्न-कोटी के कोयले को निम्न पीएलएफ के लिए जिम्मेदार बताया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्लांट ने वर्ष 2012-13 में 79.42 प्रतिशत की उच्चतम पीएलएफ हासिल की, जो मुख्यतः पूरे साल निकासी प्रणाली, संचरण लाइनों एवं पर्याप्त मात्रा में उच्च कोटी के ईंधन की उपलब्धता के साथ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के परामर्शी दल, जिसकी प्रतिनियुक्ति अगस्त 2011 तक के लिए की गयी थी, के सहयोग से प्लांट के बेहतर प्रबन्धन की वजह से संभव हुआ था। अगर 2012-13 के परिचालन मानकों को आने वाले वर्षों में भी बनाये रखा गया होता तो कंपनी वर्ष 2013-14 से 2015-16 में भी उच्चतर पीएलएफ हासिल की होती। इसप्रकार जेएसईआरसी द्वारा नियत लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाने की वजह

**झारखंड एवं चार पड़ोसी राज्यों (बिहार, छत्तीशगढ़, ओडिसा एवं पश्चिम बंगाल) में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के द्वारा संचालित प्लांट द्वारा प्राप्त पीएलएफ के तुलनात्मक अध्ययन से पता चला कि 16 प्लांट (पाँच डीवीसी के, छः एनटीपीसी के, पाँच राज्य सरकार द्वारा संचालित) में सिर्फ ओडिसा में स्थित एनटीपीसी के तीन प्लांट ही वर्ष 2015-16 में 85 प्रतिशत पीएलएफ प्राप्त कर सके।**

जेएसईआरसी द्वारा लक्षित प्लांट लोड फैक्टर को प्राप्त न कर पाने के कारण कंपनी को 2809.48 एमयू ऊर्जा उत्पादन एवं ₹ 870.78 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

से कंपनी को 2809.48 एमयू विद्युत उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य ₹ 870.78 करोड़ था एवं कंपनी ₹ 353 करोड़ की योगदान राशि से वंचित रही। कम पीएलएफ की वजह से कम्पनी को वित्तीय हानि हुई; क्योंकि टैरिफ की गणना 85 प्रतिशत पीएलएफ को ध्यान में रखकर की गई; न कि प्रत्येक वर्ष के वास्तविक पीएलएफ के आधार पर। इस तरह वर्ष 2015-16 में टैरिफ के अनुसार 85 प्रतिशत पीएलएफ पर गणना की गई दर के मुकाबले वास्तविक पीएलएफ 71.46 प्रतिशत रह जाने से कंपनी को 2328.28 एमयू ऊर्जा बिक्री पर प्रति इकाई ₹ 0.446 की हानि हुई। वर्ष 2015-16 में वास्तविक हानि और ज्यादा यानि ₹ 0.86 प्रति युनिट रही। यह भी देखा गया कि कम्पनी जेएसआरसी को यह भी बतलाने में असफल रही कि 85 प्रतिशत का लक्ष्य ज्यादा था और यह इसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकी थी। वर्ष 2011-12 से वित्तीय लेखों का अंतिमीकरण किये जाने में विफल रहने का तात्पर्य यह था कि टैरिफ तय करते समय डेब्ट सर्विसिंग की उच्चतर दर (ऋण पर उच्च ब्याज दण्ड) एवं पूर्वावधि समायोजन को ध्यान में नहीं रखा गया।

कंपनी ने (जून 2016) कहा कि जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित 85 प्रतिशत पीएलएफ का लक्ष्य कई बाधाओं, रखरखाव की कमी एवं पूँजीगत ओवरहॉल के लिए झारखण्ड सरकार और जेयूवीएनएल से प्लांट को बंद करने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से हासिल नहीं किया जा सका। निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार ने कहा (9 नवम्बर 2016) कि टीवीएनएल के पुर्नगठन, पीएलएफ में सुधार, पूँजीगत ओवरहॉल एवं संयंत्र के रखरखाव से संबंधित व्यापक प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचार एवं निधि की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा हालांकि दिसम्बर 2016 तक कंपनी/सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि झारखण्ड सरकार द्वारा संयंत्रों के उचित अनुरक्षण एवं सतत् परिचालन के लिए इन इकाइयों को बंद करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। इसके अलावा कंपनी ने बायलर, टरबाईन एवं उसके सहायक यंत्रों का ओवरहॉल नहीं किया। स्विचयार्ड का 400 केवी में उन्नयन भी नहीं हुआ जिससे पीएलएफ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

**संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) का जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित स्तर से कम होना**

**2.1.9.2** प्लांट उपलब्धता एक निश्चित अवधि में वास्तविक परिचालित घंटे एवं उपलब्ध अधिकतम संभव घंटे का अनुपात है। जेएसईआरसी ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) 85 प्रतिशत निर्धारित किया था। कुल उपलब्ध घंटे, वास्तविक परिचालित घंटे, अतिशय अनुपलब्ध घंटे और वास्तविक पीएएफ का ब्यौरा तालिका 2.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.2: वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान अनुपलब्ध घंटे

क्र. स.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	कुल उपलब्ध घंटे	17568	17520	17520	17520	17568
2	पीएफ के 85 प्रतिशत जेएसआरसी मानक के आधार पर उपलब्ध घंटे	14933	14892	14892	14892	14933
3	वास्तविक परिचालन घंटे	11199	15397	12464	13959	15345
4	अतिशय उपलब्ध घंटे (2-3)	3734	0	2428	933	0
5	वास्तविक पीएफ (प्रतिशत में)	63.75	87.88	71.14	79.67	87.35
6	अधिक अनुपलब्धता (प्रतिशत में)	21.25	0.00	13.86	05.33	0.00

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रस्तुत विवरण से संकलित)

उपरोक्त टेबल से देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान वास्तविक पीएफ 63.75 प्रतिशत से 87.88 प्रतिशत के बीच रहा था। यह जेएसईआरसी के निर्धारित पीएफ से 2011-12 में 21.25 प्रतिशत, 2013-14 में 13.86 प्रतिशत एवं 2014-15 में 5.33 प्रतिशत कम था। यद्यपि इसने 2012-13 में 87.88 प्रतिशत और 2015-16 में 87.35 प्रतिशत हासिल किया जो जेएसईआरसी के निर्धारित लक्ष्य 85 प्रतिशत से अधिक था। इस तरह जेएसईआरसी के मानकों से प्लांट 7095 घंटे अधिक बंद रहा। प्लांट की अतिशय बंदी बारम्बार बाँयलर पाईप का लीक होना, बाँयलर में कम दबाव, जेनरेटर रोटर स्लीप रिंग से स्पार्किंग, ड्रम स्तर बहुत ऊपर तथा नीचे होने इत्यादि के कारण हुई। जेएसईआरसी के मानकों से ज्यादा समय के लिए प्लांट का जबरन बंद रहने से कंपनी को ₹ 409.10 करोड़ मूल्य के 1490 एमयू बिजली उत्पादन का नुकसान हुआ और वह ₹ 167.73 करोड़ योगदान-राशि से वंचित रही।

जेएसईआरसी द्वारा तय मानक से ज्यादा अनुपलब्धता के कारण ₹ 409.10 करोड़ के 1490 एमयू के उत्पादन की हानि हुई एवं कंपनी ₹ 167.73 करोड़ की योगदान-राशि से वंचित रही।

कंपनी ने (जुलाई 2016 में) कहा कि प्लांट को गंभीर हालत में चलाते रहने के कारण बारम्बार खराबी आई; परिणामतः प्लांट अधिक समय के लिए बंद रहा। परंतु नियोजित कार्यक्रम, पूर्जा एवं आवश्यक निधि की अनुपलब्धता के कारण इन बड़ी समस्याओं को प्लांट बंद रहने की अवधि में नहीं सुधारा जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कंपनी को टूट-फूट के कारण हुई प्लांट की बंदी को कम करने के लिए प्लांट और उपकरणों के निवारक अनुरक्षण हेतु कार्यक्रम एवं समय-सूची का बेहतर नियोजन करना चाहिए था। जेएसईआरसी ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए मरम्मत एवं रखरखाव पर होने वाले कुल व्यय के रूप में ₹ 489.99 करोड़ अनुमोदित किया था जबकि इस अवधि में वास्तविक खर्च ₹ 270.46 करोड़ ही हुआ, जो यह दर्शाता है कि कंपनी द्वारा मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य समुचित तरीके से नहीं किया गया। यह पाया गया कि 2011-16 की अवधि में कंपनी ने ₹ 275.26 करोड़ से ₹ 392.41 करोड़ तक की राशि अल्पावधि जमा में रख छोड़ी थी जिसका इस्तेमाल सम्भवतः इस प्रयोजन के लिए किया जा सकता था। 2011-16 के दौरान कंपनी ने अल्पावधि जमा पर ₹ 144.98 करोड़ का ब्याज अर्जित

किया जबकि अत्यधिक पीएफ के कारण उसे ₹ 409.10 करोड़ के राजस्व का घाटा उठाना पड़ा। जेएसईआरसी ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का यथार्थ आकलन (डू अप) करते समय यह उल्लेख किया कि कंपनी ने अपने उत्पादन संयंत्र के मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च अनुमोदित बहुवर्षीय टैरिफ आदेश (एमवाईटी) के अनुरूप नहीं किया।

### अत्यधिक सहायक ऊर्जा खपत


2.1.9.3 सहायक ऊर्जा खपत (एपीसी) किसी ऊर्जा केन्द्र द्वारा अपने उपकरणों को चलाने एवं आम सेवाओं पर उपयोग की गयी बिजली है। उच्चतर एपीसी किसी उत्पादन संयंत्र के शुद्ध ऊर्जा उत्पादन को कम कर देता है। जेएसईआरसी ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए 9.5 प्रतिशत मानक एपीसी निर्धारित किया था। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए टीटीपीएस की वास्तविक एपीसी तालिका 2.1.3 में दर्शायी गयी है।

टेबल 2.1.3: ऑक्सीलियरी पावर 2011-12 से 2015-16 के दौरान

क्र. स.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	ऊर्जा उत्पादन (एमयु)	2280.42	2922.00	2256.14	2380.46	2636.31
2	वास्तविक सहायक उपभोग (एमयु)	221.34	304.83	254.71	270.04	308.03
3	जेएसईआरसी के तय 9.5 प्रतिशत मानक पर सहायक उपभोग	216.64	277.59	214.33	226.14	250.45
4	वास्तविक सहायक उपभोग (प्रतिशत में)	9.71	10.43	11.29	11.34	11.68
5	जेएसईआरसी मानक से ज्यादा सहायक उपभोग (प्रतिशत में)	0.21	0.93	1.79	1.84	2.18
6	ज्यादा सहायक उपभोग (एमयु)	4.70	27.24	40.38	43.90	57.58
7	योगदान (₹/केडब्ल्यूएच)	0.87	1.35	1.36	1.54	0.99
8	अति सहायक उपभोग का योगदान राशि (₹ करोड़ में)	0.41	3.68	5.49	6.76	5.70

(स्रोत: कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण से संकलित)

चार्ट 2.1.4: वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान वास्तविक एपीसी, मानक एपीसी एवं अति एपीसी



उपरोक्त तालिका 2.1.3 एवं चार्ट 2.1.4 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2011-12 में जेएसईआरसी मानक 9.5 प्रतिशत के विरुद्ध वास्तविक एपीसी 9.71 प्रतिशत थी जो लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2015-16 में 11.68 प्रतिशत पहुँच गयी। उच्च एपीसी के कारण थे; मशीनों का पुराना होना, समय से मशीनों का ओवरहॉल नहीं करना, उत्पादन संयंत्र की इकाइयों की बैकिंग डाउन की वजह से उन्हें कम लोड पर चलाना, संचरण तंत्रों का बार-बार बंद होना और फिड पंप, कुलिंग वाटर पंप, वायु पंखे, कोल ग्राइंडिंग मिल एवं राख को नियंत्रित करने वाले यंत्रों इत्यादि जैसे उपस्करों का अपनी क्षमता से कम काम करना। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए एआरआर को यथार्थ रूप देते समय जेएसईआरसी ने प्लांट के उच्चतर एपीसी को मंजूर नहीं किया था; क्योंकि उत्पादन दर विनियम, 2010 के अनुसार यह नियंत्रित किया जा सकने लायक मानक था।

लेखापरीक्षा ने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी पाया कि चार यूनिट ऑक्सीलियरी ट्रांसफार्मरों<sup>16</sup> (यूएटी) को प्लांट की प्रारंभिक कमिश्निंग के समय से ही कमिशन नहीं किया गया था जो कि एपीसी को कम कर सकता था। इसका कारण निधि की कमी बतायी गयी थी।



#### यूनिट ऑक्सीलियरी ट्रांसफार्मर टीटीपीएस में अनुपयोगी अवस्था में

कंपनी ने जेएसईआरसी द्वारा तय मानक से ₹ 56.79 करोड़ के 173.80 एमयू ज्यादा सहायक ऊर्जा उपभोग किया और वर्ष 2011-12 से 2015-16 के बीच ₹ 22.04 करोड़ के योगदान राशि से वंचित रही।

इस प्रकार कंपनी ने जेएसईआरसी के मानक से 173.80 एमयू अधिक सहायक ऊर्जा का उपभोग किया जिसका मूल्य ₹ 56.79 करोड़ था और वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में कंपनी ₹ 22.04 करोड़ के योगदान से वंचित रही।

कंपनी ने (जून 2016) में कहा कि जेएसईआरसी ने दोनों इकाइयों के लिए 85 प्रतिशत पीएलएफ को ध्यान में रखकर सहायक ऊर्जा उपभोग के लक्ष्य को निर्धारित किया था, तथापि विविध तकनीकी कारणों, जैसे इकाइयों का बैकिंग डाउन किया जाना, निम्न दर्जे का कोयला, मशीनों का पुराना होना, ओवरहॉल का समय पर न होना, संचरण तंत्र का बार-बार बंद होना आदि की वजह से कम लोड पर इन इकाइयों को परिचालित किया जो उच्च एपीसी के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी ने यह

<sup>16</sup> पावर ट्रांसफार्मर, उर्जा उत्पादन केन्द्र के सहायक उपकरणों के सामान्य संचालन के दौरान उर्जा प्रदान करता है।

भी कहा कि यूएटी को सहायक ट्रांसफार्मरों को पूँजी उपलब्ध होते ही चालू कर दिया जायेगा।

कंपनी का उत्तर एपीसी की ऊँची दर के लिए वाजिब वजह के रूप में पर्याप्त नहीं है; क्योंकि कंपनी संयंत्र के कुशल प्रबंधन, ससमय मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा यूएटी की कमिशनिंग के द्वारा ऊँची एपीसी के लिए जिम्मेदार अधिकांश कारकों को नियंत्रित कर सकती थी। यूएटी की कमिशनिंग के लिए निधि की कमी संबंधी प्रबंधन की दलील भी स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कंपनी को अल्पावधि जमा के रूप में रखी गयी उपलब्ध निधि को इस अत्यावश्यक कार्य को संपन्न करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए था।

### **प्लांट का पूँजीगत ओवरहॉल कराने में देरी**

2.1.9.4 संयंत्र एवं उपस्कर की कार्यकुशलता एवं विद्युत उत्पादन के लिए उनकी उपलब्धता इनके वार्षिक अनुरक्षण एवं उपस्करों के ओवरहॉल संबंधी समय-अनुसूची के सख्त अनुपालन पर निर्भर करती है। इन समय अनुसूचियों के अनुपालन की विफलता की वजह से कोयला एवं ईंधन तेल की उच्चतर खपत एवं उच्चतर बलात् उत्पादन बंदी होती है; परिणामतः उत्पादित विद्युत की लागत में वृद्धि होती है। मूल उपस्कार निर्माता भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) की नियमावली के अनुसार संयंत्र का पूँजीगत अनुरक्षण 25000 घंटे चलने से पहले हो जाना चाहिए। टीटीपीएस ने इकाई एक का अंतिम पूँजीगत ओवरहॉल जून 2008 में तथा इकाई दो का मई 2010 में किया था और वह पुनः क्रमशः मई 2012 एवं जुलाई 2014 में होना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने इकाई एक के पूँजीगत ओवरहॉल की योजना जुलाई 2013 के लिए बनायी थी जो जुलाई 2014 के लिए पुनर्निर्धारित की गयी और फिर जून 2015 में नियोजित की गयी।

लेकिन पूँजीगत ओवरहॉल का काम नियत समय पर नहीं हो पाया। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि हालांकि पूँजीगत ओवरहॉल के लिए निर्धारित 25000 घंटे के मुकाबले मई 2016 तक इकाई एक 53037 घंटे तथा इकाई दो 40917 घंटे चल चुकी थी। बॉयलर ट्यूब में रिसाव के कारण अप्रैल से जून 2014 में इकाई एक बॉयलर को अनेक बार बंद करना पड़ा और पाँच दिनों के लिए उत्पादन बन्द करना पड़ा। साथ ही जेनरेटर के रोटर स्लीप रिंग में खराबी आने एवं उसको बदलने हेतु इकाई एक को 12 जुलाई 2014 से 53 दिनों के लिए बंद करना पड़ा एवं बायलर ट्यूब में रिसाव के कारण अक्टूबर 2014 में इकाई एक को पुनः 25 दिनों के लिए बंद करना पड़ा।

जेनरेटर के संपूर्ण ओवरहॉल का कार्यादेश भेल को सौंपे जा चुकने और इस इकाई को 78 दिनों के लिए बंद किये जाने के बावजूद नियोजन एवं पूँजीगत ओवरहॉल करने की तैयारी के अभाव में ओवरहॉल का काम हाथ में नहीं लिया गया। पुनः मई 2015



यूनिट-1 वर्ष 2013-14 से 2015-16 के बीच 102 बार ट्रिप किया; परिणामस्वरूप इकाई एक 5811 घंटों एवं इकाई दो इसी अवधि के दौरान 100 बार ट्रिप किया एवं 4291 घंटे तक जबरन बंद रहा।

से अगस्त 2015 की अवधि के लिए बनी दोनों इकाइयों के ओवरहॉल की योजना भी कार्यरूप नहीं ले सकी। निधि की कमी और शटडाउन के लिए जेयूवीएनएल की अनुमति का अभाव इसके लिए कारण बताये गये। पूँजीगत ओवरहॉल के अभाव में 2013-14 से 2015-16 की अवधि में इकाई एक को 102 बार ट्रिपिंग और फलतः 5811 घंटे की बंदी का सामना करना पड़ा। इसी तरह उसी अवधि में इकाई दो की 100 बार ट्रिपिंग हुई और 4291 घंटे की बंदी झेलनी पड़ी। लेकिन कंपनी ने इन इकाइयों की दयनीय स्थिति एवं पूँजीगत ओवरहॉल करने में स्वयं के समक्ष विद्यमान कठिनाइयों का वर्णन जेएसईआरसी के समक्ष नहीं किया। इकाई एक के पूँजीगत ओवरहॉल का काम अंततः जुलाई 2016 में हाथ में लिया गया। इस प्रकार इकाई एक का पूँजीगत ओवरहॉल, जो बहुत पहले होना था, उसे 49 महीनों के विलम्ब के पश्चात् आरंभ किया गया और इकाई दो का पूँजीगत ओवरहॉल, जो 28 माह पहले ही हो जाना चाहिए था, इसे अभी भी (नवम्बर 2016) आरंभ नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इकाई एक के लिए ₹ 13.81 करोड़ की लागत से दिसम्बर 2012 में खरीदे गये उन्नत कंट्रोल एवं इंस्ट्रुमेंटेशन सिस्टम, जिसे इस इकाई के पूँजीगत ओवरहॉल के दौरान चालू करना था, अभी तक चालू (अक्टूबर 2016) नहीं किया जा सका है।

कंपनी ने कहा (जुलाई 2016) कि जो पूँजीगत ओवरहॉल 17 जून 2014 से 31 जुलाई 2014 के दौरान किया जाना निश्चित किया गया था उसे प्लांट को शट डाउन करने के लिए जेयूवीएनएल के सहमत नहीं होने की वजह से आरंभ नहीं किया गया। साथ ही निधि की भी कमी थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि संयंत्र का पूँजीगत ओवरहॉल उसके कुशल संचालन एवं उसकी लंबी आयु के लिए आवश्यक था और इसका समय से क्रियान्वयन कंपनी की जिम्मेदारी थी। जिसके लिए स्वयं कंपनी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए था। इतना ही नहीं बल्कि इन इकाइयों के पूँजीगत ओवरहॉल का समय सुनिश्चित था और समय रहते जेयूवीएनएल को यह सूचित किया जा चुका था। निधि की कमी संबंधी तर्क भी स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि अनुरक्षण एवं मरम्मत पर होने वाला वास्तविक खर्च 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए टैरिफ आदेश में जेएसईआरसी द्वारा मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए अनुमोदित खर्च से बहुत कम था। साथ ही इस अवधि में कंपनी ने अल्पावधि जमा में बड़ी धनराशि रख छोड़ी थी।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि लेखापरीक्षा दल द्वारा लिये गये साक्षात्कार में महाप्रबंधक, टीटीपीएस ने कहा कि संयंत्र का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण जरूरी है और बहुत सारे पंप, पंखे, मोटर, नलिकाएँ एवं पाइपलाइन क्षयग्रस्त हो चुके हैं। अतः उपस्करों एवं इकाइयों का समय पर ओवरहॉल किया जाना चाहिए था।

### प्रदर्शन में सुधार के लिए परामर्शी कंपनी की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाना

2.1.9.5 कंपनी ने यांत्रिक एवं विद्युतीय अनुरक्षण, कंट्रोल एवं इंस्ट्रुमेंटेशन (सी एण्ड आई) और अनुरक्षण नियोजन आदि के क्षेत्र में इन इकाईयों के परिचालन एवं अनुरक्षण संबंधी प्रबंधन में 24 महीने के लिए सहयोग के रूप में परामर्शी सेवाएँ देने हेतु एनटीपीसी को ₹ 6.79 करोड़ का कार्यादेश जारी किया था (मई 2009)। साथ ही ₹ 20 लाख का एक अन्य कार्यादेश तकनीकी लेखापरीक्षा, अंतर विश्लेषण और प्रदर्शन में सुधार-योजना (पीआईपी) बनाने हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए एनटीपीसी को दिया गया। इसके तहत पावर स्टेशन का पूरा अध्ययन करके अंतर विश्लेषण एवं प्रदर्शन में सुधार-योजना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मई 2009 से अगस्त 2010 के मध्य की अवधि में एनटीपीसी के परामर्शी दल ने ट्रिपिंग, बॉयलर ट्यूब से रिसाव, राख में बिन जले कार्बन इत्यादि को कम करने एवं उष्मा-दर में सुधार के लिए उपाय बताए थे। हालांकि इन्होंने कहा (सितम्बर 2010) कि टीवीएनएल ने उनके केवल 25 प्रतिशत सुझावों पर ही अमल किया जो संतोषजनक नहीं था। साथ ही पीआईपी के लिए रोड मैप का क्रियान्वयन दीर्घावधि एवं अल्पावधि के लिए लक्षित प्रदर्शन-स्तर का निर्धारण रिकार्ड में नहीं था, जो इंगित करता है कि परामर्शदाताओं के अल्पावधि एवं दीर्घावधि के लिए सुझावों के क्रियान्वयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। इसके अलावा, संयंत्र के यूनिट ऑक्सीलियरी ट्रांसफॉर्मर, स्वचालित टरबाइन परीक्षण (एटीटी) प्रणाली, विद्युत हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली (ईएचजी), स्वचालित लूप और मुख्य ईंधन नियंत्रक, जो संयंत्र के आरम्भ से अभी तक चालू नहीं किये गये थे, सलाहकारों की देखरेख में चालू नहीं किये गये। इस प्रकार परामर्शी सेवाओं पर ₹ 6.06 करोड़ के व्यय के बावजूद भी संयंत्र के प्रदर्शन में वांछित सुधार नहीं हो सका।

प्रबंधन ने (जुलाई 2016) कहा कि एनटीपीसी द्वारा सुझाये गये अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों को थोड़ा-थोड़ा करके क्रियान्वित किया गया, बिन जले कार्बन को कम करने के लिए कार्रवाई की गई और टीटीपीएस की उष्मा-दर में सुधार हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि पीआईपी के क्रियान्वयन के लिए समन्वित कार्रवाई नहीं की गयी; परिणामतः प्रदर्शन में 2012-13 में जो सुधार हासिल किया गया था उसे कायम नहीं रखा जा सका। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट है कि बिन जले कार्बन एवं एपीसी के प्रतिशत में आगे के वर्षों में और वृद्धि हुई। आगे एनटीपीसी के सुझावों के आधार पर कंपनी ने पीएलएफ में सुधार, एपीसी ट्रिपिंग की संख्या और राख में बिन जले कार्बन में कमी लाने, संयंत्र एवं उपस्करों के निवारक अनुरक्षण, राख-प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, मानव-संसाधन-प्रबंधन इत्यादि में सुधार के लिए नवम्बर 2016 में एक कार्य योजना तैयार की है। हालांकि अभी भी इनका क्रियान्वयन किया जाना है।

### 2.1.10 विद्यमान संयंत्र एवं उपस्करों का इष्टतम उपयोग

ससमय मरम्मत/रखरखाव के साथ-साथ विद्यमान संयंत्रों एवं उपस्करों के उपयोग के लिए एक योजना की जरूरत होती है। कंपनी द्वारा संयंत्र के उन्नयन हेतु हाथ में ली गई परियोजनाओं की चर्चा निम्न कंडिकाओं में की गई है।

### 400 केवी के स्विचयार्ड के उन्नयन की विफलता के कारण क्षमता का न्यून उपयोग

2.1.10.1 टीपीएस से उत्पन्न बिजली को 400 केवी क्षमता के दो संचरण लाइनों द्वारा टीटीपीएस से बिहार राज्य बिजली बोर्ड के बिहार शरीफ ग्रिड तक और टीटीपीएस से जेयूएनएल के पतरातु थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) ग्रिड ले जाया जाना था। हालांकि स्विचयार्ड की क्षमता 220 केवी होने के कारण दोनों लाइनों का परिचालन 220 केवी पर ही हो रहा था। एक संचरण लाइन के खराब होने पर टीटीपीएस द्वारा उत्पादित होने वाली पूरी बिजली की निकासी नहीं हो सकती थी जिसके फलस्वरूप इस इकाई का उत्पादन बैक डाउन करना पड़ता था।

टीटीपीएस की प्रारंभिक कमिशनिंग (सितम्बर 1996) के बाद टीटीपीएस के डीपीआर के अनुसार निर्माणाधीन 400 केवी के स्विचयार्ड का काम भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल) द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया था और इसके द्वारा आपूर्ति किये गए उपकरण जिनमें ₹ 8.60 करोड़ मूल्य के 250 एमभीए<sup>17</sup> का इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर (आईसीटी) शामिल है, प्लांट के अहाते में पिछले 20 सालों से बेकार पड़ा था।

बिजली निकासी की इस बाधा को दूर करने के लिए कंपनी ने ₹ 22.70 करोड़ (15 प्रतिशत परामर्श शुल्क अतिरिक्त) की अनुमानित लागत से कास्ट-प्लस आधार पर टीटीपीएस के स्विचयार्ड में 400 केवी क्षमता के पाँच खण्डों के निर्माण का कार्य पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को सौंपा (जुलाई 2010)। इसके कार्यक्षेत्र में डिजाइन, इंजिनियरिंग, निविदा, खरीद, निर्माण एवं परियोजना प्रबंधन, परीक्षण और कमिशनिंग शामिल थे। यह कार्य 24 माह के अंदर जुलाई 2012 तक पूरा किया जाना था। हालांकि पीजीसीआईएल ने कार्यादेश निर्गत करने में 20 महीने का समय लिया और मेसर्स स्टार्लिंग एण्ड विल्सन लिमिटेड को ₹ 16.49 करोड़ के अनुबंध-मूल्य पर मार्च 2012 में कार्यादेश निर्गत किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि पीजीसीआईएल के साथ अनुबंध में कार्य को पूरा करने में हुई देरी के लिए कोई दण्डात्मक प्रावधान नहीं था और इस प्रकार कार्य के पूरा होने में हो रही देरी के खिलाफ कंपनी को कोई संरक्षण उपलब्ध नहीं था।

ठेकेदार ने कार्य सौंपने के 13 महीने बाद मई 2013 में कार्य शुरू किया। कार्यादेश के अनुसार 400 के.वी के पाँच खण्ड का निर्माण और 250 एमवीए का एक आईसीटी स्थापित किया जाना था। कंपनी को आईसीटी की खरीद करनी थी जिसके लिए उसने बीएचईएल को ₹ 8.60 करोड़ का क्रय आदेश दिया। जिसकी टीटीपीएस से उत्पन्न पूरी बिजली की निकासी के लिए आपूर्ति दिसंबर 2013 में पूरी की गयी। हालांकि, एक कंपनी ने अतिरिक्त आई.सी.टी और पाँच खण्डों के प्रावधान को अपर्याप्त पाया और कंपनी ने 250 एमवीए का एक अतिरिक्त आई.सी.टी स्थापित करने और इसके लिए एक अतिरिक्त खण्ड का निर्माण करने का निर्णय लिया

<sup>17</sup> मेगावोल्ट एंपीयर (एमवीए) एक विद्युतीय सर्किट में प्रत्यक्ष उर्जा मापने हेतु एक यूनिट है जिससे कुल विद्युत प्रवाह एवं वोल्टेज मापा जाता है।

(जून 2013)। इस तरह कार्यक्षेत्र को संशोधित कर एक अतिरिक्त खण्ड का निर्माण, पुराने आई.सी.टी और एक 50 एमवीएआर शंट रिेक्टर<sup>18</sup> की कमिशनिंग शामिल किया गया। तदनुसार, अनुबंध की कीमत संशोधित कर ₹ 20.18 करोड़ (दिसम्बर 2015) किया गया। इस तरह पीजीसीआईएल को कार्य सौंपने के 64 महीनों के बाद कार्यक्षेत्र को संशोधित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि टीवीएनएल के द्वारा नींव कार्य के पूरा होने में देरी, आपूर्तिकर्ता बीएचईएल के द्वारा आई.सी.टी की कमिशनिंग के लिए अपने इंजिनियरों को प्रतिनियुक्त नहीं किये जाने के कारण नए आइ.सी.टी की कमिशनिंग में देरी और पीजीसीआईएल को भुगतान में देरी के कारण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी। साथ ही पुराने आईसीटी और शंट रिेक्टर के निरीक्षण के पश्चात् आंतरिक समस्याएँ सूचित की गईं जिन्हें अभी तक नहीं सुधारा गया।

अतः दोषपूर्ण योजना और कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण स्विचयार्ड के अपग्रेडेशन में 52 महीने का विलंब हुआ और वह अभी भी (नवंबर 2016) पूरा नहीं हो सका है। परिणामस्वरूप, 2011-12 से 2015-16 के दौरान उत्पादन इकाइयों की बैंकिंग डाउन की वजह से 971 एमयू बिजली के उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ा और कंपनी ₹ 267.51 करोड़ के राजस्व से वंचित रही जिससे ₹ 107.15 करोड़ के योगदान (बिक्रय मूल्य घटाव परिवर्तनीय लागत) का नुकसान उठाना पड़ा।

त्रुटिपूर्ण योजना एवं कार्यक्षेत्र में बदलाव के कारण स्विचयार्ड के उन्नयन कार्य में 52 महीने की देरी हुई



### टीटीपीएस में अपूर्ण स्विचयार्ड लाइन

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2016) कि स्विचयार्ड का उन्नयन तकनीकी परिवर्तनों तथा कार्यक्षेत्र में संशोधन कर उसमें पाँच की जगह छः खण्डों के निर्माण को शामिल किए जाने के कारण पूरा नहीं हुआ तथा आर्थिक तंगी के कारण भुगतान में देरी हुई। प्रबंधन ने आगे कहा कि यह कार्य मार्च 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

हालांकि तथ्य यह है कि कार्य को एक योजनाबद्ध रूप से एवं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित नहीं किया गया जो कार्य देने के 64 महीने बाद कार्यक्षेत्र में संशोधन से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त कंपनी को धन की उपलब्धता निश्चित समय पर करनी चाहिए थी क्योंकि 2014-15 एवं 2015-16 के बजट में इस काम के लिए क्रमशः

<sup>18</sup> 50 एमवीएआर शंट रिेक्टर जो मार्च 2014 में असंबद्ध हो गया था जिसे 400 केवी स्विचयार्ड में कमीशन किया जाना था।

₹ 20 करोड़ और ₹ 14.61 करोड़ का आवंटन किया जा चुका था और साथ ही कंपनी ने बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में पर्याप्त धन रख छोड़ा था। जेएसईआरसी ने भी कंपनी को निर्देश दिया था (सितम्बर 2016) कि वह 220 केवी के मौजूदा ऑपरेटिंग वोल्टेज के विरुद्ध 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन संचालित करने हेतु स्विचयार्ड के उन्नयन का कार्य पूरा करे।

### 2.1.11 ईंधन की खपत

#### राख में बिन जले कार्बन की उच्च मात्रा के कारण कोयले की अधिक खपत

2.1.11.1 टीटीपीएस के लिए बॉटम राख में 2 प्रतिशत बिन जले कार्बन और फ्लाई राख में 0.5 प्रतिशत बिन जले कार्बन की अभिकल्पना की गयी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में बॉटम राख में वास्तविक बिन जला कार्बन 9.96 प्रतिशत से 12.66 प्रतिशत और फ्लाई राख में बिन जला कार्बन 4.87 प्रतिशत से 5.53 प्रतिशत के बीच रहा जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त वर्षों के दौरान बिन जले कार्बन की मात्रा 1,68,545 एमटी अधिक रही।

यह देखा गया कि संयंत्र के कार्य-संपादन में सुधार के लिए नियुक्त एनटीपीसी के परामर्शी दल के द्वारा राख में बिन जले कार्बन में कमी लाने के लिए कई कदमों की सिफारिश की गई थी (अगस्त 2010)। इसके अनुसार मिलिंग प्लांट के भरोसेमंद संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी तत्व को हटाना, नए या दोषपूर्ण उपकरणों की जाँच, क्षयकृत कोयला के बर्नर एवं बॉयलर के दूसरे भागों का प्रतिस्थापन आदि किया जाना था। हालांकि, इन सुझावों पर टीटीपीएस द्वारा की गयी कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है और राख में बिन जले कार्बन के प्रतिशत में कोई सुधार हासिल नहीं किया गया। इस तरह राख में बिन जले कार्बन की मात्रा अभिकल्पित मापदण्ड से अधिक होने के परिणामस्वरूप 1,68,545 एमटी कोयले की अधिक खपत हुई जिसका मूल्य ₹ 35.10 करोड़ था।

अधजले बॉटम राख एवं फ्लाई राख, प्लांट के संरचना मानक से ज्यादा होने के कारण पावर प्लांट ₹ 35.10 करोड़ के 168545 एमटी कोयले का ज्यादा उपभोग किया।

कंपनी ने (जुलाई 2016) कहा कि एनटीपीसी दल के सुझाव के आधार पर कार्रवाई की गयी और ताप की दर में सुधार हासिल किया गया है।

ताप केन्द्र में ताप की दर आपूर्ति किये गये कोयले के कैलोरी मूल्य का कारक है और वह बेहतर कोयले की उपलब्धता पर निर्भर है। हालांकि बॉटम राख में बिना जले कार्बन का उच्च प्रतिशत कई अन्य कारकों पर निर्भर है, जैसा कि परामर्शी एनटीपीसी के द्वारा अंकित किया गया है। इस तरह इकाई एक में बॉटम राख में बिन जले कार्बन का प्रतिशत 2012-13 में 10.68 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 15.23 प्रतिशत हो गया और उसी साल इकाई दो में यह 9.24 प्रतिशत से 10.09 प्रतिशत हो गया था। इससे यह उजागर होता है कि कंपनी द्वारा कोयले से बाहरी तत्वों को हटाने, बर्नर में सुधार और बेहतर गुणवत्ता के उपकरण के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये थे। लेखापरीक्षा दल के द्वारा साक्षात्कार में महाप्रबंधक, टीटीपीएस ने उल्लेख किया कि फ्लाई राख एवं बॉटम राख में उच्च मात्रा में बिन जले कार्बन के कारण टीटीपीएस का परिचालन प्रदर्शन बाधित हुआ।

### ईंधन तेल की अधिक खपत


2.1.11.2 लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) कोयले के पूरक के रूप में ब्याॅलर को सुलगाने के लिए और लौ की अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए जेएसईआरसी द्वारा तय मानकों के अनुसार एलडीओ की खपत एक मि.ली. प्रति केडब्लूएच से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान एलडीओ की खपत निर्धारित सीमा के अंदर नहीं हुई थी जैसा कि तालिका 2.1.4 एवं चार्ट 2.1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.4: 2011-12 से 2015-16 के दौरान एलडीओ की खपत

क्र. स.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	ऊर्जा उत्पादन (एमयु)	2280.42	2922.00	2256.14	2380.46	2636.31
2	वास्तविक तेल खपत (केएल)	4674.00	4702.21	4138.30	3307.80	3042.10
3	मानक के अनुरूप तेल खपत (केएल)	2280.42	2922.00	2256.14	2380.46	2636.31
4	वास्तविक तेल खपत (एमएल प्रति केडब्लूएच)	2.05	1.61	1.83	1.39	1.15
5	मानक से ज्यादा तेल खपत (केएल)	2393.58	1780.21	1822.16	927.34	405.79
6	प्रति केएल औसत खरिद लागत (₹ में)	55195.82	62447.96	64933.24	58350.44	42506.15
7	अतिरिक्त खपत किये गये तेल का मूल्य (₹ करोड़ में)	13.21	11.12	11.83	5.41	1.72

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रस्तुत विवरण से संकलित)

चार्ट 2.1.5: मानक से ज्यादा एलडीओ की खपत



ऊपर दी गई तालिका एवं चार्ट में यह देखा जा सकता है कि कंपनी ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान एक मि.ली. प्रति केडब्लूएच के जेएसईआरसी मानक को प्राप्त नहीं कर सका और एलडीओ की वास्तविक खपत 1.15 से 2.05 मि.ली. प्रति केडब्लूएच के बीच रही। इसके परिणामस्वरूप मानक से 7329.08 किलो लीटर अधिक तेल की खपत हुई जिसका मूल्य ₹ 43.29 करोड़ था।

जेएसईआरसी मापदण्डों से अधिक तेल की खपत कोयले की निम्न गुणवत्ता के कारण यूनितों का बार-बार ट्रिपिंग, पारेषण लाइनों की ट्रिपिंग, पारेषण लाइनों के रखरखाव की समस्या के कारण उत्पादन इकाई के बैंकिंग डाउन के कारण थी। यह पाया गया कि एलडीओ की अधिक खपत के कारण जेएसईआरसी ने 2011-12 के लिए टीवीएनएल के टैरिफ ऑर्डर में वास्तविकता के आधार पर व्यय का अनुमोदन (डू अप) करते समय ₹ 8.49 करोड़ का अधिक व्यय अस्वीकृत कर दिया। अतः टीवीएनएल को 2011-12 में ₹ 8.49 करोड़ का नुकसान हो चुका है और आगे 2012-13 से 2015-16 के दौरान एलडीओ की अधिक खपत के कारण ₹ 30.08 करोड़ का नुकसान होगा; यदि जेएसईआरसी द्वारा मापदण्डों से अधिक खर्चों को अस्वीकृत कर दिया जाता है।

कंपनी ने कहा (जुलाई 2016) कि पारेषण लाइनों में खराबी और समय पर निवारक रखरखाव की कमी के कारण इकाईयों की ट्रिपिंग के परिणामस्वरूप तेल की खपत में वृद्धि हुई।

कंपनी का उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन की पुष्टि करता है।

### 2.1.12 इनपुट दक्षता

एक ऊर्जा उत्पादन कंपनी की परिचालन दक्षता इनपुट दक्षता, जिसमें सामग्री और मानवशक्ति शामिल है, पर निर्भर करती है। इन पहलुओं पर चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है।

#### **कोयले की कमी/खराब गुणवत्ता के कारण बिजली उत्पादन में हानि**

2.1.12.1 कंपनी की इकाईयाँ कोयले की कमी और सीसीएल द्वारा आपूर्ति किये गये कोयले की खराब गुणवत्ता के कारण 2011-12 से 2015-16 के दौरान 15 बार ट्रिप हुई। इसके परिणामस्वरूप प्लांट के 1554 कार्यकारी घंटे की हानि हुई; फलस्वरूप कंपनी को 326.39 एमयू की उत्पादन-हानि उठानी पड़ी जिसका मूल्य ₹ 50.24 करोड़ था और ₹ 21.68 करोड़ के योगदान राशि की हानि हुई।

कंपनी ने कहा (जुलाई 2016) कि कम मात्रा में कोयला खरीदने का मुख्य कारण कोयले की खरीद के लिए राशि के भुगतान करने में उसकी असमर्थता थी और यह भी कि कोयले की आवश्यकता उस अवधि के दौरान कम थी। इसके अलावा आवश्यक ग्रेड का कोयला उपलब्ध नहीं होने के कारण कोयले की आपूर्ति 2011-12 में बंद थी और 2014-15 में बेस्ट बोकारो कोलियरी से कोयले की दुलाई स्थानीय समस्याओं के कारण बाधित थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कोयले की खरीद और पर्याप्त भण्डारण विद्युत उत्पादन के लिए प्रमुख आवश्यकता है जिसे कंपनी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

### **कोयले की खराब गुणवत्ता के लिए दावों की वसूली में विफलता**

2.1.12.2 प्रत्येक ताप केंद्र एक विशिष्ट श्रेणी के कोयले के इस्तेमाल के लिए अभिकल्पित किया जाता है। परिकल्पित श्रेणी के कोयले का इस्तेमाल ऊर्जा का इष्टतम उत्पादन और उत्पादन लागत का लाभकारी होना सुनिश्चित करता है।

ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के खण्ड 4.2 के अनुसार, आपूर्तिकृत कोयले की गुणवत्ता का आकलन और इसकी निगरानी की व्यवस्था सीसीएल द्वारा की जानी थी। कोयले की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, कोयले के नमूने को क्रेता और विक्रेता द्वारा लोडिंग प्वायन्ट पर एकत्र किया जाना और कोयले में नमी, राख की मात्रा और सकल कैलोरी मूल्य (जीसीवी) के निर्धारण के लिए विश्लेषण किया जाना था। तदनुसार टीवीएनएल द्वारा प्राप्त कोयले की गुणवत्ता को कोयले में अधिक नमी<sup>19</sup> और कोयले के ग्रेड के लिए समायोजित किया जाना था। विवादित विपत्रों के निपटान के पश्चात् दावों की राशि को प्रत्येक महीने में भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोयले का औसत जीसीवी टीटीपीएस के प्रयोगशाला में परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 में 4041 कि.कै./कि.ग्रा., 2013-14 में 3878 कि.कै./कि.ग्रा., 2014-15 में 3589 कि.कै./कि.ग्रा. और 2015-16 में 3614 कि.कै./कि.ग्रा. था। यह टीटीपीएस के लिए अभिकल्पित 4200 कि. कै./कि.ग्रा. जीसीवी कोयले की आवश्यकता की अपेक्षा कम थी।

कंपनी ने 2012-13 से 2015-16 के लिए अपने एमवाईटी याचिका में जेएसईआरसी को सूचित किया कि सीसीएल द्वारा आपूर्तित कोयले की गुणवत्ता बहुत खराब थी। जेएसईआरसी ने एमवाईटी ऑर्डर (मई 2012) में टीवीएनएल को निर्देश दिया था कि अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के लिए सीसीएल से वार्तालाप करे और इसके परिणाम को सूचित करे। इसके अनुपालन में टीवीएनएल ने जेएसईआरसी को सूचित किया कि मई 2012 में सीसीएल के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13 से 2015-16 के दौरान सीसीएल के द्वारा आपूर्तित कोयले की गुणवत्ता एफएसए करने के बाद भी खराब पायी गयी। हालांकि टीवीएनएल ने जेएसईआरसी के सामने इस मामले को फिर से नहीं उठाया और इस प्रकार जेएसईआरसी द्वारा कोई प्रतिकारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एफएसए के अनुसार संयुक्त प्रतिचयन (ज्वायंट सैंपलिंग) सीसीएल द्वारा नहीं किया जा रहा था। सीसीएल द्वारा लोडिंग सिरों पर प्रतिचयन के लिए कुछ कोयला खदानों पर तीसरी एजेंसी नियुक्त की गयी थी, हालांकि प्रतिचयन कार्य ठीक से आयोजित नहीं किया गया। कंपनी ने यह स्वीकार किया कि टीटीपीएस

<sup>19</sup> यदि कोयला में सतही नमी अक्टूबर से मई के दौरान मासिक भारत औसत सात प्रतिशत एवं प्रतिशत जून से सितंबर के दौरान मासिक नौ प्रतिशत।



के प्रतिनिधि प्रतिचयन के समय उपस्थित नहीं रहते थे जो कि आवश्यक था। सीसीएल से पूछे जाने पर यह पुष्टि की गई कि टीटीपीएस के प्रतिनिधि अधिकतर मामलों में मौजूद नहीं रहते थे।

इसके अलावा, टीटीपीएस कोलयाई से कोयले के नमूनों का विश्लेषण टीटीपीएस प्रयोगशाला में किया जा रहा था। हालांकि कोयले के नमूनों में राख की मात्रा, जीसीवी और नमी की मात्रा के संदर्भ में सीसीएल द्वारा विपत्रित कोयले के ग्रेड से टीटीपीएस प्रयोगशाला का परीक्षण-परिणाम एक समान नहीं होता था। चूँकि टीटीपीएस को प्राप्त कोयला ज्यादातर सीसीएल द्वारा बिल किये गये कोयले के ग्रेड की तुलना में कम था अतः कंपनी ने मई 2012 से सितंबर 2015 के दौरान कोयले के ग्रेड फिसलन के मद में ₹ 27.46 करोड़ और नमी के उच्च प्रतिशत के मद में ₹ 22.16 करोड़ का दावा किया था। हालांकि सीसीएल ने कंपनी द्वारा अपने प्रयोगशाला में कोयले के विश्लेषण के आधार पर किये गये दावों को स्वीकार नहीं किया और ग्रेड फिसलन पर केवल ₹ 1.29 करोड़ और नमी के उच्च प्रतिशत पर केवल ₹ 2.17 करोड़ स्वीकार किया।

कंपनी ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान सड़क मार्ग से प्राप्त कोयले के साथ बड़े आकार के गोलों/पत्थरों के लिए ₹ 6.40 करोड़ का दावा किया था। हालांकि सीसीएल ने सड़क मार्ग से कोयले की आपूर्ति के मामले में बड़े पत्थरों के भुगतान के दावे के लिए एफएसए में प्रावधान नहीं होने का हवाला देकर (मार्च 2015) स्वीकार नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई के लिए कार्यादेश में कोयले की लोडिंग के समय पत्थरों को अलग करने का प्रावधान था। यदि कोयले के साथ पत्थर की ढुलाई की जाती है, तो उसकी कीमत ट्रांसपोर्टर के विपत्रों से वसूल की जानी थी। हालांकि, कंपनी ने ट्रांसपोर्टरों से पत्थर के लिए कोयले की कीमत वसूल नहीं की और इस तरह यह दावा न तो ट्रांसपोर्टर और न ही सीसीएल से वसूला गया।

**कंपनी ग्रेड फिसलन, उच्च आद्रता प्रतिशत एवं कोयले में बड़े आकार के पत्थर से संबंधित ₹ 56.02 करोड़ के दावा वसूलने में असफल रही।**

इस तरह कंपनी कोयले में ग्रेड फिसलन, नमी के उच्च प्रतिशत और आपूर्तित कोयले में बड़े आकार के पत्थरों की आपूर्ति के लिए ₹ 56.02 करोड़ के दावे को प्राप्त करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की उत्पादन-लागत में वृद्धि हुई।

कंपनी ने उत्तर में कहा (जुलाई 2016) कि सीसीएल द्वारा अधिकांश कोयला खदानों में कोयले के विश्लेषण के लिए सैम्पलर को नियुक्त नहीं किया गया था और टीटीपीएस अपने टीटीपीएस के प्रयोगशाला में किये गये जाँच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत दर्ज कर रहा था। कंपनी ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश (नवंबर 2015) के अनुसार लोडिंग बिन्दु पर कोयले के प्रतिचयन के संचालन के लिए केन्द्रीय माइनिंग एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सिमफर) को नियुक्त (अक्टूबर 2016) किया है। आगे यह भी कहा कि बड़े आकार के पत्थर के लिए दावे की वसूली के लिए जोर नहीं दिया गया; क्योंकि वसूली गई राशि ट्रांसपोर्टरों को हस्तांतरित की जानी थी।

तथ्य यह है कि कंपनी एफएसए में प्रावधान के अनुसार लोडिंग बिन्दु पर अपने सैम्पलर को नियुक्त करने में विफल रही। इसके अलावा, कंपनी ने अभी तक ट्रांसपोर्टर्स से पत्थर के एवज में कोयले की कीमत वसूल नहीं की है। साथ ही कंपनी सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु सीसीएल के द्वारा आपूर्ति कोयले की खराब गुणवत्ता का मामला जेएसईआरसी को प्रतिवेदित करने में विफल रही।

**वार्षिक अनुबंधित मात्रा के अनुसार कोयला उठाने में विफलता**

2.1.12.3 ईंधन आपूर्ति समझौते के अनुसार, यदि एक साल में विक्रेता के द्वारा कोयला की डिलीवरी या क्रेता द्वारा कोयले के उठान का स्तर वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के 90 प्रतिशत से कम रहता है तो दोषी पार्टी डिलीवरी के स्तर या उठान के स्तर में ऐसी कमी के लिए दूसरी पार्टी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार थी। इसी तरह यदि विक्रेता एसीक्यू के 90 प्रतिशत से अधिक कोयला देता तो खरीदार द्वारा निर्धारित फॉर्मूला के अनुसार विक्रेता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करना था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान कोल लिंकेज की तय स्थिति एवं प्राप्त कोयले को तालिका 2.1.5 में दिया गया है

**तालिका 2.1.5. वार्षिक अनुबंधित मात्रा के अनुसार उठाव**

क्र. स.	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	कोल लिंकेज/ एफएसए मात्रा (लाख एमटी )	20.00	20.00	20.00	20.00
2	प्राप्त कोयले की मात्रा (लाख एमटी )	20.69	17.50	16.75	21.47
3	प्राप्त कोयले की मात्रा में कमी (-)/ वृद्धि (+)	(+)0.69	(-)2.50	(-)3.25	(+)1.47
4	कमी (-)/वृद्धि (+) प्रतिशत	(+)3.45	(-)12.50	(-)16.25	(+)7.35
5	कोयले की खपत की मात्रा (लाख एमटी)	21.17	16.02	18.70	19.95

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रस्तुत विवरण से संकलित)

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 में कोयले की खरीद की मात्रा वार्षिक अनुबंधित मात्रा की तुलना में क्रमशः 12.50 प्रतिशत और 16.25 प्रतिशत कम रही। जबकि कोयले की खरीद की मात्रा 2012-13 में एसीक्यू से 3.45 प्रतिशत और 2015-16 में 7.35 प्रतिशत अधिक थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि टीटीपीएस ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 में आवंटित कोयले से 5.75 लाख मीट्रिक टन उठान करने में विफल रहा और कंपनी को (एफ.एस.ए. के अनुसार) (मार्च 2016) कम से कम 90 प्रतिशत कोयले के उठान में विफलता के कारण मुआवजे के रूप में

₹ 2.45 करोड़ भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार एफएसए के अनुसार कोयले के उठान में विफलता के कारण ₹ 2.45 करोड़<sup>20</sup> की परिहार्य हानि सहनी पड़ी।

कंपनी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि कोयले का कम उठान होने का मुख्य कारण था इस अवधि के दौरान कोयले की कम आवश्यकता का होना।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि वर्ष 2014-15 में खपत हुए कोयले का परिमाण (18.70 लाख मीट्रिक टन) प्राप्त हुए कोयला से अधिक था (16.75 लाख मीट्रिक टन)। इसके अलावा एसीक्यू के पूरे कोयले की मात्रा का 2015-16 में उपयोग किया जा सकता था क्योंकि 2015-16 में जो कोयला प्राप्त हुआ था (21.47 लाख मीट्रिक टन) वह एसीक्यू से अधिक था जिसपर कंपनी को प्रदर्शन प्रोत्साहन दिया जाना था।

### **रेल द्वारा लक्ष्य से कम कोयले की ढुलाई**

2.1.12.4 सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा आवंटित कोयला की ढुलाई 23 से 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित पूर्व और पश्चिम बोकारो क्षेत्र की खानों से सड़क मार्ग द्वारा की जाती है। एमजीआर प्रणाली के चालू होने पर टीवीएनएल के निदेशक मण्डल ने (अक्टूबर 2015) प्रति माह 1.20<sup>21</sup> लाख एमटी कोयला की मात्रा एफएसए के (प्रतिमाह एफएसए के मात्रा 1.67 लाख मीट्रिक टन का 72 फीसदी) पीपरवार<sup>22</sup> क्षेत्र के खानों से निकालने और उसे रेल के माध्यम से परिवहन करने का फैसला किया। हालांकि टीटीपीएस ने नवम्बर 2015 से मार्च 2016 तक 6 लाख मीट्रिक टन कोयला ढुलाई के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3.61 लाख मीट्रिक टन कोयला रेल के माध्यम से ढुलाई किया जबकि उसी समय में सड़क मार्ग से 6.87 लाख मीट्रिक टन कोयले की ढुलाई की गयी थी। इस तरह 72 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले पूरी मात्रा का केवल 34 प्रतिशत कोयला रेल द्वारा ढोया गया था।

सड़क द्वारा लाए गए कोयले की औसत लागत<sup>23</sup> ₹ 2494 प्रति मीट्रिक टन से ₹ 2951 प्रति मीट्रिक टन थी। जबकि रेल द्वारा लाए गए कोयले की औसत लागत ₹ 2001 प्रति मीट्रिक टन से ₹ 2453 प्रति मीट्रिक टन रही।

**रेल द्वारा लक्षित मात्रा में कोयला के कम ढुलाई के कारण ₹ 8.32 करोड़ का अपरिहार्य व्यय हुआ।**

जिसका आशय यह है कि रेल द्वारा पीपरवार खान से परिवहन किये गये कोयले की लागत ₹ 132 से ₹ 610 प्रति मीट्रिक टन कम थी। इस प्रकार रेल द्वारा लक्षित कोयले की ढुलाई में विफलता के फलस्वरूप ₹ 8.32 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

कंपनी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि हालांकि पीपरवार खान से रेल द्वारा ढोये गये कोयले की लागत पूर्व और पश्चिम बोकारो की खानों के कोयले की लागत से कम थी लेकिन पीपरवार खानों के कोयले का तापीय मूल्य पूर्व और पश्चिम बोकारो की खानों के कोयले से कम था। कंपनी ने यह भी कहा की सीसीएल पीपरवार कोयले की कंपनी द्वारा माँगी गयी पूरी मात्रा का प्रेषण करने की अनुमति नहीं दी थी।

<sup>20</sup> ₹ 0.76 करोड़ 2013-14 में + ₹ 1.69 करोड़ 2014-15 में।

<sup>21</sup> एफएसए मात्रा का 1.67 लाख एमटी अर्थात् करीब एफएसए मात्रा का 72 प्रतिशत।

<sup>22</sup> पीपरवार अवस्थित है टीटीपीएस से करीब 100 किमी की दूरी पर।

<sup>23</sup> नवंबर 2015 से मार्च 2016 के दौरान।

जवाब स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि पीपरवार खानों से ढोये जाने वाले कोयले की मात्रा कंपनी के बोर्ड द्वारा ऊपर लिखे कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी।

**टैरिफ याचिका में कोयले की कमी के लिए दावा करने में विफलता**

2.1.12.5 टीटीपीएस के द्वारा जुलाई 2015 में गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार महीने के अंत में कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) में हवा, बारिश, नमी के वाष्पीकरण आदि के कारण कोयले के स्टॉक में नुकसान के लिए 0.4 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है। तदनुसार, सीएचपी ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान कोयले के स्टॉक में 43,857 मीट्रिक टन कोयले के नुकसान का आकलन किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेएसईआरसी को दायर टैरिफ याचिकाओं में कोयले के स्टॉक में उपरोक्त हानि के लिए भरपाई का दावा नहीं किया गया जिसके कारण उत्पादन लगातार में ₹ 8.14 करोड़ की वृद्धि हुई।

कंपनी ने स्वीकार किया (जुलाई 2016) कि कोयला स्टॉक में नुकसान वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के खाते में नहीं लिया गया था, हालांकि इसे कोयले की खपत में ले लिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कोयले के स्टॉक में नुकसान को सीएचपी द्वारा कोयले की खपत में परिकलन नहीं किया गया था।

**पानी की खपत मापने के लिए उपकरण स्थापित करने में विफलता**

2.1.12.6 टीटीपीएस अपने कॉलोनी तथा टीपीएस के लिए जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के तेनुघाट बाँध जलाशय से 1600 मी/घंटा की क्षमता वाले चार क्लारीफाईड वाटर पंप द्वारा पानी लेता है। इस पानी का बड़ा हिस्सा कंडेनसर को ठंडा करने में उपयोग के बाद खुले जलाशय में छोड़ दिया जाता है। हालांकि, टीटीपीएस द्वारा टीपीएस में उपयोग किये गए पानी और बाहर छोड़े गये पानी को मापने के लिए कोई भी उपकरण स्थापित नहीं किया गया था। कंपनी ने पानी निकालने और जल प्रभार के भुगतान के संबंध में विभाग के साथ कोई समझौता नहीं किया था। ऊर्जा विभाग ने टीटीपीएस द्वारा पानी की खपत का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया (मार्च 2011)। समिति ने एनटीपीसी के फरक्का में स्थित सुपर थर्मल पावर प्लांट का दौरा करने के बाद संयंत्र के डिजाइन मानकों के अनुसार टीटीपीएस प्लांट के लिए प्रतिवर्ष 15.50 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) और अपनी कॉलोनी के लिए प्रतिवर्ष 0.74 एमसीएम पानी की खपत निर्धारित की (जून 2015)। समिति की सिफारिश के अनुसार टीवीएनएल द्वारा जब से इसकी स्थापना हुई, कुल जल प्रभार ₹ 31.40<sup>24</sup> करोड़ देय था (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तेनुघाट डैम डिवीजन ने सीडब्लू पंप की क्षमता के आधार पर अगस्त 1996 से फरवरी 2015 तक की अवधि के लिए ₹ 1961.81 करोड़ (मार्च 2015) का दावा किया है। कंपनी अपने स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर जल प्रभार

<sup>24</sup> ₹ 1.61 करोड़ प्रतिवर्ष (16.24 एमसीएम x 1000000 x 219.97 गैलन x ₹ 4.50/1000) x 19.5 वर्ष

वास्तविक जल उपभोग मापने वाले यंत्र लगाने में विफल रहने से कंपनी पर ₹ 30.42 करोड़ का दायित्व भारित हुआ।

के मद में अक्टूबर 2009 से फरवरी 2015 तक के लिए ₹ 97.85 लाख का भुगतान किया। कंपनी ने पानी की वास्तविक खपत मापने के लिए प्रवाहमापी की आवश्यकता की पहचान करने के लिए और छः महीने में प्रवाहमापी की स्थापना की निगरानी के लिए एक कार्यदेश (अक्टूबर 2015) मेसर्स केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्लूपीआरएस), पुणे को दिया। इस प्रकार पानी की वास्तविक मात्रा को मापने के लिए उपकरण स्थापित करने में विफलता के कारण कंपनी को उपरोक्त वर्षों के दौरान कम से कम ₹ 30.42 करोड़ के जल प्रभार का भुगतान करना पड़ेगा जबकि अतिशय संयंत्र बंदी एवं कम पीएलएफ के कारण टीटीपीएस द्वारा पानी के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं हुआ था।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2016) कि प्रवाहमापी के स्पेसिफिकेशन को तय करने के लिए सीडब्लूपीआरएस को नियुक्त किया गया है जिसकी प्राप्ति होने पर मीटरों को स्थापित किया जाएगा। आगे यह भी कहा गया कि समिति के सुझाव के अनुसार डिजाइन मानकों के आधार पर की गयी गणना के अनुसार, 1 अप्रैल 2016 से वार्षिक 16.24 एमसीएम के लिए जल प्रभार देय होगा जब-तक जल-प्रवाह मीटर की स्थापना नहीं हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कंपनी ने जल संसाधन विभाग के साथ पानी के उपयोग के मामले में निर्दिष्ट नियम और शर्तों को तय करते हुए अनुबन्ध करने में विफल रही थी। इसके अलावा पानी की वास्तविक खपत को मापने के लिए उपकरण की स्थापना नहीं की गई थी।

#### मानव संसाधन प्रबंधन

2.1.12.7 किसी भी संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक उचित मानव संसाधन नीति होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी जनवरी 2014 तक तत्कालीन झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के सेवा नियमों का पालन कर रही थी। हालांकि जेएसईबी को जनवरी 2014 में चार कंपनियों में विभाजित किया गया यद्यपि टीवीएनएल ने अपनी मानव संसाधन नीति तैयार नहीं की। कंपनी ने कोई भी मानव संसाधन नियमावली निर्धारित नहीं की है और कंपनी अपने प्रबंधन के लिए कोई भी संहिताबद्ध नियम-विनियम नहीं तैयार किया है। कंपनी की स्वीकृत मानवशक्ति एवं वास्तविक मानवशक्ति की स्थिति तालिका 2.1.6 में दर्शायी गयी है

टेबल 2.1.6 स्वीकृत मानवशक्ति एवं वास्तविक मानवशक्ति

क्र. स.	कर्मचारियों की श्रेणी	स्वीकृत बल	वास्तविक मानवशक्ति
1	तकनीकी कार्यबल	510	258
2	तकनीकी कार्यबल के अलावा अन्य	162	338
कुल		672	596

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रस्तुत विवरण)

उपरोक्त तालिका से यह पता चलता है कि 31 मार्च 2016 तक कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 672 थी जिसके विरुद्ध वास्तविक तैनात मानवशक्ति 596 थी। तकनीकी मानवशक्ति की 510 स्वीकृत पदों के मुकाबले 258 वास्तविक मानवशक्ति तैनात थी। इस प्रकार 252 तकनीकी श्रेणी के कर्मचारियों की कमी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2016 को विद्युत कार्यपालक अभियंता के सात पद, कनिष्ठ अभियंता के 32 पद और 44 ऑपरेटरों के स्वीकृत पदों में सभी पद रिक्त थे। इसके अलावा लेखा निदेशक और उप-लेखा निदेशक के सभी तीन पद और लेखाकार/लेखा सहायक के सात पद 31 मार्च 2016 तक रिक्त थे। इस प्रकार संयंत्र के महत्वपूर्ण संचालन के लिए और कंपनी के वित्त और लेखा संबंधी कार्य के प्रबंधन के लिए पर्याप्त तकनीकी मानवशक्ति उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, तकनीकी संवर्ग से अलग पदों के लिए स्वीकृत 162 पद के मुकाबले 338 कर्मचारी पदास्थापित थे जिसके कारण 176 कर्मचारी अधिशेष थे।

इस प्रकार कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में कमी थी। तकनीकी संवर्ग में खाली पदों के कारण कंपनी के परिचालन प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था।

कंपनी ने कहा (नवम्बर 2016) कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 462 ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई थी जिनकी भूमि कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गयी थी। आगे यह भी कहा गया कि वित्त विभाग में रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जाएगी।

कंपनी के प्रभावी संचालन के लिए तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा इसका उत्तर कंपनी ने नहीं दिया।

### 2.1.13 क्षमता विस्तार और अन्य परियोजनाएं

#### बिजली संयंत्र का नियोजित क्षमता-विस्तार हासिल नहीं होना

2.1.13.1 टीटीपीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के द्वितीय चरण में 210 मेगावाट की तीन इकाईयों और तृतीय चरण में 500 मेगावाट की एक इकाई की स्थापना के द्वारा अपने क्षमता-विस्तार की परिकल्पना की गई थी। कंपनी ने भवन, संयंत्र और मशीनरी, रेलवे लाईन, रेलवे साइडिंग, स्विचयार्ड और टीले को हटाने के लिए ₹ 359 करोड़ का प्रारंभिक निवेश किया था।

तदनुसार टीवीएनएल ने ₹ 2365 करोड़ की अनुमानित लागत से 210 मेगावाट की तीन इकाईयाँ स्थापित करने के लिए वैश्विक निविदा जारी किया (अगस्त 2003) और न्यूनतम निविदा का चयन किया। पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने नवम्बर 2005 में परियोजना के लिए ₹ 1892 करोड़ कर्ज की स्वीकृति दी। चूँकि टीवीएनएल के मालिकाना हक का मामला न्यायालय में विचाराधीन था, झारखण्ड सरकार ने पीएफसी द्वारा मांगे गए कर्ज के लिए बैंक गारंटी नहीं दिया और निविदा को मई 2009 में रद्द कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने नवम्बर 2011 में संयुक्त उद्यम (जेवी) के जरिए अपने क्षमता-विस्तार की परिकल्पना की थी। हालांकि, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार (अगस्त 2008) मालिकाना मुद्दे पर यथास्थिति बनाए रखना था इसलिए

टीवीएनएल और ऊर्जा विभाग दोनों ने ही नवम्बर 2011 में जेवी के जरिए टीवीएनएल का विस्तार करने के लिए अनुमति हेतु सुप्रीम कोर्ट में अंतरीम आवेदन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीवीएनएल के अंतरीम आवेदन को नवम्बर 2012 में और ऊर्जा विभाग के अंतरीम आवेदन को अगस्त 2014 में अंतरीम आदेश में बिना संशोधन के निपटारा कर दिया गया।

इस बीच कंपनी (मई 2012) ने एक कानूनी राय प्राप्त की, जिसके अनुसार टीवीएनएल अपने स्वयं के द्वारा संयुक्त उद्यम साझेदारों को शामिल किए बिना विस्तार-परियोजना को हाथ में ले सकता था। हालांकि बोर्ड द्वारा इस संबंध में कार्रवाई नहीं की गई जिसके कारण बोर्ड द्वारा टीटीपीएस में स्थापित होने वाली 660 मेगावाट की कोयले की दो सुपर क्रिटिकल इकाई के लिए प्रशासनिक अनुमोदन (दिसम्बर 2015) में विलम्ब हुआ। परियोजना के लिए अनुमानित लागत ₹ 6500 करोड़ थी जिसका वित्त-पोषण कंपनी द्वारा अंश पूँजी के रूप में 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर करना था। हालांकि प्रस्तावित वित्त पोषण के लिए करार अब तक (नवम्बर 2016) नहीं किया गया है। परियोजना के लिए सैद्धांतिक सहमति झारखंड सरकार ने मार्च 2016 में प्रदान की है। इसके कारण सरकार द्वारा इस निर्णय में देरी के कारण टीवीएनएल को क्षमता-विस्तार परियोजनाओं को हाथ में लेने में 2009 से 2015 के दौरान 6 साल की देरी हुई।

इस बीच परियोजना की अनुमानित लागत, जो 2004 में ₹ 2365 करोड़ थी, 2016 में बढ़कर ₹ 6500 करोड़ हो गई।

कंपनी ने टीटीपीएस के स्थापना के 19 वर्ष के बाद भी परिलक्षित क्षमता विस्तार परियोजना को प्रारंभ नहीं किया

इस तरह झारखंड सरकार और कंपनी द्वारा उचित निर्णय लेने में विफलता के कारण टीटीपीएस की कमिश्निंग के 19 साल बीत जाने के बाद भी परिकल्पित क्षमता-विस्तार परियोजना को हाथ में नहीं लिया जा सका।

कंपनी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2016)। निर्गम सम्मेलन के दौरान (नवम्बर 2016) सरकार ने कहा है कि टीटीपीएस के प्रस्तावित विस्तार के लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है और परियोजना सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा का अंतिमीकरण प्रक्रियाधीन है।

वास्तविकता यह है कि योजना-बद्धता में कमी एवं झारखंड सरकार/कंपनी द्वारा निर्णय न लेने के कारण विस्तारीकरण का कार्य टीटीपीएस के चालू होने के 19 साल बाद भी नहीं हो सका। कंपनी का बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी करने में असफल रहने के कारण राज्य को बिजली की कमी में और बढ़ोतरी हुई जिसकी वजह से सस्ती बिजली की उपलब्धता और समग्र करोबारी माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप 'कारोबार करने में सहजता' के मामले में विश्व बैंक द्वारा आकलित जून 2016 की रिपोर्ट में राज्य द्वारा प्राप्त अपना सातवां स्थान कायम रखने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

## कोयला ब्लॉक का विकास

2.1.13.2 कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के क्षमता-विस्तार हेतु ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2003 से 2006 के दौरान कंपनी को तीन कोयला ब्लॉकों<sup>25</sup> का आवंटन किया था। कंपनी ने (जनवरी 2004) बादाम कोयला ब्लॉक के विकास के लिए ईएमटीए (एक निजी कंपनी) के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) अर्थात् तेनुघाट-ईमटा कोल माइंस लिमिटेड का गठन किया। बाद में गोदुलपाड़ा कोल ब्लॉक के विकास के लिए भी इसे सौंपा गया। समझौता के अनुसार कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए पूरा खर्च संयुक्त उद्यम कंपनी के द्वारा किया जाना था। राजबार ई एण्ड डी कोयला ब्लॉक खुद कंपनी के द्वारा विकसित किया जाना था, जिसके लिए अन्वेषण और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट ₹ 9.28 करोड़ के व्यय पर खान एवं भूविज्ञान विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा मई 2012 में पूरा कर लिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी कोयला ब्लॉकों का विकास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार (अगस्त 2014) पूरा नहीं हुआ था और खनन उनके आवंटन के आठ से ग्यारह वर्षों के बाद भी अगस्त 2014 तक शुरू नहीं हुआ था। इसी दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 24 सितम्बर 2014 को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कंपनी के सभी कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया गया।

बाद में कोयला मंत्रालय भारत सरकार, ने (जून 2015) ताप विद्युत संयंत्र के प्रस्तावित विस्तार परियोजना 660 मेगावाट x 2 इकाई के लिए ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोल ब्लॉक (विशेष प्रावधान) दूसरा अध्यादेश, 2014, के अंतर्गत कंपनी को राजबार ई एण्ड डी कोल ब्लॉक को पुनः आवंटित किया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखण्ड सरकार और कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से कोल ब्लॉक के खनन लीज और खनन प्लान का अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। वन विभाग की मंजूरी और पर्यावरण की मंजूरी का आवेदन, जो मई 2016 तक प्रस्तुत किया जाना था, कंपनी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है (नवम्बर 2016)। खनन प्रारंभ करने की अनुमति की स्वीकृति के लिए सीमा (जून 2016) आवंटन के 44 महीने तक थी। इस प्रकार गतिविधियों को पूरा करने में अनुमोदित समय-सूची से 6 महीने पहले ही देर हो चुकी है।

### **मैरी-गो-राउण्ड रेल प्रणाली के चालू होने में देरी**

2.1.13.3 प्लांट के उत्पादन चरण में कोयला, ईंधन तेल और भारी भण्डार सामग्री के परिवहन और निर्माण चरण में घटकों और निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए मैरी-गो-राउण्ड (एमजीआर) रेल प्रणाली स्थापित करने के लिए परियोजना को 1986 में शुरू किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 49.41 करोड़ थी। मेसर्स रेल

<sup>25</sup> बादाम कॉल ब्लॉक, 210 मेगावाट x 3 यूनिट थर्मल पावर प्लांट हेतु जनवरी 2003 में आवंटित था, गोदुलपाड़ा कॉल ब्लॉक जनवरी 2006 में तीसरे चरण के एक 500 मेगावाट यूनिट के विस्तारीकरण के लिए संयुक्त रूप से डीवीसी के साथ आवंटित था तथा राजबार कॉल ब्लॉक 660 मेगावाट x 2 यूनिट थर्मल पावर प्लांट के लिए आगस्त 2006 में आवंटित था।



इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज (राइटस) को परियोजना प्रबंधन-कार्य ₹ 27.06 करोड़ पर सौंपा गया था (सितम्बर 1988)। परियोजना को 30 माह में पूरा करना था। किंतु रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण, कानून और व्यवस्था, निधि की अनुपलब्धता के कारण देरी की वजह से परियोजना-कार्य अनुसूचित अवधि से काफी पीछे था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमजीआर रेल प्रणाली के प्रमुख कार्यों को 2011 में पूर्ण कर लिया गया था। साथ ही एमजीआर रेल प्रणाली के रेलवे ट्रैक में गड़बड़ी का सुधार करने तथा शेष कार्यों को पूरा करने के लिए ₹ 14.25 लाख का कार्यादेश निर्गत किया गया था (जुलाई 2012)। किंतु ठेकेदार द्वारा कार्यादेश को स्वीकार नहीं किया गया। कार्यादेश का मूल्य संशोधित कर ₹ 24.27 लाख तक किया गया (जनवरी 2013) जिसके पश्चात् कार्य जून 2014 में पूर्ण किया गया। आगे कुछ अन्य कार्य जैसे अतिरिक्त बैलेस्ट, फिश प्लेट और बोल्ट आदि उपलब्ध कराने का कार्य रेलवे और राइटस की सलाह पर साइट निरीक्षण के दौरान किया गया (दिसम्बर 2012)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमजीआर रेल प्रणाली के शेष कार्य को पूर्ण करने में दो वर्ष का विलम्ब हुआ और ट्रायल रन के बाद जून 2014 में उपयोग के लिए तैयार हुआ। हालांकि इसके पश्चात् एमजीआर रेल प्रणाली को लागू करने के लिए पूर्वी-मध्य रेलवे के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए 16 माह का अतिरिक्त समय लिया गया (28 अक्टूबर 2015)। एमजीआर रेल प्रणाली पर कुल ₹ 127.81 करोड़ का व्यय हुआ।

कंपनी एमजीआर प्रणाली को निर्धारित समापन समयवधि से 24 वर्ष बाद ₹ 51.34 करोड़ के अतिरिक्त खर्च से कमीशनिंग की गयी।

इस प्रकार एमजीआर प्रणाली की स्थापना अनुमानित लागत से ₹ 51.34 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर निर्धारित तिथि से 24 वर्ष की देरी से की गयी। इस अवधि के दौरान टीटीपीएस के लिए ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति सड़क परिवहन द्वारा उच्च कीमत पर की गई।

कंपनी ने कहा (नवम्बर 2016) कि एमजीआर व्यवस्था में देरी मुख्य रूप से प्रशासनिक कारणों और निधि की कमी के कारण हुई।

अंततः तथ्य यथावत् रह जाता है कि परियोजना का निष्पादन अनियोजित रूप से किया गया एवं इसका कार्यान्वयन उचित तरीके से नहीं हुआ तथा एमजीआर का अधिकांश कार्य पूर्ण होने के बाद भी इसे चालू करने में चार वर्ष का समय लगा एवं व्यय बढ़ा।

#### **एमजीआर प्रणाली के लिए वैगनों की डिलीवरी लेने में विफलता**

2.1.13.4 कंपनी ने ₹ 3.38 करोड़ की कीमत पर एमजीआर रेल प्रणाली के माध्यम से कोयले की ढुलाई के लिए 34 रेल वैगनों की खरीद के लिए सिमको लिमिटेड को एक कार्यादेश (मार्च 1989) दिया था। एमजीआर के निर्माण में देरी होने के कारण वैगनों की डिलीवरी नहीं ली गयी, हालांकि टीवीएनएल, पटना द्वारा मेसर्स सिमको

लिमिटेड को मई 1998 तक ₹ 2.88<sup>26</sup> करोड़ भुगतान किया गया था। लेखा परीक्षा ने पाया कि जून 2012 में किये गये एक समझौते के तहत ₹ 4.13 करोड़ (जून 2012 तक वैगनों के भंडारण प्रभार सहित) सिमको लिमिटेड को वैगन प्राप्त हेतु भुगतान करना था। इस प्रकार, वैगनों की लागत बढ़कर ₹ 7.01 करोड़ (₹ 2.88 करोड़ ₹ 4.13 करोड़ रुपये) हो गयी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तैयार वैगनों का प्रारंभिक निरीक्षण (मई 2013) कंपनी की ओर से मेसर्स राइट्स द्वारा किया गया जिसमें 26 वैगनों में छोटे दोष के अलावे संतोषजनक स्थिति में पाया गया एवं शेष 8 वैगन में कुछ घटकों के नहीं रहने के कारण वे संचालन के लायक नहीं थे। सिमको इन कार्यों को पूरा करने हेतु एक करोड़ की मांग रखी एवं शेष भुगतान के लिए साख पत्र-खोलने का अनुरोध किया। हालांकि भुगतान एवं साखपत्र खोलने की सिमको की मांग अभी तक निदेशक मंडल को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं अभी तक वैगनों की प्राप्ति नहीं हो पायी थी (नवम्बर 2016)। हालांकि, एमजीआर प्रणाली अक्टूबर 2015 से शुरू हो चुकी है। इसतरह, एमजीआर प्रणाली के शुरू होने के पश्चात् भी कंपनी अपने एमजीआर प्रणाली द्वारा कोयला परिवहन हेतु 34 वैगन लेने में असमर्थ रही। परिणामतः परिवहन लागत में बचत से वंचित रहना पड़ा। यह भी पाया गया कि यद्यपि एमजीआर रेल प्रणाली अक्टूबर 2015 में शुरू हो गयी थी किंतु वैगनों की कमी की वजह से अभी भी कोयले की ढुलाई आंशिक रूप से सड़क मार्ग से की जा रही है। हालांकि कंपनी ने 1998 में ₹ 2.88 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान के बावजूद 34 वैगनों की डिलीवरी नहीं ली।

कंपनी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि एमजीआर प्रणाली शुरू नहीं होने की वजह से और वित्तीय मजबूरी के कारण वैगन की डिलीवरी नहीं ली जा सकी थी। आगे यह भी कहा कि वैगनों की डिलीवरी, बकाया भुगतान करने के बाद दिसंबर 2016 तक ली जाएगी।

हालांकि तथ्य रह जाता है कि एमजीआर प्रणाली के चालू होने के एक वर्ष के बाद भी एक भी वैगन नहीं लिया जा सका एवं कंपनी एमजीआर में अपने वैगनों द्वारा इंधन के परिवहन से होने वाली बचत से वंचित रह गई। इसके अलावा ₹ 2.88 करोड़ का वर्तमान मूल्य अभी ₹ 26.59<sup>27</sup> करोड़ हो गया है, इस तरह 34 वैगनों की मूल कीमत ₹ 3.38 करोड़ के मुकाबले में वर्तमान प्रभावी लागत ₹ 30.72<sup>28</sup> करोड़ हो चुकी है।

<sup>26</sup> 30 प्रतिशत अग्रिम शामिल करते हुए - ₹ 0.99 करोड़; 14 वैगनों की लागत - ₹ 1.31 करोड़; मूल्यवृद्धि एवं विनिमय दर परिवर्तन - ₹ 0.54 करोड़ एवं भंडारण प्रभार फरवरी 1998 तक - ₹ 0.04 करोड़।

<sup>27</sup> एसबीआई के प्रधान उधारी दर अनुसार गणनित संबंधित वर्षों का वार्षिक संयोजित ब्याज।

<sup>28</sup> ₹ 26.59 करोड़ (अग्रिम भुगतान किया गया ₹ 2.88 करोड़ का वर्तमान मूल्य) + ₹ 4.13 करोड़ देय।

### 2.1.14 पर्यावरण प्रबंधन

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) पर्यावरण नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य विनियमन एजेंसी है। कंपनी द्वारा विभिन्न पर्यावरण अधिनियम और नियमों के अनुपालन की लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित का पता चला:

#### राख का निपटान

2.1.14.1 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ताप विद्युत केन्द्र (थर्मल पावर स्टेशन) द्वारा सूखी राख का प्रयोग ईटो और अन्य निर्माण कार्यों में करने का निर्देश जारी किया (सितम्बर 1999)। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी (फरवरी 2006) सभी ताप विद्युत केन्द्रों को सूखी राख को जमा करने के लिए एसआईएलओ (सिलो) प्रणाली बनाने का निर्देश जारी किया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने (अप्रैल 2012) कंपनी को सूखी राख के निपटान सहित पर्यावरण मानदण्डों के अनुपालन के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया।

कंपनी ने (सितम्बर 2009) ₹ 30.50 करोड़ की अनुमानित लागत से सिलो प्रणाली के निर्माण के लिए डीपीआर<sup>29</sup> को मंजूरी दी थी। हालांकि प्रशासनिक स्वीकृति बोर्ड के द्वारा सितम्बर-2012 में दी गई लेकिन एनआईटी के लिए अर्हता आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने में देरी होने की वजह से मार्च 2015 में एनआईटी जारी किया गया। निविदा में दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और सबसे कम कीमत वाले प्रस्ताव को ₹ 37.80 में स्वीकार किया गया था। हालांकि टीवीएनएल ने बोलीदाताओं की भागीदारी में कमी का हवाला देते हुए और सबसे कम कीमत की बोली का डीपीआर लागत से 25.57 प्रतिशत अधिक बताते हुए निविदा को रद्द कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मूल्यांकन के बाद निविदा को रद्द करना उचित नहीं था; क्योंकि सबसे कम कीमत अद्यतन डीपीआर लागत से भी कम थी। परिणामस्वरूप सूखी राख-संग्रह प्रणाली को अभी तक स्थापित नहीं किया जा सका। इस प्रकार कंपनी उपरोक्त पर्यावरण मानदंडों का पालन करने में विफल रही।

कंपनी ने कहा (जून 2016) कि सिलो प्रणाली के लिए डीपीआर के आधार पर नये सिरे से निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

तथ्य यही है कि फरवरी 2008 में बोर्ड की सैद्धांतिक मंजूरी से आठ से अधिक वर्ष बीत जाने के बावजूद ड्राई फ्लाइ राख के संग्रह के लिए सिलो प्रणाली का निर्माण-कार्य किया जाना बाकी है।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि टीवीएनएल के वित्त नियंत्रक ने लेखापरीक्षा दल को दिये गये अपने साक्षात्कार में कहा कि (नवम्बर 2016) सिलो प्रणाली सूखी राख को हटाने की मौजूदा व्यवस्था पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए स्थापित किये जाने की जरूरत है।

<sup>29</sup> डीपीआर सलाहकार मेकॉन द्वारा जुलाई 2009 में बनाया गया था।

निदेशक मंडल के अनुमोदन के आठ वर्षों के बाद भी सूखा फ्लाइ राख संग्रहण व्यवस्था स्थापित नहीं किया गया।

### **ऑनलाइन स्टैक एमिसन मॉनीटरिंग सिस्टम और इफल्युएंट क्वालिटी मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित करने में विफलता**

2.1.14.2 ताप विद्युत संयंत्र अत्यधिक प्रदूषण करने वाला उद्योग है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वायु और पानी में पर्यावरणीय प्रदूषण छोड़ता है जिससे हवा और पानी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का गंभीर खतरा रहता है। जेएसपीसीबी ने टीवीएनएल (मार्च 2014) को ऑनलाइन कंटिन्युवस स्टैक इमीशन मॉनीटरिंग सिस्टम एवं ऑनलाइन इफल्युएंट क्वालिटी सिस्टम प्रवाह की गुणवत्ता की निगरानी प्रणाली को स्थापित करने और जेएसपीसीबी/सीपीसीबी के सर्वर से कनेक्ट करने और समयबद्ध तरीके से डाटा अपलोड करने का निर्देश दिया। सीपीसीबी के अध्यक्ष ने (जुलाई 2015) टीटीपीएस के महाप्रबंधक को ऑनलाइन इमीशन और इफल्युएंट मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया और यह कहा कि जवाब न मिलने पर प्लांट बंद कर दिया जाएगा। हालांकि उन निर्देशों का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है (नवंबर 2016)।

कंपनी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि वह ऑनलाइन कंटिन्युवस स्टैक इमीशन मॉनीटरिंग सिस्टम एवं ऑनलाइन इफल्युएंट क्वालिटी सिस्टम की खरीद-प्रक्रिया में लगी हुई थी और इस बीच केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफईआर) डेटा की निगरानी और नियंत्रण करने में मदद कर रही है।

हालांकि तथ्य यह है कि सीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन अब तक नहीं किया गया है (अक्टूबर 2016)।

### **जल प्रदूषण मानदण्डों का पालन करने में विफलता**

2.1.14.3 जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार ताप विद्युत केन्द्रों को जेएसपीसीबी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है जिसके तहत ताप विद्युत केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ जल प्रदूषण की शर्तों एवं अनुबंधों का पालन करने के लिए बाध्य है। मानदण्डों के अनुसार विद्युत केन्द्र से निकले अपशिष्ट में कुल निलंबित ठोस (टीएसएस) की मात्रा 100 मि.ग्रा. प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक 60 महीनों में से 29 महीनों में ताप विद्युत केन्द्रों से निकले अपशिष्ट में टीएसएस की मात्रा मानक से बहुत अधिक थी। टीटीपीएस को मानदण्डों को पूरा करने में असफल रहने के लिए सीपीसीबी/जेएसपीसीबी द्वारा कई कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे। टीएसएस के मानकों से अधिक होने के मुख्य कारण राख हैंडलिंग के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, ऐश पौंड, भरे हुए ऐश स्लरी ले जाने वाले पाइप में रिसाव और दिशा निर्देशों के अनुसार ऐश पौंड क्षेत्र को बनाये रखने में असफलता है।

कंपनी ने कहा (जुलाई 2016) कि टीएसएस की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए उपाय किये गये हैं और उन्हें मानक स्तर के नीचे लाया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान प्रवाह निर्वहन 29 महीने मानक स्तर से अधिक था।

### 2.1.15 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे परिचालन की दक्षता, वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता और लागू किये जाने वाले नियमों और विनियमों के अनुपालन का उचित आश्वासन हेतु बनाया गया है। आंतरिक नियंत्रण और कंपनी की निगरानी प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं।

#### संयंत्र और भंडार एवं पुर्जों का भौतिक सत्यापन

2.1.15.1 संयंत्र और भंडार एवं पुर्जों का भौतिक सत्यापन समय-समय पर आयोजित किये जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातों का अवलोकन किया:

- वर्ष 2011-12 से 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा संयंत्र और भंडार व पुर्जों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। इसके अलावा जनवरी 2016 से मार्च 2016 के दौरान आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त एक चाटर्ड एकाउंटेंट्स फर्म द्वारा भंडार और पुर्जों के भौतिक सत्यापन में ₹ 4.62 करोड़ मूल्य के अनुपयोगी पुर्जों की पहचान हुई।

इसके अलावा भंडार के संयुक्त भौतिक सत्यापन<sup>30</sup> के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 से 18 वर्षों से भी ज्यादा समय से ₹ 5.31 करोड़ मूल्य के 74 कल-पुर्जे<sup>31</sup> अप्रयुक्त पड़े थे। इसमें से ज्यादातर गतकालिक हो गये थे; क्योंकि जिन उपकरणों में इन कल-पुर्जों का इस्तेमाल होना था उनको नये मॉडल के साथ बदल दिया गया था या उन्नयनीकरण कर दिया गया था।

कंपनी ने लेखापरीक्षा के इस अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (अक्टूबर 2016) कि कुछ प्रारंभिक पुर्जे टीटीपीएस की कमिशनिंग के दौरान भेल द्वारा आपूर्ति किये गये थे जो अब गतकालिक हो गये थे लेकिन इनको संशोधित करके इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि अतीत में इन पुर्जों के उपयोग के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

- कंपनी ने अपने कोयला भंडार का भौतिक सत्यापन (मई 2015) किया था। रिपोर्ट के अनुसार कोयले का भंडार 19 मई 2015 को 74,378 एमटी था जबकि कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) के रिकार्ड के अनुसार यह 95,571 एमटी था यानि दोनों के बीच 21,193 एमटी का अंतर था। मौद्रिक संदर्भ में वास्तविक कोयले के भंडार और खाते में दर्ज भंडार के मूल्यों में ₹ 33.23 करोड़ का अन्तर था जिसका समायोजन अभी भी किया जाना है।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की पंजिका, जिसमें संपत्ति की खरीद और लागत, संपत्ति के कमिशनिंग की तारीख एवं स्थान

<sup>30</sup> लेखापरीक्षा दल एवं कंपनी के पदाधिकारियों सहित।

<sup>31</sup> एक लाख मूल्य के प्रति इकाई के दर से अतिरिक्त पुर्जे का मूल्य।

इत्यादि से संबंधित विवरण दर्ज रहता है, तैयार नहीं की थी। स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन भी कंपनी द्वारा अभी (नवम्बर 2016) नहीं किया गया था।

- लेखापरीक्षा ने संयंत्र के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि एक इंटर कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर एवं चार यूनिट ऑक्सीलियरी ट्रांसफार्मर को संयंत्र की स्थापना से अभी तक चालू नहीं किया गया था। यह टिप्पणी प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुच्छेद 2.1.9.3 एवं 2.1.10.1 में की गयी है।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि क्लोरीनेशन प्लांट स्थापना-काल से अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। टीटीपीएस की क्षमता की वृद्धि नहीं होने के कारण एक स्टैकर रिक्लैमर, जिसे सीएचपी में विस्तारित परियोजना के तहत पहुँचाने वाले कोयले का संचालन करने के लिए स्थापित किया गया था, का संचालन नहीं हो रहा था। हैवी फ्यूल ऑयल (एचएफओ) फायरिंग प्रणाली, जिसमें दो 3500 किलो लीटर क्षमता के एचएफओ टैंक शामिल थे, को टीटीपीएस की स्थापना (सितम्बर 1997) के साथ ही स्थापित किया गया था, का उपयोग नहीं हुआ था और संयंत्र में एचएफओ के बदले लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) उपयोग हो रहा था।

कंपनी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि पानी के शोधन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जा रहा है और संयंत्र के संचालन एवं क्षमता पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसी कारण से क्लोरीनेशन प्लांट का प्रयोग नहीं हो रहा है। एचएफओ प्रणाली के उपयोग न होने के संदर्भ में यह बताया गया कि एचएफओ प्रणाली का पूर्ण रूप से कमिश्निंग नहीं हुआ था और यह एलडीओ की तुलना में कम भरोसेमन्द था। इसके रखरखाव पर उच्च लागत एवं उच्च परिवहन लागत को ध्यान में रखते हुए एचएफओ का प्रयोग टीटीपीएस में नहीं किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि कंपनी ने अपनी जरूरत तथा उपयोग का बिना उचित विश्लेषण किये इन निष्क्रिय उपकरणों की खरीद पर भारी धनराशि खर्च की।

### ***टीवीएनएल अध्यक्ष के पद को भरने में विफलता और प्रबंध निदेशक की तदर्थ नियुक्ति***

2.1.15.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी के अध्यक्ष का पद 30 नवम्बर 2016 से पिछले 20 महीनों से खाली पड़ा था। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि कंपनी के प्रबंध निदेशक का पद 17 सितम्बर 2012 को रिक्त हो गया था और जेएसईबी के अध्यक्ष को इस पद का अतिरिक्त प्रभार अंशकालिक आधार पर दिया गया था। झारखण्ड सरकार द्वारा प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए एक खोज तथा चयन समिति का गठन किया गया (11 सितम्बर 2011) जिसने एनटीपीसी के अतिरिक्त महाप्रबंधक को कंपनी का प्रबंध निदेशक (9 मई 2014) नियुक्त किया। इस प्रकार खोज तथा चयन समिति ने कंपनी के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति में 19 महीने लगा दिये जिस अवधि के दौरान जेएसईबी के अध्यक्ष इस पद पर अतिरिक्त प्रभार में अंशकालिक आधार पर पदासीन रहे।

शीर्ष प्रबंधकीय पद का लंबे समय तक खाली रहने तथा अतिरिक्त प्रभार के रूप में अंशकालिक आधार पर भरे जाने से कंपनी के संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

### **निदेशक मंडल का अप्रभावी कार्य**

2.1.15.3 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 285 और कंपनी अधिनियम 2013 (अप्रैल 2014 से लागू) की धारा 173 (1) के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल की कम-से-कम चार बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित करनी आवश्यक है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने 2014-15 में निदेशक मण्डल की केवल एक बैठक आयोजित की और 2015-16 में तीन बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, कोई भी बैठक 11 जुलाई 2014 से 27 जुलाई 2015 की अवधि के दौरान आयोजित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 34.46 करोड़ मूल्य के कोयले की ढुलाई के लिए कार्यादेश का विस्तार अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक द्वारा जारी किया गया, जिसके लिए निदेशक मण्डल की घटनोत्तर स्वीकृति ली गई थी। अतः निदेशक मण्डल की बैठक में देरी के कारण संयंत्र/कंपनी के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक मण्डल के पर्यवेक्षी नियंत्रण के बिना लिया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कंपनी ने (दिसम्बर 2015) कंपनी के प्रस्तावित क्षमता विस्तार की दृष्टि से निदेशक मण्डल में दो अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक यथा निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (वित्त) को शामिल करने का निर्णय लिया है और निदेशकों की नियुक्ति के लिए (जनवरी 2016) झारखण्ड सरकार से अनुरोध किया है।

इसके अलावा निदेशक मण्डल ने (नवम्बर 2013) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के द्वारा बोर्ड में सदस्यों की संख्या बढ़ाने और उन्हें ऑडिट कमेटी के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया था। हालांकि, अतिरिक्त निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति (नवम्बर 2016) अभी तक नहीं की गयी है।

यदि कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई होती तो कंपनी के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दें, जैसे भुगतान सुरक्षा तंत्र के संदर्भ में पीपीए प्रावधानों को लागू करना, अन्य लाइसेंसधारियों को बिजली की बिक्री, जेयूवीएनएल से बकाया राशि की वसूली, इकाइयों के पहले से वांछित पूँजीगत ओवरहॉल का आयोजन, क्षमता-वृद्धि आदि पर ससमय उचित निर्णय लिया जाना संभव हो सकता था।

### **ऑडिट कमेटी**

2.1.15.4 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए के अनुसार प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके पास ₹ पाँच करोड़ से कम चूकता पूँजी नहीं है, को बोर्ड स्तर पर ऑडिट कमेटी का गठन करना आवश्यक है। ऑडिट कमेटी का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन और समीक्षा एवं संदिग्ध धोखाधड़ी, अनियमितताओं और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की

प्रत्येक वर्ष में निदेशक मंडल के न्यूनतम आवश्यक चार बैठक के जगह वर्ष 2014-15 में सिर्फ एक एवं 2015-16 में तीन बैठक हुई।

विफलता से संबंधित आंतरिक जाँच के निष्कर्षों का मूल्यांकन और बोर्ड को इससे अवगत करना होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने अगस्त 2012 में ऑडिट कमेटी गठित की जिसके सदस्य तीन निदेशक थे, यथा, प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग; प्रधान सचिव, वित्त विभाग और अध्यक्ष, जेएसईबी। हालांकि, ऑडिट कमेटी की कोई भी बैठक अगस्त 2012 में इसके गठन के बाद से आयोजित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष, जेएसईबी का पद 7 जनवरी 2014 को जेएसईबी के विघटन के कारण समाप्त हो गया था। चूँकि जेएसईबी, अध्यक्ष की जगह पर कोई भी निदेशक ऑडिट कमेटी के लिए नामांकित नहीं किया गया था, यह तब से निष्क्रिय रहा था।

कंपनी ने कहा (दिसम्बर 2016) कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार टीवीएनएल एक निजी कंपनी है और ऑडिट कमेटी का गठन कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि, कार्पोरेट सुशासन हेतु ऑडिट कमेटी गठित की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कंपनी ने ऑडिट कमेटी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2012 में ऑडिट कमेटी का गठन किया था जिसे कार्यात्मक मानदंडों को पूरा करते हुए क्रियाशील नहीं बनाया गया था। ऑडिट कमेटी के गठन के साथ ही इसकी नियमित बैठकों और प्रभावी कार्यकरण को कंपनी द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

### **अपूर्ण और अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली**

2.1.15.5 कंपनी के पास अपने स्वयं का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ नहीं है और वह कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल भी तैयार नहीं किया था (नवंबर 2016)। आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) को आउटसोर्स<sup>32</sup> किया गया था जिसके कार्य-क्षेत्र में खातों की तैयारी, रोकड़ बही का सत्यापन, भंडारण लेनदेन और अन्य लेखांकन कार्य शामिल थे। हालांकि, संयंत्र के संचालन और रखरखाव, बिजली की बिक्री, उपकरण और सामग्री, ईंधनों की खरीद इत्यादि से संबंधित कंपनी की मुख्य गतिविधियों को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कार्य के दायरे में शामिल नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षकों ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया था जिसका तात्पर्य है कि इस अवधि में कंपनी की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं हुई।

कंपनी ने (अक्टूबर 2016) लेखापरीक्षा का अवलोकन स्वीकार किया था।

ऑडिट दल के द्वारा संचालित साक्षात्कार में वित्त नियंत्रक ने कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ वित्त और अकाउंट्स कैडर में अधिक पदों की स्वीकृति के बाद स्थापित किया जाएगा।

<sup>32</sup> ₹ 5.99 लाख के लागत पर।



### निष्कर्ष:

निष्कर्षतः लेखापरीक्षा का कहना है कि:-

- खराब प्रशासन एवं हितधारकों की उदासीनता के कारण कंपनी अपना कार्य-संचालन किफायती एवं कारगर ढंग से करने में असमर्थ है। नतीजतन, कंपनी का संचित घाटा साल दर साल बढ़ते हुए 31 मार्च 2016 को ₹ 824.53 करोड़ पहुँच गया जिसका मुख्य कारण खराब परिचालन का प्रदर्शन था।
- कंपनी अभी तक कई सालों के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप देने में विफल रही और अपने संसाधनों का बेहतर नियंत्रण करने के अवसर को खो दिया और अंतिमीकृत लेखों के नहीं होने की वजह से लगाये गये दंडात्मक ब्याज आदि जैसे मामलों में जेएसईआरसी के समक्ष गलत प्रस्तुतीकरण होता है और परिणामतः वह कोई प्रतिकूल टैरिफ पारित कर सकता है।
- मूल उपकरण निर्माता (भेल) और परामर्शी (एनटीपीसी) की सिफारिश के अनुरूप आवश्यक एवं सावधिक पूँजीगत/परिचालनीय रखरखाव का संचालन करने में विफल रहने के कारण कंपनी को जेएसईआरसी के सख्त पीएएफ और पीएलएफ मानदंडों पर खरा उतरना मुश्किल था। हांलाकि, इस संबंध में कंपनी ने जेएसईआरसी के समक्ष अपनी कठिनाईयों को अलग से नहीं रखा।
- मरम्मती एवं अनुरक्षण में विफलता के फलस्वरूप नेटवर्क में अनेक ट्रिपिंग एवं रिसाव हुए एवं लंबी अवधि के लिए परिचालन की अनिर्धारित बंदी हुई। परिणामस्वरूप पीएलएफ में गिरावट हुई (₹ 870.78 करोड़ मूल्य के 2809.48 एमयू) और पीएएफ में भी गिरावट आई (₹ 409.10 करोड़ मूल्य के 1490 एमयू) और अधिक सहायक खपत हुई (₹ 56.79 करोड़ मूल्य के 173.80 एमयू) जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन और राजस्व वसूली की हानि हुई।
- राज्य सरकार ने उत्पादक एवं वितरक (जेयूवीएनएल) को एक साथ लाने के लिए एक सामान्य मंच तैयार करने और ₹ 3082.72 करोड़ की बकाया राशि के भुगतान संबंधी विवाद को हल करने के लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण पुनर्भुगतान में चूक हुई और परिहार्य दंडात्मक ब्याज का संकलन हुआ और कंपनी को हानि हुई। राज्य सरकार कंपनी के लिए निर्धारित वित्तीय एवं परिचालन सम्बन्धी लक्ष्य की निगरानी हेतु कम्पनी के साथ आदर्श एमओयू अपनाने में भी विफल रही।
- विद्यमान अनुबन्ध के प्रावधानों के प्रयोग में अनावश्यक संयम के परिणामस्वरूप बिक्री राजस्व की वसूली में अत्यधिक देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकारी ऋण (₹ 665.89 करोड़) पर ब्याज के भुगतान की स्थिति दयनीय रही और ब्याज की रकम ₹ 2181.79 करोड़ तक पहुँच गयी। पुनः ऊँची ब्याज दर (13 प्रतिशत) पर लिये गये सरकारी ऋण पर दंडात्मक एवं अन्य ब्याज ने भी कंपनी के खराब प्रदर्शन में योगदान दिया है।

- कंपनी द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए निहायत जरूरी आवश्यकताओं, जैसे गुणवत्तायुक्त कोयला, परिवहन एवं अपने एमजीआर नेटवर्क के लिए वैगन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। कोयले से बाह्य पदार्थ को पृथक करने, बर्नर की गुणवत्ता में सुधार और उपकरणों की बेहतररी के लिए भी कम्पनी द्वारा पर्याप्त उपाय नहीं किये गये।
- अवसरों की उपलब्धता के बावजूद कम्पनी ने दूसरों तक अपनी बिक्री (50 मेगावाट) का विस्तार करने के अवसरों की उपेक्षा की।
- कंपनी के पास पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति नहीं थी, जिसकी वजह से उसका परिचालन प्रदर्शन प्रभावित हुआ।
- निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की गतिविधियों की प्रभावी निगरानी नहीं की गयी; क्योंकि नियमित रूप से उसकी बैठकें आयोजित नहीं की गईं। इसके अलावे, बोर्ड के कामकाज को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तावित दो कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई।
- कंपनी और राज्य सरकार परिकल्पित क्षमता-विस्तार के लिए समय पर उचित निर्णय लेने में विफल रही और पावर प्लांट की प्रारंभिक कमिशनिंग के 19 वर्षों के बाद भी उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की गयी। बिजली की कमी से ग्रस्त राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने में हुई विफलता के कारण सस्ती बिजली की उपलब्धता कुप्रभावित हुई।

### अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- कंपनी द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के लंबित लेखों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और वित्तीय जवाबदेही में सुधार के लिए उन्हें जल्द से जल्द प्रमाणित कराना चाहिए।
- कंपनी को परिचालन और अनुरक्षण संबंधी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति तत्काल करनी चाहिए। भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता के संरक्षण हेतु विस्तार-कार्य को शीर्ष प्राथमिकता देनी चाहिए; क्योंकि विद्यमान संरचना पहले ही 20 साल पुरानी हो चुकी है।
- कंपनी को सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित कर जेयूवीएनएल से ₹ 3082.72 करोड़ की बकाया राशि की वसूली उचित समय के अंदर करने का प्रयास करना चाहिए। इस समस्या के समाधान के तौर पर सीसीएल जैसी कम्पनी को जेयूवीएनएल के माध्यम से विद्युत आपूर्ति कराकर बकाया राशि के समायोजन का मार्ग निकाला जा सकता है।
- राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा सुझाये गये आदर्श एमओयू को अपनाये ताकि कंपनी के लिए निर्धारित परिचालन और वित्तीय लक्ष्य की निगरानी की जा सके और समय पर पर्याप्त उपचारात्मक उपाय किये जा सकें।

- ऋण एवं ब्याज को अंशपूजी में रूपान्तरित किये जाने हेतु सरकार को कम्पनी के पुनर्गठन-प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने चाहिए अथवा कम्पनी के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अन्य उपायों पर विचार करना चाहिए।
- कंपनी को एक सुनिश्चित समय-सीमा के अन्दर एमजीआर नेटवर्क के लिए आवश्यक संख्या में वैगनों (34) की खरीद सुनिश्चित करनी और कोयला के परिवहन के अन्य साधनों पर निर्भरता को कम करना चाहिए।
- कंपनी को आवश्यक संख्या में कोयला प्रतिचयकों (सैंपलर) की नियुक्ति करनी चाहिए और खरीदे गये कोयला की जाँच ऐसे प्रयोगशालाओं में की जानी चाहिए जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो ताकि किसी तरह के नुकसान एवं विवाद को कम किया जा सके।
- सरकार बोर्ड के कार्य-संचालन को मजबूत बनाने पर विचार करें; उसके लिए अतिरिक्त मानको को लागू करे ताकि वह प्रभावी ढंग से काम करे और बेहतर प्रबंध और नियंत्रण सुनिश्चित करे।
- वार्षिक परिचालन-संसाधनों के अनुमोदन की मांग करते समय कम्पनी और सरकार दोनों नियामक आयोग को इस बात पर सहमत कराने का प्रयत्न करे कि वह इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करे कि कम्पनी के कायाकल्प के लिए काफी समय और अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी।
- सरकार/प्रबंधन द्वारा कंपनी के हित की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और उसे इस बात के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए कि वह राज्य में किफायती और गुणवत्तायुक्त बिजली की आपूर्ति करे और इस प्रकार जून 2016 के विश्व बैंक के आकलन प्रतिवदेन में दर्ज 'इज ऑफ डुइंग बिजनेस' संबंधी झारखण्ड के दर्जे में सुधार के लिए योगदान कर सके।

लेखापरीक्षा में की गई अनुशंसाओं एवं निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग ने आश्वासन दिया (जनवरी 2017) कि रिपोर्ट में उठाये गये मुद्दों पर सरकार समुचित ध्यान देगी और यथोचित समय-सीमा के भीतर उनका समाधान करने की चेष्टा करेगी।

## झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

### 2.2 उच्च विभव सेवाओं के उपभोक्ताओं के संबंध में विपत्तीकरण और राजस्व संग्रह पर लेखापरीक्षा

#### 2.2.1 परिचय

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 18 के अनुसार झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) राज्य में बिजली के उत्पादन, संचरण और वितरण के लिए जिम्मेदार था। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड कार्यात्मक आधार पर 06 जनवरी 2014 को चार उत्तरवर्ती कंपनियों<sup>33</sup> में विखण्डित हो गया। बिजली का वितरण तत्कालीन झारखण्ड राज्य बिजली बोर्ड द्वारा और उसके विखण्डन के बाद झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीभीएनएल) के द्वारा किया जाता था, जिसका उल्लेख आगे कंपनी के रूप में किया गया है।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) ने उच्च विभव सेवा (एचटीएस) उपभोक्ताओं, जिनकी अनुबंधित मांग 100 किलोवोल्ट एम्पीयर (केवीए) या इससे अधिक थी तथा विद्युत इंडक्शन फर्नेस वाले उच्च विभव विशेष सेवा (एचटीएसएस) उपभोक्ताओं, जिनकी अनुबंधित मांग 300 केवीए या इससे अधिक थी, के लिए अलग से प्रशुल्क (टैरिफ) निर्धारित किया जो जनवरी 2004 से प्रभावी था।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में उच्च विभव उपभोक्ताओं को बिजली विक्रय तथा राजस्व वसूली का विवरण तालिका 2.2.1 एवं चार्ट 2.2.1 में वर्णित है:

#### तालिका 2.2.1:

#### 2011-12 से 2015-16 के दौरान बिजली विक्रय, राजस्व वसूली एवं बकायों का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	कुल बिजली विक्रय (एमयू)	6063	6786	6973	7563	9059
2.	सभी उपभोक्ताओं को निर्गत राजस्व बिल (₹ करोड़ में)	2350	2773	2850	3044	3197
3.	एचटी उपभोक्ताओं की संख्या	1358	1420	1429	1472	1526
4.	एचटी उपभोक्ताओं को बिजली विक्रय (एमयू)	2187	2498	2285	2292	3454
5.	एचटी उपभोक्ताओं को बिजली विक्रय का प्रतिशत	36	37	33	30	38
6.	एचटी उपभोक्ताओं को निर्गत राजस्व बिल (₹ करोड़ में)	1296	1406	1038 <sup>34</sup>	1440	1540
7.	एचटी उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया (₹ करोड़ में)	1890	2096	2192	1914	2127
8.	एचटी उपभोक्ताओं से कुल माँग (₹ करोड़ में) = (6+7)	3186	3502	3230	3354	3667
9.	राजस्व प्राप्त (₹ करोड़ में)/(प्रतिशत)	1090 (34)	1310 (37)	1316 (41)	1227 (37)	1425 (39)
10.	वर्ष के अन्त में शेष (₹ करोड़ में) = (8-9)	2096	2192	1914	2127	2242


(कंपनी द्वारा प्रस्तुत डाटा)

<sup>33</sup> झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (होल्टिंग कंपनी), झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड एवं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी)।

<sup>34</sup> जेएसईबी के विभाजन के बाद 2013-14 में कुछ उपभोक्ता संचरण इकाई में स्थानांतरित हो गए थे, पुनः 2014-15 में संचरण इकाई ने सभी उपभोक्ताओं को वितरण इकाई को स्थानांतरित कर दिया था।

चार्ट 2.2.1:

2011-12 से 2015-16 के दौरान विक्रय बिजली, राजस्व प्राप्त एवं बाक्या राशि की स्थिति



उपरोक्त तालिका एवं चार्ट में देखा जा सकता है कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान एचटी उपभोक्ताओं को विक्रय की गई बिजली, कुल बिजली विक्रय का 30 प्रतिशत तथा 38 प्रतिशत के बीच थी तथा एचटी उपभोक्ताओं को निर्गत राजस्व विपत्र, कुल निर्गत राजस्व विपत्र का 36 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के बीच था।

लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया कि क्या जेएसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों के प्रावधानों, समय-समय पर संशोधित जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2005 (जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता) का अनुपालन हुआ। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान 15 विद्युत आपूर्ति अंचलों (अंचल) में से चयनित सात<sup>35</sup> अंचलों तथा कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में अवस्थित मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक एवं राजस्व) के कार्यालय के एचटीएस एवं एचटीएसएस उपभोक्ताओं का बिलिंग और राजस्व-संग्रह की जाँच की गई।

<sup>35</sup> रांची, जमशेदपुर, धनबाद, चाईबासा, देवघर, चास और रामगढ़ अंचल।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष कम्पनी के प्रबंधन तथा सरकार को 27 अगस्त 2016 को निर्गत किया गया। प्रबंधन का जवाब (नवम्बर 2016) प्राप्त हुआ तथा सरकार का जवाब प्रतीक्षित था। कंपनी का जवाब तथा निर्गम सम्मेलन (9 नवम्बर 2016) में सरकार द्वारा अभिव्यक्त विचारों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त ढंग से समाविष्ट किया गया है।

## लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

### 2.2.2 टैरिफ आदेशों के अनुसार अनुबंधित मांग का वर्गीकरण

#### सेवा श्रेणी (टैरिफ) के अनुसार भार पृथकीकरण में विफलता

**2.2.2.1** जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के प्रावधान 3.3.2 के अनुसार, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, टैरिफ के अनुसार सभी सेवा श्रेणी (एचटी और एलटी दरों) का सम्बन्ध आपूर्ति के एक बिन्दु से होगा और प्रत्येक अलग प्रतिष्ठान एवं सेवा श्रेणी (टैरिफ) के लिए अलग आपूर्ति-बिन्दु होगा। आगे, जेएसईआरसी टैरिफ के अनुसार एचटीएसएस टैरिफ उन सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जिनकी अनुबंधित मांग इंडक्शन/आर्क फर्नेस के लिए 300 केवीए या इससे अधिक हो और एचटीएस टैरिफ उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनकी अनुबंधित मांग 100 केवीए से अधिक हो। एचटीएस<sup>36</sup> उपभोक्ताओं का टैरिफ एचटीएसएस<sup>37</sup> उपभोक्ताओं से अधिक है।

तीन<sup>38</sup> अंचलों में अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित मामलों में उपभोक्ताओं को इंडक्शन फर्नेस के भार से अधिक भार स्वीकृत किया गया; परन्तु कंपनी ने एचटीएसएस और एचटीएस टैरिफ को पृथक नहीं किया जिसके फलस्वरूप कंपनी को राजस्व की हानि हुई।

• चाईबासा अंचल के अंतर्गत मेसर्स बालाजी इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या एचएन 24) के पास क्रमशः 5.5 टन एवं छः टन क्षमता वाले दो फर्नेस थे, जिसका सम्बद्ध भार 6900 केवीए था। 6 फरवरी 2010 के प्रभाव से भार घटाकर 4000 केवीए कर दिया गया, क्योंकि 5.5 टन का एक फर्नेस हटाया गया था। एक सरकारी ठेकेदार की जाँच रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे फर्नेस का भार मात्र 2222.22 केवीए था। अतः उपभोक्ता टैरिफ आदेश में अनुमत्त दर से कम दरों पर 1777.78 केवीए भार का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए कर रहा था। तथापि, अधीक्षण अभियंता भार को एचटीएसएस और एचटीएस टैरिफ में पृथक नहीं किया, परिणामतः मार्च 2010 से अप्रैल 2016 के दौरान ₹ 6.72 करोड़<sup>39</sup> राजस्व की हानि हुई।

<sup>36</sup> मई 2010, जुलाई 2011, अगस्त 2012 और जनवरी 2016 से प्रभावी क्रमशः 2010-11, 2011-12, 2012-13 से 2014-15 एवं 2015-16 के लिए लागू इकाई शुल्क ₹ 4.35, ₹ 4.90, ₹ 5.40 और ₹ 5.85 तथा ₹ 165, ₹ 205, ₹ 235 एवं ₹ 255 का नियत प्रभार।

<sup>37</sup> मई 2010, जुलाई 2011, अगस्त 2012 और जनवरी 2016 से प्रभावी क्रमशः 2010-11, 2011-12, 2012-13 से 2014-15 एवं 2015-16 के लिए लागू इकाई शुल्क ₹ 2.50, ₹ 2.85, ₹ 3.25 और ₹ 3.50 तथा ₹ 330, ₹ 370, ₹ 410 एवं ₹ 440 का नियत प्रभार।

<sup>38</sup> चाईबासा, धनबाद एवं रांची अंचल।

<sup>39</sup> एचटीएसएस एवं एचटीएस टैरिफ के अंतर्गत आनुपातिक उपभोग के आधार पर अभिकलित।

लेखापरीक्षा अवलोकन को प्रबंधन ने स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देश दिया कि वह फर्नेस का निरीक्षण करे कि क्या उपभोक्ता 1777.78 केवीए भार का उपयोग अन्य कार्य के लिए कर रहा था। यदि ऐसा है तो भार को पृथक किया जाय।

- विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (वीयूएसएनएफ) ने धनबाद अंचल के एक एचटीएसएस उपभोक्ता मेसर्स ऋद्धि सिद्धि आयरन प्राइवेट लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या- एनआर 540) का भार जून 2010 के प्रभाव से फर्नेस निर्माता के तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार, 8800 केवीए से घटाकर 6471 केवीए करने का आदेश (जनवरी 2011) दिया था। हालाँकि, उपभोक्ता के निवेदन (नवम्बर 2011) पर कि वह 500 केवीए का अन्य भार उपयोग कर रहा था, उसका भार कम करके 7000 केवीए कर दिया गया। उपभोक्ता ने पुनः भार-वृद्धि हेतु आवेदन दिया (मई 2012); क्योंकि वह 2742 केवीए भार का एक और फर्नेस स्थापित कर रहा था।

प्रमण्डल कार्यालय के प्रतिवेदन (फरवरी 2014) के आधार पर उपभोक्ता फर्नेस भार के अतिरिक्त 1000 केवीए भार का उपयोग कर रहा था। अतः उपभोक्ता का भार 10242 केवीए (9242 केवीए<sup>40</sup> + 1000 केवीए) था। प्रमण्डल कार्यालय के प्रतिवेदन पर विचार किए बिना ही विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, धनबाद ने 10242 केवीए के स्थान पर 9742 केवीए का भार ऊर्जान्वित (मार्च 2014) कर दिया। पुनः यह पाया गया कि यद्यपि उपभोक्ता फर्नेस के भार के अतिरिक्त 1000 केवीए भार का उपयोग कर रहा था, अधीक्षण अभियन्ता ने फर्नेस के भार को एचटीएसएस के टैरिफ के अन्तर्गत तथा 1000 केवीए भार को एचटीएस टैरिफ में पृथक नहीं किया, फलस्वरूप जनवरी 2011 से फरवरी 2016 तक ₹ 2.75 करोड़<sup>41</sup> की हानि हुई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और धनबाद अंचल को भार पृथकीकरण के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

- राँची अंचल के अन्तर्गत मेसर्स टी एंड टी मेटल (उपभोक्ता संख्या एच 5180) ने 3600 केवीए से भार घटाकर 2900 केवीए करने का आवेदन (अक्टूबर, 2011) दिया था। भार को घटाने के लिए दिए गए जाँच प्रतिवेदन के अनुसार एक फर्नेस का भार 2940 केवीए का था जबकि अन्य भार 106 केवीए था। तदनुसार 2940 केवीए भार एचटीएसएस टैरिफ के अंतर्गत जबकि 106 केवीए एचटीएस टैरिफ के अंतर्गत भारित होने की अर्हता प्राप्त करता था। जबकि, अधीक्षण अभियन्ता ने फर्नेस के अतिरिक्त उपयोग किये जा रहे 106 केवीए भार को नजरंदाज करते हुए उपभोक्ता के भार को घटाकर (जनवरी 2012) 2940 केवीए कर दिया। अतः 106 केवीए भार को एचटीएस टैरिफ के अंतर्गत भारित नहीं करने से कंपनी को ₹ 37.49 लाख की हानि हुई।

<sup>40</sup> वीयूएसएनएफ के आदेशोपरांत भार 7000 केवीए - 500 केवीए अन्य भार + 2742 केवीए नए फर्नेस का भार = 9242 केवीए।

<sup>41</sup> एचटीएसएस एवं एचटीएस टैरिफ के अंतर्गत आनुपातिक उपभोग के आधार पर अभिकलित।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर, 2016) कि उपभोक्ता की औसत मांग मई 2010 से जुलाई 2011 के बीच केवल 2848 केवीए थी, अतः भार को घटाकर 2940 केवीए किया गया।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि फर्नेस का भार 2940 केवीए था और भार कम करते समय यह नजरंदाज किया गया कि उपभोक्ता अन्य उद्देश्यों के लिए 106 केवीए भार का उपभोग कर रहा था।

- धनबाद अंचल के अंतर्गत मेसर्स सियाराम इंजीनियरिंग एंड कास्टिंग वर्क्स (उपभोक्ता संख्या बीआरडी 597) एचटीएस श्रेणी में 110 केवीए भार पर ऊर्जान्वित (मार्च 2013) हुआ था। उपभोक्ता का भार एचटीएसएस श्रेणी के अंतर्गत बढ़ाकर (दिसम्बर 2013) 310 केवीए कर दिया गया क्यों; कि उपभोक्ता ने एक फर्नेस स्थापित किया था जिसकी क्षमता, निर्माता के तकनीकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर मात्र 250 केवीए थी। टैरिफ आदेश के अनुसार, एचटीएसएस टैरिफ के अंतर्गत एक उपभोक्ता का न्यूनतम भार 300 केवीए होना चाहिए। चूँकि, फर्नेस का भार 300 केवीए से कम था, अतः उपभोक्ता एचटीएसएस टैरिफ के अंतर्गत लाभकारी टैरिफ पाने के योग्य नहीं था। इसके बावजूद, अधीक्षण अभियंता, धनबाद ने विद्युत संबंध एचटीएस टैरिफ के स्थान पर एचटीएसएस टैरिफ के अंतर्गत प्रदान किया, परिणामतः ₹ 5.53 लाख राजस्व की हानि हुई।

कंपनी ने चार एचटीएसएस उपभोक्ताओं का भार एचटीएसएस एवं एचटीएस टैरिफ में पृथक नहीं किया जिससे ₹ 9.90 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया तथा अधीक्षण अभियंता धनबाद को निर्देश दिया कि उक्त उपभोक्ता का टैरिफ बदल दिया जाए।

इस तरह चार उपभोक्ताओं के भार को एचटीएसएस टैरिफ एवं एचटीएस टैरिफ में पृथक नहीं करके अनुचित लाभ पहुँचाया गया तथा कंपनी ने ₹ 9.90 करोड़ की हानि वहन की।

सरकार ने निर्गम सम्मलेन में आश्वस्त (नवम्बर 2016) किया कि भविष्य में विद्युत संबंधों का पृथकीकरण टैरिफ आदेश के अनुसार किया जाएगा तथा कंपनी सेवा श्रेणी (टैरिफ) के अनुसार भार के अपृथकीकरण से हुई हानि की वसूली की संभावनाओं का पता लगाएगी।

### एचटीएसएस उपभोक्ताओं के भार की स्वीकृति में अनियमितता

**2.2.2.2** मई 2010 से प्रभावी, जेएसईआरसी टैरिफ आदेश 2010-11 के अनुसार वैसे सभी उपभोक्ताओं जिनके पास इंडक्शन फर्नेस/आर्क फर्नेस हो तथा जिनकी अनुबंधित मांग 300 केवीए या अधिक हो, को एचटीएसएस टैरिफ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। अनुबंधित मांग का निर्धारण इंडक्शन फर्नेस/आर्क फर्नेस एवं उपस्कर की क्षमता के लिए निर्माता के स्पेसिफिकेशन के आधार पर होगा न कि मापी के आधार पर। यह टैरिफ 500 किलोग्राम या इससे कम गलाने की क्षमता के इंडक्शन फर्नेस वाली कास्टिंग इकाइयों पर लागू नहीं होगा।



लेखापरीक्षा ने पाया कि अधीक्षण अभियंता, चास एवं रामगढ़ ने आठ<sup>42</sup> एचटीएसएस उपभोक्ताओं को उपरोक्त टैरिफ का उल्लंघन करते हुए इंडक्शन फर्नेस/आर्क फर्नेस एवं उपकरणों के निर्माताओं के तकनीकी स्पेसिफिकेशन प्राप्त किए बिना ही विद्युत संबंध प्रदान कर दिया (परिशिष्ट 2.2.1)।

ऐसे मामले जिनमें निर्माताओं के तकनीकी स्पेसिफिकेशन प्राप्त किए बिना ही टैरिफ बदल दिए गए वे निम्न विवेचित हैं:

- मेसर्स अमित स्टील इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या बीआईए 9) एचटीएस टैरिफ के अन्तर्गत 300 केवीए पर विद्युत आपूर्ति प्राप्त (नवम्बर, 2004) कर रहा था। बाद में उपभोक्ता ने कंपनी से आग्रह (अक्टूबर 2010) किया कि उसका टैरिफ, एचटीएस से बदल कर एचटीएसएस टैरिफ कर दिया जाए; क्योंकि उपभोक्ता 500 किलोग्राम के स्थान पर 750 किलोग्राम का इंडक्शन फर्नेस स्थापित करने जा रहा था, तदनुसार एचटीएसएस टैरिफ के अंतर्गत एक करारनामा सम्पादित (नवम्बर 2010) किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपभोक्ता ने न तो पुराने फर्नेस का विखण्डन प्रतिवेदन, नए फर्नेस की स्थापना प्रतिवेदन एवं निर्माता के तकनीकी स्पेसिफिकेशन ही जमा किया और न ही अधीक्षण अभियंता, चास ने टैरिफ के बदलाव के समय इनकी अधियाचना ही की थी। उसकी याचना दो वर्षों के विलम्ब के पश्चात् अक्टूबर 2012 एवं मई 2013 में की गई थी, तथापि उपभोक्ता ने उसे जमा नहीं किया। अतः निर्माता के तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुरूप भार निर्धारण के अभाव में टैरिफ का परिवर्तन कर अधीक्षण अभियंता ने संभवतः उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाया और साथ ही नवम्बर 2010 से मार्च 2016 के दौरान ₹ 28.25 लाख राजस्व की हानि पहुँचायी।

- चास एवं रामगढ़ अंचल के अन्तर्गत मेसर्स रिगल इनगोट प्राइवेट लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या सीएच 14) और मेसर्स नानक फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या आरआरएच 10541) क्रमशः 1400 केवीए, अक्टूबर 2004 से तथा 3000 केवीए, अक्टूबर 2006 से एचटीएस टैरिफ के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे। उपभोक्ताओं ने एचटीएस टैरिफ को बदल कर एचटीएसएस टैरिफ करने का अनुरोध (जून 2010) किया, क्योंकि उनकी इकाइयों में स्थापित आर्क फर्नेस, मई 2010 से प्रभावी टैरिफ आदेश 2010-11 के लागू होने पर एचटीएसएस टैरिफ के अन्तर्गत आ गये थे। तदनुसार कंपनी ने मई 2010 से एचटीएसएस टैरिफ के अन्तर्गत ऊर्जा विपत्र निर्गत करना प्रारंभ कर दिया। हालाँकि, कंपनी ने नए टैरिफ के आधार पर आवश्यक प्रतिभूति राशि की मांग नहीं की थी।

<sup>42</sup> चास अंचल में एक और रामगढ़ अंचल में सात।

पुनः मेसर्स नानक फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड की अनुबंधित माँग बढ़ाकर 3823 केवीए कर दी गयी, क्योंकि उपभोक्ता ने लगातार तीन माह तक अनुबंधित माँग को पार किया था और कम्पनी ने एचटीएसएस दर पर मात्र 823 केवीए की प्रतिभूति राशि जमा लेते हुए एचटीएसएस टैरिफ के अन्तर्गत एक करारनामा सम्पादित (मार्च 2012) किया। चूँकि उपभोक्ता ने एक नया प्लांट स्थापित किया था, अतः भार पुनः बढ़ाकर एचटीएसएस टैरिफ के अन्तर्गत 6200 केवीए कर दिया (जून 2012) गया।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि न तो उपभोक्ताओं ने भार के समर्थन में निर्माता का तकनीकी स्पेसिफिकेशन और फर्नेस की प्रकृति सौपी और न ही अधीक्षण अभियन्ता ने इसकी माँग की। पुनः न तो कंपनी के किसी सक्षम अधिकारी का टैरिफ को एचटीएस से एचटीएसएस टैरिफ में बदलने का आदेश था और न ही इस आशय का कोई करारनामा ही उपलब्ध था। सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ताओं ने एचटीएसएस टैरिफ के लिए उपभोक्ता से बढ़ी हुई प्रतिभूति राशि भी भारित नहीं की थी। किसी आदेश, करारनामे और प्रतिभूति राशि के अभाव में उपभोक्ताओं का टैरिफ नहीं बदलना चाहिए था।

तीन एचटीएस उपभोक्ताओं के टैरिफ का एचटीएसएस टैरिफ में अनियमित परिवर्तन से ₹ 10.27 करोड़ की हानि हुई

इस प्रकार टैरिफ के अनियमित बदलाव के कारण कंपनी को मई 2010 से सितम्बर 2015 तक तथा मई 2010 से फरवरी 2012 के दौरान उपरोक्त दो उपभोक्ताओं के मामले में क्रमशः ₹ 2.77 करोड़ एवं ₹ 6.27 करोड़ राजस्व की हानि हुई। पुनः 23 सितम्बर 2015 को मेसर्स रिगल इंगोट प्रा. लिमिटेड के मामले में विद्युत चोरी की एक घटना उजागर हुई तथा कंपनी ने ₹ 1.44 करोड़ का दंडात्मक शुल्क लगाया। यह दंड एचटीएस टैरिफ के बदले एचटीएसएस टैरिफ के आधार पर लगाया गया तथा प्रभार की रकम ₹ 1.44 करोड़ के बदले ₹ 2.39 करोड़ होनी चाहिए थी। इस प्रकार कंपनी ने ₹ 95.23 लाख का कम दण्डात्मक प्रभार लगाया।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और अभियन्ता, चास एवं रामगढ़ को निर्देश दिया कि वे निर्माता के तकनीकी स्पेसिफिकेशन के बिना संबंध प्रदान करने के कारणों के सन्दर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन सौंपें।

## 2.2.3 जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता का अनुपालन

### भार कम करने में अनियमितता

**2.2.3.1** जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता की धारा 9.2.2 के अनुसार भार में कमी के लिए आवेदन के साथ संशोधनों, विद्युतीय संस्थापनों में सुधार एवं अपनयन (हटाने) के विवरण तथा लाईसेंसधारी विद्युतीय ठेकेदार का प्रमाणपत्र एवं जाँच प्रतिवेदन, भार में कमी का कोई अन्य कारण तथा यदि कोई जनरेटर स्थापित किया गया हो तो उसके विवरण के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्त सुरक्षा अनुमति प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए।

मेसर्स साई केम ट्रांसमेटा प्रा. लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या एचजेएपी 190), जिसकी अनुबंधित माँग 4320 केवीए थी, ने भार कम कर के 2400 केवीए करने का आवेदन (दिसम्बर 2012) दिया। आवेदन किसी लाईसेंसधारी विद्युतीय ठेकेदार के जाँच प्रतिवेदन

के बिना ही जमा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपभोक्ता ने फर्नेस के मात्र दो टन<sup>43</sup> भार को हटाया था, जिसके फलस्वरूप भार मात्र 1200 केवीए कम होना चाहिए था। तथापि अधीक्षण अभियन्ता, जमशेदपुर ने भार घटाकर 2400 केवीए कर दिया।

इस प्रकार, कंपनी ने 720 केवीए भार अनियमित रूप से कम किया, और फरवरी 2013 से मार्च 2016 के दौरान उपभोक्ता को ₹ 43.05 लाख<sup>44</sup> का लाभ दिया गया।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि संबंधित अधिकारियों को उक्त उपभोक्ता के दस्तावेजों की जांच करने को कहा गया है। उन्होंने पुनः कहा कि अनुबंधित माँग से 110 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर दंड का प्रावधान है।

अनुबंधित माँग पार करने पर दंड वसूलने से सम्बंधित उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कंपनी जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी।

### **विद्युत् सम्बन्ध देने/भार-वृद्धि में विलम्ब**

**2.2.3.2** विद्युत् अधिनियम 2003 की धारा 43(3) के अनुसार, प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, किसी परिसर के स्वामी या उसके उपयोगकर्ता द्वारा आवेदन देने पर, उक्त परिसर में विद्युत् आपूर्ति करेगा। जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता की धारा 6.2.11.1 के अनुसार, एचटीएस उपभोक्ता को आवेदन तिथि से अधिकतम 153 दिन के अंदर नया विद्युत् सम्बन्ध देना है। पुनः धारा 9.1.2 के अनुसार, भार-वृद्धि के आवेदन को नई सेवा संबंध के सन्दर्भ में विहित समय-सीमा के अंदर ही सम्पादित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित मामलों में कंपनी ने नया विद्युत् सम्बन्ध देने/भार-वृद्धि करने में विलम्ब किया:

- जमशेदपुर अंचल के अंतर्गत एक एचटीएसएस उपभोक्ता-मेसर्स गजानन फेरो प्राइवेट लिमिटेड (उपभोक्ता सं. डीभीएन 9) ने 5000 केवीए भार पर नया विद्युत् संबंध लेने के लिए आवेदन दिया (जून 2010) था। जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में निर्धारित समयसीमा के अनुसार, विद्युत् संबंध नवम्बर 2010 तक दे दिया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पाया कि भार जून 2010 में स्वीकृत किया गया। जबकि अधीक्षण अभियन्ता, जमशेदपुर ने विद्युत् संबंध को ऊर्जान्वित करने के लिए आवश्यक धालभूमगढ़ जीएसएस में 33 केवी स्तर पर समर्पित फीडर के निर्माण में विलम्ब किया; क्योंकि इसका प्रशासनिक अनुमोदन अगस्त 2011 में प्रदान किया गया तथा कार्यादेश सितम्बर 2011 में जारी किया गया था। अतः समर्पित फीडर के निर्माण में देरी के कारण विद्युत् संबंध (अक्टूबर 2011) 10 माह के विलम्ब से दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़<sup>45</sup> राजस्व की हानि हुई।

<sup>43</sup> एक टन = 600 केवीए।

<sup>44</sup> अनुबंधित माँग के 75 प्रतिशत के आधार पर अभिकलित, 720 केवीए x 0.75 = 540 केवीए x ₹ 235 x 23 माह + 540 केवीए x ₹ 250 x 3 माह = ₹ 4304700

<sup>45</sup> अनुबंधित माँग के 75 प्रतिशत के आधार पर अभिकलित, 5000 केवीए x 0.75 = 3750 केवीए x ₹ 330 x 8 माह + 3750 केवीए x ₹ 370 x 2 माह = ₹ 12675000

पुनः उपभोक्ता ने 5000 केवीए के भार को बढ़ाकर 10500 केवीए करने के लिए आवेदन (जनवरी 2012) किया। जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में निर्धारित समयावधि के अनुसार, विद्युत संबंध जून 2012 तक ऊर्जान्वित हो जाना चाहिए था। कंपनी ने भार स्वीकृत (सितम्बर 2012) करने में साढ़े सात माह का समय लिया। हालाँकि, उपभोक्ता ने प्रतिभूति राशि किस्तों में जमा करने के लिए अनुरोध (सितम्बर 2012) किया, जिसकी अनुमति आवेदन से तीन माह के पश्चात् प्रदान (दिसम्बर 2012) की गई। पुनः यथोचित मीटरिंग यंत्र की अनुपलब्धता के कारण और विलम्ब हुआ तथा मार्च 2013 में ही विद्युत संबंध ऊर्जान्वित हो पाया। यदि कंपनी निर्धारित समय में औपचारिकताओं को पूरा कर लेती तो जुलाई 2012 से फरवरी 2013 के दौरान मांग प्रशुल्क के रूप में ₹ 1.34 करोड़<sup>46</sup> का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करती।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि समर्पित फीडर का निर्माण लोक व्यवधान के कारण विलंबित हुआ तथा भार-वृद्धि एवं किस्तों की अनुमति प्रदान करने में विलम्ब, संभवतः, अपर्याप्त दस्तावेजों के कारण हुआ हो। उन्होंने पुनः कहा कि राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है; क्योंकि उपभोक्ता को मीटर पठन के अनुसार बिल किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि समर्पित फीडर का प्रशासनिक अनुमोदन भार स्वीकृति के चौदह माह के विलम्ब से किया गया था। पुनः अपर्याप्त दस्तावेजों के सन्दर्भ में प्रबंधन का मत स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि उपभोक्ता से भार-वृद्धि के लिए कोई भी अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की गई थी। इसके अलावे यदि कंपनी ने नियत समय में भार स्वीकृत/वृद्धि कर दी होती तो अनुबंधित मांग का 75 प्रतिशत मांग प्रशुल्क के रूप में अर्जित हुआ होता।

• धनबाद अंचल के अंतर्गत एक एचटीएसएस उपभोक्ता, मेसर्स ऋद्धि सिद्धि आयरन प्रा. लिमिटेड (उपभोक्ता सं० एनआर 540) ने 7000 केवीए भार को बढ़ाकर 9500 केवीए करने के लिए आवेदन दिया (मई 2012) था। जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में निर्धारित समयसीमा के अनुसार विद्युत संबंध अक्टूबर 2012 तक ऊर्जान्वित हो जाना चाहिए था। प्रमंडल/अंचल कार्यालय द्वारा संभाव्यता प्रतिवेदन अपूर्ण जमा करने के कारण कंपनी द्वारा 9742 केवीए का भार आवेदन तिथि से 10 माह के विलम्ब से स्वीकृत (मार्च 2013) किया गया। स्वीकृति आदेश (मार्च 2013) के अनुसार उपभोक्ता को प्रतिभूति राशि के रूप में ₹ 68.08 लाख जमा करना था। उपभोक्ता ने प्रतिभूति राशि किस्तों में जमा करने के लिए अनुरोध (मार्च 2013) किया, जिसकी अनुमति आवेदन से पाँच माह के पश्चात् प्रदान (अगस्त 2013) की गई। इस प्रकार कंपनी ने भार स्वीकृति एवं किस्तों में प्रतिभूति राशि के भुगतान का अनुमोदन करने में 15 महीने का समय लिया। यदि

<sup>46</sup> अनुबंधित मांग के 75 प्रतिशत के आधार पर अभिकलित,  $5500 \text{ केवीए} \times 0.75 = 4125 \text{ केवीए} \times ₹ 370 \times 1 \text{ माह} + 4125 \text{ केवीए} \times ₹ 410 \times 7 \text{ माह} = ₹ 13365000$

कंपनी 153 दिनों के निर्धारित समय में औपचारिकताएं पूर्ण कर लेती तो मांग प्रशुल्क के रूप में ₹ 84.34 लाख<sup>47</sup> का न्यूनतम अतिरिक्त राजस्व अर्जित करती।

प्रबंधन ने स्वीकार (नवम्बर 2016) किया कि भार-वृद्धि में देरी संभाव्यता प्रतिवेदन अपूर्ण जमा करने के कारण हुई तथा किस्तों की अनुमति प्रदान करने में विलम्ब, संभवतः, अपर्याप्त कागजातों के कारण हुआ हो। यह भी कहा गया कि कोई राजस्व हानि नहीं हुई; क्योंकि उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति नहीं की गई।

अपर्याप्त दस्तावेज से संबंधित जवाब स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि आवेदन, मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं राजस्व) को अग्रसारित किया गया था, जिन्होंने कोई अन्य दस्तावेज मांगे बिना स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, राजस्व-हानि नहीं होने का मत भी स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि यदि कंपनी भार की स्वीकृति/वृद्धि नियत समय पर कर दी होती तो अनुबंधित मांग का 75 प्रतिशत मांग प्रशुल्क के रूप में अर्जित की होती।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि सरकार ने निर्गम सम्मलेन (नवम्बर 2016) में प्रबंधन को निर्देश दिया कि प्रतिभूति राशि का किस्तों में भुगतान नहीं करने सम्बन्धी मामले को बोर्ड की बैठक में लाया जाए।

• चाईबासा अंचल के अंतर्गत मेसर्स यूरेनियम कारपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया (उपभोक्ता सं० एचटी 76) ने 1000 केवीए भार को बढ़ाकर 2000 केवीए करने के लिए आवेदन दिया (अप्रैल 2012) था। जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में निर्धारित समयसीमा के अनुसार, विद्युत संबंध सितम्बर 2012 तक ऊर्जान्वित हो जाना चाहिए था। उसके लिए संभाव्यता प्रतिवेदन मई 2012 में जमा किया गया था। तथापि, संबंधित ग्रिड सब स्टेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलम्ब के कारण भार स्वीकृति एवं ऊर्जान्वयन (मार्च 2016) 41 महीने की देरी से किया गया। यदि कंपनी जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में निर्धारित 153 दिनों में भार-वृद्धि कर देती तो अक्टूबर 2012 से फरवरी 2016 तक न्यूनतम मांग प्रशुल्क के रूप में अतिरिक्त ₹ 72.56 लाख<sup>48</sup> अर्जित करती।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि संचरण व्यवधानों के कारण भार-वृद्धि में देरी हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि प्रमंडल कार्यालय द्वारा समर्पित संभाव्यता प्रतिवेदन में 40 एमभीए<sup>49</sup> क्षमता के ग्रिड सब स्टेशन के विरुद्ध मात्र 28 एमभीए का भार प्रत्यारोपित था।

• चास अंचल के अंतर्गत सहायक मैकेनिकल इंजिनियर, पेयजल एवं स्वच्छता, मैकेनिकल सब-स्टेशन (उपभोक्ता सं. बीआईए 79) ने 3200 केवीए भार का नया विद्युत

<sup>47</sup> अनुबंधित मांग के 75 प्रतिशत के आधार पर अभिकलित,  $2742 \text{ केवीए} \times 0.75 = 2057 \text{ केवीए} \times ₹ 410 \times 10 \text{ माह} = ₹ 8433700$

<sup>48</sup> अनुबंधित मांग के 75 प्रतिशत के आधार पर अभिकलित,  $1000 \text{ केवीए} \times 0.75 = 750 \text{ केवीए} \times ₹ 235 \times 39 \text{ माह} + 750 \text{ केवीए} \times ₹ 255 \times 2 \text{ माह} = ₹ 7256250$

<sup>49</sup> एक एमवीए = 1000 केवीए।

संबंध लेने के लिए आवेदन (जनवरी 2013) किया था। जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में निर्धारित समयसीमा के अनुसार विद्युत संबंध जून 2013 तक ऊर्जान्वित हो जाना चाहिए था। आवश्यक विद्युत संरचनाओं के निर्माण हेतु डिपोजिट कार्य का प्राक्कलन तथा भार की स्वीकृति (जुलाई 2013) छः माह के पश्चात् किये गये। उपभोक्ता ने कंपनी द्वारा किए जाने वाले डिपोजिट कार्य के लिए ₹ 1.65 करोड़ जमा (अगस्त 2013) किया। परंतु, कंपनी द्वारा संरचनात्मक कार्यों के विलंबित संपादन के कारण, अधीक्षण अभियंता, चास ने उपभोक्ता को मार्च 2015 में विद्युत संबंध दिया। यदि अधीक्षण अभियंता द्वारा 153 दिनों की निर्धारित अवधि के अन्दर विद्युत् संबंध ऊर्जान्वित कर दिया जाता तो जुलाई 2013 से फरवरी 2015 के बीच कुल ₹ 1.13 करोड़<sup>50</sup> का राजस्व अर्जित होता।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (नवम्बर 2016) करते हुए कहा कि ऊर्जान्वयन में विलम्ब संरचनात्मक कार्य के विलंबित संपादन के कारण हुआ।

कंपनी द्वारा पाँच उपभोक्ताओं को नया विद्युत संबंध प्रदान/भार वृद्धि करने में विलंब के कारण ₹ 5.43 करोड़ के राजस्व हानि हुई।

• देवघर अंचल के अंतर्गत, मेसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 990 केवीए भार पर नया विद्युत संबंध लेने के लिए आवेदन (फरवरी 2013) दिया था। जेएसईआरसी विद्युत संहिता में नियत समयानुसार, जुलाई 2013 तक संबंध ऊर्जान्वित हो जाना चाहिए था। भार की स्वीकृति अगस्त 2013 में प्राप्त हुई। हालांकि, संरचनात्मक कार्यों के संपादन में विलम्ब के कारण विद्युत संबंध उपलब्ध करने की नियत तिथि से नौ माह देरी से ऊर्जान्वित (मार्च 2014) किया गया। परिणामतः अगस्त 2013 से फरवरी 2014 के दौरान ₹ 12.22 लाख<sup>51</sup> राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि उपभोक्ता ने विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विलम्ब किया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कंपनी ने भार स्वीकृती एवं किये जाने वाले डिपॉजिट कार्य का प्राक्कलन तैयार करने में छः माह का समय लिया। उपभोक्ता ने 15 दिन के निर्धारित समय-सीमा के अंदर संरचनात्मक कार्य के लिये आवश्यक राशि जमा कर दी थी तथा कार्य की समाप्ति के उपरांत ही विद्युत निरीक्षक का प्रमाण पत्र आवश्यक था। प्रबन्धन को उपर्युक्त मामलों में विद्युत संबंध/भार-वृद्धि में विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

**निम्न विभव औद्योगिक सेवा (एलटीआईएस) संबंध को एचटीएस संबंध में परिवर्तित करने में बिलम्ब**

**2.2.3.3** निम्न दो मामलों में धनबाद एवं रांची अंचल ने एलटीआईएस टैरिफ का एचटीएस टैरिफ में विलंबित परिवर्तन किया।

<sup>50</sup> अनुबंधित मांग के 75 प्रतिशत के आधार पर अभिकलित,  $3200 \text{ केवीए} \times 0.75 = 2400 \text{ केवीए} \times ₹ 235 \times 20 \text{ माह} = ₹ 11280000$

<sup>51</sup> अनुबंधित मांग के 75 प्रतिशत के आधार पर अभिकलित,  $990 \text{ केवीए} \times 0.75 = 743 \text{ केवीए} \times ₹ 235 \times 7 \text{ माह} = ₹ 1222235$

• धनबाद अंचल के अंतर्गत मेसर्स जगधात्री कोक मैनुफैक्चरर (उपभोक्ता सं. जीआरआई 95) ने विद्यमान 105 अश्व शक्ति के निम्न विभव औद्योगिक सेवा संबंध (एलटीआईएस) को एचटीएस टैरिफ के अंतर्गत 130 केवीए के विद्युत संबंध में बदलने का आवेदन (मार्च 2013) दिया था। कतिपय आवश्यक कागजातों, जैसे व्यवसायिक सन्नियम एवं अंतर्नियम, साझेदारी संलेख, परिसर की भूमि का पट्टा, फैक्ट्री लाईसेंस इत्यादि की कमी के कारण भार स्वीकृत (नवम्बर 2013) करने में आठ माह का विलम्ब हुआ। यद्यपि, ये कागजात उपभोक्ता ने एलटीआईएस संबंध लेने के समय जमा किया था। विद्युत संबंध सात माह के विलम्ब से मार्च 2014 में ऊर्जान्वित किया गया, जबकि जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में नियत समयसीमा के अनुसार अगस्त 2013 तक ऊर्जान्वित हो जाना चाहिए था। यदि कंपनी ने नियत समय में विद्युत संबंध का ऊर्जान्वयन एचटीएस टैरिफ के अंतर्गत 130 केवीए में कर दिया होता तो कंपनी ₹ 0.94 लाख<sup>52</sup> का अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर पाती।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और धनबाद अंचल को विद्युत संबंध परिवर्तन में विलम्ब से संबन्धित विस्तृत प्रतिवेदन सौपने का निर्देश दिया।

• एचटी करारनामा की धारा 8 के अनुसार, उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति शुरू होने की तिथि से तीन वर्ष के पहले करारनामा को खत्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा।

मेसर्स शिवा प्रिंट्स प्रा. लिमिटेड, एक एलटीआईएस उपभोक्ता ने 81 अश्व शक्ति के भार को बढ़ाकर एचटीएस टैरिफ के अन्तर्गत 300 केवीए करने का आवेदन (दिसम्बर 2012) दिया था। भार स्वीकृत (जनवरी 2013) किया गया तथा अधीक्षण अभियन्ता, राँची ने उपभोक्ता के साथ करार सम्पादित (मई 2013) किया। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (कार्यपालक अभियन्ता) को विद्युत संबंध ऊर्जान्वित करने का निर्देश (मई 2013) दिया गया, परन्तु कार्यपालक अभियन्ता द्वारा भार-वृद्धि के साथ विद्युत संबंध उपलब्ध नहीं कराया गया। दिसम्बर 2013 में उपभोक्ता ने भार कम करके 200 केवीए करने का अनुरोध किया। अंततः नये करार के पश्चात् विद्युत संबंध घटे हुए 200 केवीए भार के लिए ऊर्जान्वित (मार्च 2015) किया गया। यदि कंपनी ने निर्धारित समय-सीमा अर्थात् मई 2013 तक एचटीएस टैरिफ के अन्तर्गत विद्युत संबंध ऊर्जान्वित कर दिया होता तो कंपनी को ₹ 8.90 लाख का अतिरिक्त राजस्व अर्जित होता।

इस प्रकार दो एलटीआईएस संबंधों का एचटीएस टैरिफ में विलम्ब से परिवर्तन होने के कारण कंपनी को ₹ 9.84 लाख की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, राँची को इस मामले को देखने के लिए एवं विस्तृत प्रतिवेदन सौपने का निर्देश दिया गया है।

<sup>52</sup> एचटीएस टैरिफ के अंतर्गत मांग प्रभार एवं ऊर्जा प्रशुल्क से एलटीआईएस टैरिफ के अंतर्गत पहले ही चार्ज किए गए विद्युत प्रभार घटाने के बाद।

## नया विद्युत संबंध प्रदान करने में अनियमितता

**2.2.3.4** जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता 2005 की धारा 5.5 के अनुसार यदि आवेदक स्वयं या किसी फर्म/कंपनी के नाम से पूर्व में कोई करार किया हो, जिससे वह साझेदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में सम्बंधित हो तथा जिसपर विद्युत मद या अन्य मद में उस परिसर का जिसमें नया विद्युत संबंध वांछित हो, यदि कोई बकाया हो तथा उक्त बकाया लाइसेंसधारी को देय हो, तो उस परिसर पर विद्युत आपूर्ति का आवेदन लाइसेंसधारी द्वारा तब-तक विचारणीय नहीं होगा जब तक लाइसेंसधारी के बकाये का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता।

श्री संतोष कुमार खेतान मेसर्स वैष्णवी स्टील प्रा. लिमिटेड के संस्थापक और उनके भाई श्री कृष्ण कुमार खेतान उसके मुख्य कार्यकारी थे। देवघर अंचल के अंतर्गत, मेसर्स वैष्णवी स्टील प्रा. लिमिटेड (उपभोक्ता सं. 7347 एचटी) की विद्युत आपूर्ति ₹ 36.27 लाख के बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण विच्छेदित (दिसम्बर 2010) कर दी गयी। तदुपरान्त एक नई कंपनी, मेसर्स वैष्णवी मल्टीग्रेन प्रा. लिमिटेड का समामेलन (जनवरी 2011) किया गया जिसमें श्री संतोष कुमार खेतान, श्री कृष्ण कुमार खेतान एवं उनके भाई श्री प्रदीप कुमार खेतान पूर्णकालिक निदेशक थे। श्री प्रदीप कुमार खेतान ने मेसर्स वैष्णवी मल्टीग्रेन प्रा. लिमिटेड की ओर से नए विद्युत संबंध का आवेदन उसी परिसर के लिए दिया जिसपर मेसर्स वैष्णवी स्टील प्रा. लिमिटेड के नाम से बकाया था।

चूँकि कंपनी ने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की, अतः मेसर्स वैष्णवी मल्टीग्रेन प्रा. लिमिटेड (नया उपभोक्ता) ने नया विद्युत संबंध प्रदान कराने हेतु अपने निदेशक श्री प्रदीप कुमार खेतान के मार्फत माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक याचिका रिट याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय ने कंपनी को दस्तावेजों की जाँच करने तथा इस मामले में दो सप्ताह के अन्दर निर्णय लेने का निर्देश (मई 2015) दिया। कंपनी ने दोनों कंपनियों के परिसर एवं भाइयों के मध्य व्यवसायिक सम्बन्धों की जाँच के लिए एक समिति का गठन (नवम्बर 2015) किया। समिति ने सिफारिश (दिसम्बर 2015) की कि परिसर भिन्न है और दोनों भाइयों के मध्य व्यवसायिक हित भी अलग-अलग हैं। तदनुसार, देवघर अंचल के द्वारा मेसर्स वैष्णवी मल्टीग्रेन प्रा. लिमिटेड को नया विद्युत संबंध प्रदान (मार्च 2016) किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समिति की सिफारिश उचित नहीं थी, क्योंकि श्री संतोष कुमार खेतान ने मेसर्स वैष्णवी स्टील प्रा. लिमिटेड के लिए विद्युत संबंध प्लॉट संख्या 484, 485 और 486 पर लिया था और श्री प्रदीप कुमार खेतान ने मेसर्स वैष्णवी मल्टीग्रेन प्रा. लिमिटेड के लिए प्लॉट संख्या 485(भाग) एवं 486 पर अर्थात् एक ही प्लॉट के हिस्से में विद्युत संबंध की मांग की थी। पुनः दोनों भाइयों में व्यवसायिक सम्बन्ध भी थे, क्योंकि श्री संतोष कुमार खेतान मेसर्स वैष्णवी स्टील प्रा. लिमिटेड के संस्थापक भी थे और वे सभी मेसर्स वैष्णवी मल्टीग्रेन प्रा. लिमिटेड में पूर्णकालिक निदेशक भी थे। अतः विद्युत संबंध अनियमित रूप से उपर्युक्त तथ्यों को नजरंदाज करते हुए दिया गया।



प्रबन्धन ने कहा (नवम्बर 2016) कि नया विद्युत संबंध इस बात की पर्याप्त जाँचोपरांत प्रदान किया गया था कि दोनों परिसर भिन्न प्लॉट में थे जो कि झारखण्ड सरकार के अपर महाधिवक्ता की राय के अनुरूप प्रदान किया गया था।

प्रबन्धन का जवाब स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि झारखण्ड सरकार के अपर महाधिवक्ता ने राय दी थी कि विद्युत संबंध केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब याचिकाकर्ता का अपने दोषी भाई के साथ कोई मिलीभगत न हो और भूमि पर उसका स्वामित्व एवं कब्जा उसके दोषी भाई से अलग हो। लेखापरीक्षा विश्लेषण में उजागर हुआ कि श्री संतोष कुमार खेतान ने मेसर्स वैष्णवी स्टील प्रा. लिमिटेड के लिए विद्युत संबंध पूरे परिसर के लिए मांगा था। पुनः मेसर्स वैष्णवी स्टील प्रा. लिमिटेड के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी, वैष्णवी मल्टीग्रेन प्रा. लिमिटेड में पूर्णकालिक निदेशक भी थे।

### जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के विरुद्ध चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार करना

**2.2.3.5** जेएसईआरसी विद्युत संहिता के अनुसार, यदि उपभोक्ता द्वारा दिया गया चेक अनादृत/वापस हो जाए तो इसे भुगतान नहीं किया हुआ समझते हुए लाइसेंसधारी विच्छेदन हेतु कदम उठा सकता है। लाइसेंसधारी, जैसे उपभोक्ता से, जिनका दिया चेक अनादृत/वापस हो गया हो, उनसे उस बिल-माह से जिसमें दिया गया चेक वापस हुआ था, से एक वर्ष तक चेक के द्वारा भुगतान को अस्वीकार कर सकता है। उस वर्ष-विशेष में उपभोक्ता को अपने बिल का भुगतान केवल नगद/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 11 उपभोक्ताओं<sup>53</sup> के ₹ 23.73 करोड़ के 56 चेक बार-बार अनादृत हुए। तथापि, सम्बंधित अंचलों के अधीक्षण अभियंताओं द्वारा जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता का उल्लंघन करते हुए चेक से भुगतान स्वीकार किया जाता रहा।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया तथा कहा कि उक्त प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। पुनः निर्गम सम्मलेन में सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि कंपनी को सम्बंधित उपभोक्ताओं पर केस दर्ज करने एवं स्थानीय समाचार पत्रों में उनका नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। चूक के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है।

<sup>53</sup> मेसर्स माँ तारा इस्पात (प्र) लिमिटेड (डिवीएम 6), मेसर्स सुख सागर प्रा. लिमिटेड (सीकेयू 02), मेसर्स एस एस एगो बायोटेक फ्लोर मिल (बीआरडी 596), मेसर्स ओम शक्ति टेक (एनआर 543), मेसर्स ओर्नेट इस्पात प्रा लिमिटेड (बीआरडी 604), मेसर्स सियाराम इंजीनियरिंग (बीआरडी 597), मेसर्स कुमारधुबी मेटल प्रोसेसिंग इण्ड. (एनआर 552), मेसर्स विनोद कोक इण्ड. (एनआर 553), मेसर्स डिवाइन एलॉयस (एचटी 38), मेसर्स हरिओम कास्टिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड (एचटी 85) और मेसर्स श्रीराम आलॉय (एचटी -38)।

## 2.2.4 विपत्रीकरण एवं वसूली कुशलता

### टैरिफ आदेशों से विचलन

**2.2.4.1** जेएसईआरसी टैरिफ 2011-12, जो जुलाई 2011 से प्रभावी था, के अनुसार विपत्रित मांग उस माह में दर्ज अधिकतम माँग या अनुबंधित मांग का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, वही होगी। यदि लगातार तीन माह तक दर्ज वास्तविक माँग अधिक हो तो आगे के महीनों के विपत्रीकरण हेतु वही नयी अनुबंधित मांग समझी जायेगी और उपभोक्ता को लाइसेंसधारी के साथ संशोधित अनुबंधित मांग के लिए एक नया करारनामा करना होगा।

जेएसईआरसी टैरिफ के अनुरूप 61 उपभोक्ताओं के अनुबंधित मांग में वृद्धि करने में कंपनी विफल रही जिसके कारण ₹ 3.42 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने सात अंचलों की नमूना जाँच में पाया कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान 61 एचटीएस उपभोक्ताओं<sup>54</sup> ने लगातार तीन माह तक अनुबंधित मांग को पार किया। फिर भी, सम्बंधित अधीक्षण अभियंताओं ने अनुबंधित मांग बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, परिणामतः ₹ 3.42 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुबंधित मांग में संशोधन सुनिश्चित करने एवं कम प्राप्त राजस्व की वसूली का निर्देश दिया।

### अतिरिक्त प्रतिभूति राशि वसूल करने में विफलता

**2.2.4.2** जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता के वास्तविक विपत्रीकरण के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रतिभूति की राशि की पुनर्गणना करेगा। उन मामलों में जहाँ उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि वित्तीय वर्ष के लिए अभिकलित प्रतिभूति राशि के 90 प्रतिशत से कम हो तो उपभोक्ता को अपर्याप्त प्रतिभूति राशि को 30 दिनों के अन्दर जमा करने का नोटिस देने का अधिकार लाइसेंसधारी को होगा और यदि उपभोक्ता नियत तिथि/समय में प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका विद्युत संबंध विच्छेदित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने सात अंचलों (परिशिष्ट 2.2.3) के जाँच परीक्षण में पाया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में संबंधित अधीक्षण अभियंताओं ने 62 एचटीएस उपभोक्ताओं<sup>55</sup> से न तो ₹ 54.03 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति राशि की वसूली की और न ही विद्युत संबंध विच्छेदित किया।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और क्षेत्रीय कार्यालयों को अतिरिक्त/अपर्याप्त प्रतिभूति राशि की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया।

<sup>54</sup> जमशेदपुर अंचल में आठ, धनबाद अंचल में तीन, देवघर अंचल में दो, चाईबासा अंचल में पाँच, रांची अंचल में 30, चास अंचल में पाँच तथा रामगढ़ अंचल में आठ।

<sup>55</sup> चाईबासा अंचल में 14, देवघर अंचल में पाँच, धनबाद अंचल में 11, जमशेदपुर अंचल में चार, रांची अंचल में पाँच, चास अंचल में नौ तथा रामगढ़ अंचल में 14

## मीटरों के प्रतिस्थापन/सुधार में विलंब के कारण औसत विपत्रीकरण

**2.2.4.3** जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के अनुसार, जो कि सितम्बर 2015 में संशोधित की गयी थी, यदि किसी उपभोक्ता का मीटर खराब हो और विगत उपभोग विवरण उपलब्ध हो, तो विपत्रीकरण विगत 12 महीनों<sup>56</sup> के औसत उपभोग के आधार पर किया जाएगा। औसत विपत्रीकरण तीन महीनों की अधिकतम अवधि के लिए हो सकता है। इसके अलावा, जेएसईआरसी टैरिफ के अनुसार बिना मीटर के कोई भी विद्युत संबंध प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

चार अंचलों के 31 उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण जेएसईआरसी प्रावधानों के विरुद्ध चार से 240 माह तक औसत आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा ने चार आपूर्ति अंचलों के जाँच परीक्षण में पाया कि 31 एचटीएस उपभोक्ताओं<sup>57</sup> का विपत्रीकरण जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के विपरीत औसत आधार पर चार से 240 माह तक किया गया था जैसा **परिशिष्ट 2.2.4** में बताया गया है। तथापि, इन मामलों में कंपनी खराब मीटरों को निर्धारित समयसीमा के अन्दर बदलने/सुधारने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि कंपनी ने जमशेदपुर अंचल के अंतर्गत महाप्रबंधक आर-एपीडीआरपी, उपभोक्ता संख्या एचजे 79 को 316 केवीए अनुबंधित मांग पर बिना मीटर और करारनामों के विद्युत संबंध प्रदान किया।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाँच अंचलों के जाँच परीक्षण में पुनः पाया कि नौ एचटीएस उपभोक्ताओं<sup>58</sup> के मामले में औसत उपभोग की गलत गणना हुई जिसके कारण ₹ 1.20 करोड़ का राजस्व कम भारित हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.2.5** में विवृत है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (नवम्बर 2016) कि मीटरों की अनुपलब्धता के कारण खराब मीटरों को नहीं बदला जा सका और उन्हें दो से तीन माह में बदल दिया जायेगा। प्रबंधन ने यह भी कहा कि औसत विपत्रीकरण के कारण हुई कम राजस्व की वसूली भी कर ली जाएगी।

## ऊर्जा प्रशुल्क का कम विपत्रीकरण

**2.2.4.4** लेखापरीक्षा ने दो अंचलों से सम्बंधित एचटीएस एवं एचटीएसएस उपभोक्ताओं के ऊर्जा विपत्रीकरण अभिलेखों के जाँच परीक्षण में पाया कि:

- जमशेदपुर अंचल के अंतर्गत एक एचटीएसएस उपभोक्ता मेसर्स सुख सागर (ग्राहक संख्या सीकेयू 2) के मामले में देखा गया कि सितम्बर 2015 से दिसम्बर 2015 के दौरान जमशेदपुर अंचल ने बकाया राशि को खाते में अग्रसारित करते समय ₹ 61.45 लाख से कम कर दिया।
- अक्टूबर 2015 के दौरान, जमशेदपुर अंचल के अंतर्गत एक एचटीएसएस उपभोक्ता-मेसर्स हिमाद्री स्टील प्रा. लि. (ग्राहक संख्या सीकेयू 3) ने 1295640 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया था। जबकि कंपनी ने मात्र 1155600 इकाई का शुल्क लिया था। इस

<sup>56</sup> सितम्बर 2015 से प्रभावी विगत तीन माह के औसत उपभोग के आधार पर।

<sup>57</sup> जमशेदपुर अंचल में नौ, धनबाद अंचल में छः, चाईबासा अंचल में दो तथा रांची अंचल में 14

<sup>58</sup> जमशेदपुर, चाईबासा, चास, रामगढ़, एवं रांची अंचल।

प्रकार जमशेदपुर अंचल ने 140040 इकाईयों का कम प्रभार किया, परिणामतः ₹ 4.55 लाख राजस्व की हानि हुई।

• चाईबासा अंचल ने एक एचटीएसएस उपभोक्ता-मेसर्स एसएसआर स्पॉन्ज (ग्राहक संख्या एचटी 55) से उसके मांग प्रशुल्क का 100 प्रतिशत विपत्र किया था, जिसने अंचल द्वारा विपत्रित पूर्ण विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया परन्तु विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (वीयूएसएनएफ) में केस दायर कर दिया। वीयूएसएनएफ के आदेशानुसार अप्रैल 2007 से अक्टूबर 2010 तक की अवधि का विपत्र संशोधित कर दिया गया। संशोधित विपत्र में अंचल ने नवम्बर 2010 तक ₹ 62.51 लाख का बकाया चार्ज किया। हालाँकि, यह अवलोकन किया गया कि अप्रैल 2007 से नवम्बर 2010 तक का कुल बकाया ₹ 1.01 करोड़ था। इस प्रकार अंचल ने ₹ 38.14 लाख का कम राजस्व चार्ज किया।

प्रबंधन ने मेसर्स हिमाद्री स्टील प्रा.लि. से संबंधित कम विपत्रीकरण को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और बताया कि मेसर्स सुख सागर और मेसर्स एसएसआर स्पॉन्ज के खिलाफ कम विपत्रीकरण नहीं हुआ था।

मेसर्स सुख सागर और मेसर्स एसएसआर स्पंज से संबंधित जवाब स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि कंपनी ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के विरोध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

#### **गलत विपत्रीकरण**

**2.2.4.5** मई 2010 से प्रभावी जेएसईआरसी टैरिफ 2010-11 के अनुसार 11 केवी वोल्टेज स्तर और 75 केडब्लू से अधिक भार पर हाउसिंग कॉलोनियों/आवासीय परिसरों/विशुद्ध रूप से आवासीय उपयोग के लिए बहुमंजिली इमारतों को घरेलू एचटी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मई 2010, जुलाई 2011, अगस्त 2012 और जनवरी 2016 से प्रभावी सम्बंधित वर्षों के टैरिफ आदेशों के अनुसार क्रमशः ₹ 40, ₹ 65, ₹ 75 और ₹ 80 प्रति केवीए प्रतिमाह नियत शुल्क लिया जाना था। इसके अलावा, टैरिफ में घरेलू एचटी उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा गुणांक बढ़ा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा ने 2011-12 से 2015-16 के दौरान पाया कि संबंधित अधीक्षण अभियंताओं ने सात घरेलू एचटी उपभोक्ताओं<sup>59</sup> के संबंध में नियत शुल्क का विपत्रीकरण कम किया और अनियमित ऊर्जा गुणांक बढ़ा प्रदान किया, परिणामतः ₹ 40.15 लाख की राजस्व- हानि हुई।

सात घरेलू एचटी उपभोक्ताओं पर नियत शुल्क का कम प्रभार एवं अनियमित ऊर्जा गुणांक बढ़ा प्रदान करने से ₹ 40.15 लाख की हानि हुई।

<sup>59</sup> धनबाद अंचल के जीएम, जर्दा (उपभोक्ता सं. एमके 1557), सीएमआरआई (उपभोक्ता सं. डीएच 1731), मैक नैली भारत इंजीनियरिंग वर्क्स (उपभोक्ता सं. केडी 521) तथा चीफ इंजीनियर सर्विसेस (उपभोक्ता सं. डीएचएल 1546, 1547), चाईबासा अंचल के बिहार स्पॉन्ज आइरन (प्रा) लिमिटेड (उपभोक्ता सं. एचटी 83) एवं रंगटा माइंस लिमिटेड (उपभोक्ता सं. एचटी 88) और चास अंचल के अंतर्गत वीणा रानी (उपभोक्ता सं. सीएच 20) एवं बिनय कुमार तिवारी (उपभोक्ता सं. बीआईए 56)।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और बताया कि चाईबासा और चास अंचल के उपभोक्ताओं से कम विपत्रित राशि भारत की गई है और अधीक्षण अभियंता, धनबाद अंचल को कम विपत्रित राशि उपभोक्ताओं से यथाशीघ्र वसूलने का निर्देश दिया गया है।

### **उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ**

**2.2.4.6** ऊर्जा विपत्रों की बकाया राशि वसूलने के लिए कंपनी उपभोक्ताओं के अनुरोध पर किस्त की अनुमति देती है। इसके लिए कंपनी और उपभोक्ता के मध्य एक करारनामा किया जाता है। करारनामा की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता को चालू बिल के अलावा बकाया राशि पर 0.4 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से क्षतिपूर्ति शुल्क-राशि के साथ निश्चित किस्त की राशि देनी होती है। यदि उपभोक्ता करारनामा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो कंपनी पूर्ण राशि एक मुश्त वसूल करेगी और उक्त भुगतान में विफल रहने पर आपूर्ति विच्छेदित करने का अधिकारी होगी।

लेखापरीक्षा ने दो अंचलों<sup>60</sup> के जाँच परीक्षण में पाया कि चार एचटीएसएस उपभोक्ता करारनामे की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहे थे। इसके बावजूद, कंपनी ने उपभोक्ताओं के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की और उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- जमशेदपुर अंचल के अधीन मेसर्स माँ तारा इस्पात (प्राइवेट) लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या डीभीएम 6) के अनुरोध पर कंपनी उपभोक्ता के साथ चालू विपत्र की राशि के साथ ₹ 3.53 करोड़ के बकाया राशि ब्याज सहित 20 मासिक किस्तों में भुगतान के लिए एक करारनामा (जुलाई 2013) किया और किस्तों के भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चेक लिया था। उपभोक्ता चालू विपत्र के पूर्ण भुगतान की निर्धारित शर्त को पूरा करने में असफल रहा, लेकिन न तो किस्त की सुविधा वापस ली गई और न ही विद्युत आपूर्ति विच्छेदित की गई। परिणामस्वरूप, बकाया राशि अक्टूबर 2014 में बढ़कर ₹ 10.67 करोड़ हो गई।

हालाँकि, उपभोक्ता के अनुरोध पर कंपनी ने पुनः ब्याज सहित बकाया राशि के साथ चालू विपत्र की राशि को 20 मासिक किस्तों में भुगतान के लिए एक करार (नवम्बर 2014) किया और किस्तों के भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चेक लिया। पुनः दिसम्बर 2014 में ₹ 20.56 लाख का भुगतेय चेक अनादृत हो गया और ग्राहक मौजूदा विपत्र का भी भुगतान करने में असफल रहा, फिर भी, कंपनी ने आपूर्ति विच्छेदित नहीं की और बकाया की राशि अप्रैल 2015 में बढ़कर ₹ 14.06 करोड़ हो गई।

इसके अलावा, उपभोक्ता द्वारा बिजली चोरी का एक मामला प्रकाश में आया और इसकी आपूर्ति विच्छेदित (मई 2015) कर दी गई। साथ ही बिजली चोरी के लिए उपभोक्ता को अलग से ₹ 11.20 करोड़ का दंडात्मक विपत्र निर्गत (जून 2015) किया गया। हालाँकि, अपील पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने बिजली संबंध बहाल करने के लिए

<sup>60</sup> जमशेदपुर एवं चाईबासा अंचल।

₹ 50 लाख का एक एस्करो खाता खोलने और दंडात्मक विपत्र का 50 प्रतिशत (₹ 5.60 करोड़) पाँच मासिक किस्तों में जमा करने का आदेश दिया। तदनुसार उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति बहाल (नवम्बर 2015) कर दी गई। हालाँकि, उपभोक्ता बिजली बहाली की शर्त का पालन करने में विफल रहा और मात्र दो किस्त नियत तिथियों के बाद जमा की और तीसरा किस्त देने में विफल रहा। उपभोक्ता ने चालू विपत्र और बकाये की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जो मार्च 2016 तक बढ़कर ₹ 24.28 करोड़ हो गई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए कदम उठाया जा रहा है।

तथ्य यथावत है कि ऊर्जा बकाया के भुगतान में लगातार विफल रहने के बावजूद भी कंपनी के हितों की रक्षा के लिए अधीक्षण अभियंता, जमशेदपुर ने करारनामे की शर्तों के अनुरूप उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

- जमशेदपुर अंचल के अंतर्गत मेसर्स हिमाद्रि स्टील (प्रा.) लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या सीकेयू 3) का विद्युत संबंध बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण विच्छेदित (14 फरवरी 2015) कर दिया गया था। उपभोक्ता ने ₹ 3.12 करोड़ के बकाये का भुगतान 10 किस्तों में करने का अनुरोध (फरवरी 2015) किया जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके लिए उपभोक्ता के साथ फरवरी 2015 में एक करारनामा किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपभोक्ता ने फरवरी 2015 में ₹ 40 लाख जमा किया, परन्तु उसके बाद चालू विपत्र एवं 21 मार्च 2015 को देय किस्त के भुगतान में उसने चूक की। उपभोक्ता द्वारा करारनामे के उल्लंघन के बावजूद भी अधीक्षण अभियंता, जमशेदपुर ने उपभोक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। परिणामतः मार्च 2016 तक उपभोक्ता से ₹ 4.82 करोड़ बकाये की वसूली लंबित थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (नवंबर 2016) किया और कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए कदम उठाया जा रहा है।

- चाईबासा अंचल के अंतर्गत मेसर्स डिवाइन एलॉय एण्ड पावर कंपनी लिमिटेड, (उपभोक्ता संख्या एचटी 38) ने अप्रैल 2014 एवं मई 2014 के ऊर्जा विपत्रों का भुगतान नहीं किया और 2 जून 2014 को ऊर्जा संबंध विच्छेदित कर दिया गया। उपभोक्ता के आग्रह पर कंपनी ने चालू विपत्र के भुगतान के साथ 1.5 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क के साथ 20 मासिक किस्तों में ₹ 3.30 करोड़ के बकाया के भुगतान हेतु, उपभोक्ता के साथ करारनामा (सितम्बर 2014) किया। तदनुसार, विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। तथापि, इन शर्तों के अनुपालन में उपभोक्ता पुनः असफल रहा और विद्युत आपूर्ति 2 मई 2015 को विच्छेदित कर दी गई। उपभोक्ता ने एक बार फिर किस्त सुविधा का अनुरोध किया और कंपनी ने 25 मासिक किस्तों में ₹ 6.25 करोड़ के भुगतान की अनुमति दे दी। तदनुसार, उपभोक्ता के साथ एक करारनामा किया गया और विद्युत आपूर्ति (जुलाई 2015) पुनः बहाल कर दी गई। करारनामा के अनुसार, उपभोक्ता को किस्तों के भुगतान

के लिए पोस्ट डेटेड चेक सुपुर्द करना था, लेकिन यह पाया गया कि उपभोक्ता किस्तों के भुगतान में पुनः असफल रहा, जो इंगित करता है कि पोस्ट डेटेड चेक नहीं लिया गया था। फिर भी अधीक्षण अभियंता, चाईबासा ने उपभोक्ता के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की और मार्च 2016 तक बकाया राशि बढ़कर ₹ 11.42 करोड़ हो गई।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016 ) कि अंतरीय मांग चार्ज का मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

उपभोक्ता के द्वारा सितम्बर 2014 एवं जुलाई 2015 में सम्पादित करारनामा की शर्तों के उल्लंघन के विरुद्ध अधीक्षण अभियंता, चाईबासा द्वारा कार्रवाई करने में विफलता के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उपभोक्ता ने फरवरी 2016 और मार्च 2016 के किस्तों का भुगतान नहीं किया और जून 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि में ऊर्जा बकायों का या तो भुगतान नहीं किया या आंशिक भुगतान किया।

- चाईबासा अंचल के अर्न्तगत मेसर्स कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या एचटी 40) ऊर्जा विपत्र का आंशिक भुगतान कर रहा था और मई 2014 तक इसका कुल बकाया ₹ 44.49 लाख हो गया था। कंपनी ने उपभोक्ता के साथ एक करारनामा (अगस्त 2014) किया जिसके अनुसार उपभोक्ता को डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ब्याज सहित बकाया राशि तथा चालू विपत्र का भुगतान पाँच मासिक किस्तों में करने की अनुमति दी गई। उपभोक्ता किस्तों के भुगतान में असफल रहा और 31 अक्टूबर 2014 को विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी गई। यद्यपि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता, चाईबासा ने विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल (नवम्बर 2014) कर दी। पुनः उपभोक्ता के आग्रह पर कंपनी ने ₹ 54.50 लाख की बकाया राशि का भुगतान आठ मासिक किस्तों में पोस्ट डेटेड चेकों के माध्यम से करने के लिए एक करारनामा (नवम्बर 2014) किया। उपभोक्ता करारनामा पर कायम नहीं रहा और 27 जनवरी 2015 को विद्युत आपूर्ति पुनः विच्छेदित कर दी गई। परन्तु पुनः तीसरी बार ₹ 1.09 करोड़ बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति प्रदान की गई और कंपनी ने नौ पोस्ट डेटेड चेकों के द्वारा 10 मासिक किस्तों में भुगतान के लिए एक करारनामा (फरवरी 2015) कर लिया। विद्युत आपूर्ति 25 फरवरी 2015 को पुनः बहाल कर दी गई। तथापि, उपभोक्ता ने सिर्फ तीन मासिक किस्तों का पूर्ण एवं दो मासिक किस्तों का आंशिक भुगतान किया जो यह इंगित करता है कि पोस्ट डेटेड चेक नहीं लिये गये थे। परिणामस्वरूप उपभोक्ता किस्त की राशि ₹ 55.99 लाख और विलंब भुगतान अधिभार के ₹ 4.56 लाख के भुगतान में असफल रहा।

करारनामे की शर्तों के अनुरूप अपने विद्युत बकायों के भुगतान में विफल रहने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की।

बारम्बार ऊर्जा शुल्क के भुगतान में विफल रहने के बावजूद अधीक्षण अभियंता, चाईबासा ने उपभोक्ता को ऊर्जा शुल्क की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति दी और इस प्रकार उसे अनुचित लाभ पहुंचाया।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि 25 फरवरी 2015 को विद्युत संबंध बहाल करने के बाद उपभोक्ता ने तीन लगातार किस्तों का भुगतान किया और दो किस्त का आंशिक भुगतान किया। प्रबंधन ने आगे कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आगे की बकाया राशि की वसूली रोक दी गई और विद्युत अधीक्षण अभियंता, चाईबासा ने विलंब भुगतान अधिभार के साथ बकाया राशि उपभोक्ता के मासिक बिल में शामिल करना जारी रखा।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है; क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने जुलाई 2015 में आदेश दिया जबकि उपभोक्ता 11 अगस्त 2014, 28 नवम्बर 2014 और 25 फरवरी 2015 के करारनामा की शर्तों का पालन करने में असफल रहा। इसके बावजूद भी उपभोक्ता के खिलाफ कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया।

#### **बैंक गारंटी के नवीनीकरण में विफलता**

**2.2.4.7** जमशेदपुर अंचल के अंतर्गत, मेसर्स टाटा योदुगावा लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या एचजेएपी 25) को एचटीएस टैरिफ के तहत विद्युत संबंध (जून 1996) प्रदान किया गया था। उपभोक्ता के विरुद्ध जून, 2006 तक विलम्ब भुगतान अधिभार सहित अप्रैल 1999 से दिसम्बर 2003 के दौरान ईंधन अधिभार मद में ₹ 3.72 करोड़ की राशि बकाया थी। इस राशि की वसूली स्थगित रखी गई थी, क्योंकि उपभोक्ता ने ईंधन अधिभार की वसूली के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की थी। उपभोक्ता के आग्रह पर ₹ 3.72 करोड़ की बैंक गारंटी, जिसकी वैधता मार्च 2014 तक थी, जमा करने पर विद्युत संबंध विच्छेदित (मार्च 2013) कर दिया गया था।

बाद में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड ने याचिका रद्द (मई 2015) कर दी। यद्यपि, इस बीच, उपभोक्ता द्वारा दी गई ₹ 3.72 करोड़ की बैंक गारंटी की वैधता मार्च 2014 में समाप्त हो गई और अधीक्षण अभियंता, जमशेदपुर समय पर उसका नवीकरण करवाने में असफल रहा। उपभोक्ता ने सिर्फ ₹ 43.61 लाख का ही भुगतान (जुलाई 2015) किया, यद्यपि कंपनी ने जुलाई 2015 तक के विलम्ब भुगतान अधिभार के साथ ₹ 12.32 करोड़ का एक नया विपत्र निर्गत किया, जिसे उपभोक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

इस प्रकार, बैंक गारंटी की वैधता समाप्त होने से पहले नवीकरण करवाने में अधीक्षण अभियंता, जमशेदपुर की विफलता की वजह से कंपनी ने ₹ 3.28 करोड़ का ईंधन अधिभार वसूल करने का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकार (नवम्बर 2016) किया और अधीक्षण अभियंता, जमशेदपुर को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

#### **कंपनी की निष्क्रियता के कारण हानि**

**2.2.4.8** दो अंचलो के जाँच परीक्षण में संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की निष्क्रियता के कारण हुई हानि की निम्नलिखित घटनाएँ अवलोकित हुईं:



• देवघर अंचल के अन्तर्गत मेसर्स एमपी माइनिंग एण्ड एनर्जी लिमिटेड को एक नया विद्युत संबंध जनवरी 2016 में मेसर्स मेकलियाँड स्टील प्रा. लि. के स्वामित्व वाले परिसर में दिया गया, जिसका विद्युत संबंध ₹ 15.31 लाख की बकाया राशि के कारण विच्छेदित (अगस्त 1990) कर दिया गया था और जिसके लिए कंपनी द्वारा एक सर्टिफिकेट केस<sup>61</sup> (जुलाई 1992) किया गया था। दोषी उपभोक्ता को सितम्बर 2003 में समापन आदेश दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि संपत्ति की बिक्री का विज्ञापन<sup>62</sup> सार्वजनिक रूप से उपलब्ध था तथापि, अधीक्षण अभियंता, देवघर अपने बकाया राशि की वसूली का दावा समापनकर्ता के समक्ष दर्ज कराने में असफल रहा। इस प्रकार कंपनी को ₹ 15.31 लाख की हानि वहन करनी पड़ी।

• धनबाद अंचल के अंतर्गत मेसर्स गजपति फूड प्राइवेट लिमिटेड (उपभोक्ता संख्या बीआरडी 609) को एक नया विद्युत संबंध (मार्च 2015) उसी परिसर में दिया गया जो पूर्व में मेसर्स सरस्वती रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लिमिटेड (एसआरएफएम) (उपभोक्ता संख्या बीआरडी 534) का था और जिसका विद्युत संबंध, ₹ 18.52 लाख की बकाया राशि के कारण विच्छेदित (फरवरी 1995) कर दिया गया था। कंपनी द्वारा एसआरएफएम के खिलाफ एक सर्टिफिकेट केस (फरवरी 1995) दर्ज किया गया था। एसआरएफएम ने बिहार राज्य वित्त निगम (बीएसएफसी) से ऋण लिया था जिसके लिए करारनामा (फरवरी 1989) किया गया था। एसआरएफएम का परिसर बीएसएफसी के पास बंधक था। संपत्ति जब्त करने की सूचना (अगस्त 2006) जारी की गई थी और मालिक के विरुद्ध बॉडी वारंट<sup>63</sup> (नवम्बर 2008) भी निर्गत किया गया था। तथापि, उक्त राशि की वसूली उपभोक्ता से अभी तक नहीं की जा सकी है। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि संपत्ति बिक्री का विज्ञापन प्रकाशित<sup>64</sup> किया गया था, तथापि, अधीक्षण अभियंता, धनबाद अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए बीएसएफसी के समक्ष अपना दावा दर्ज कराने में असफल रहा। इस प्रकार कंपनी को ₹ 18.52 लाख हानि वहन करनी पड़ी।

अतः प्रबंधन द्वारा समय पर बकाये की वसूली की कार्रवाई करने में विफलता के कारण उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 33.83 लाख की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि देवघर एवं धनबाद के अधीक्षण अभियंताओं को इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है।

तथ्य यथावत है कि संबंधित अधीक्षण अभियंता समय पर कार्रवाई में असफल रहे, जिसके कारण कंपनी को हानि हुई।

<sup>61</sup> बकायों की वसूली हेतु बिहार एवं ओड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी अधिनियम, 1914 के अंतर्गत केस दर्ज।

<sup>62</sup> 26 जुलाई 2007 का टाइम्स ऑफ इंडिया और प्रभात खबर।

<sup>63</sup> बॉडी वारंट से अभिप्राय है कि जब तक आरोपी को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत ना किया जाए तब तक कारावास में रखना।


<sup>64</sup> 28 सितंबर 2012 का प्रभात खबर।

### अप्राप्त बकाया

**2.2.4.9** चूँकि ऊर्जा विक्रय से प्राप्त राजस्व ही कंपनी की आय का मुख्य श्रोत है अतः राजस्व की शीघ्र वसूली अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सात<sup>65</sup> अंचलों के जाँच परीक्षण में हमने पाया कि 31 मार्च 2016 तक 873 एचटीएस उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 1487.11 करोड़ का बकाया था। उपरोक्त राशि में से ₹ 449.84 करोड़ 468 विद्यमान उपभोक्ताओं के विरुद्ध बकाया था, ₹ 249.22 करोड़, सर्टिफिकेट केस में 249 उपभोक्ताओं के विरुद्ध लंबित था और ₹ 788.05 करोड़, 156 उपभोक्ताओं के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। इन राशियों से संबंधित मामले विभिन्न न्यायालयों में दो से 34 वर्षों से लंबित थे। निम्नलिखित चार्ट 2.2.2 के द्वारा बकाया राशि की स्थिति को ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है।

**चार्ट 2.2.2: 31 मार्च 2016 को अप्राप्त बकायों की स्थिति**



प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि अप्राप्त बकायों की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

### बकायों की वसूली में कंपनी की विफलता

**2.2.4.10** लेखापरीक्षा ने पुनः अवलोकन किया कि रांची अंचल के अंतर्गत स्पृहा स्टील प्रा. लिमिटेड (उपभोक्ता सं. आरपी 378) के परिसर का निरीक्षण पुलिस उपमहानिरीक्षक, सतर्कता के नेतृत्व में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अन्य अधिकारियों के एक दल द्वारा (अक्टूबर 1999) किया गया और ऊर्जा चोरी के आरोप में विद्युत संबंध विच्छेदित कर

<sup>65</sup> जमशेदपुर, रांची, धनबाद चाईबासा, देवघर, रामगढ़ एवं चास।

दिया गया। ₹ 52.88 करोड़ की राशि का अंतिम विपत्र प्रस्तुत (दिसम्बर 2000) किया गया।

उपभोक्ता ने कंपनी के निर्णय को झारखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया (जुलाई 2003) जिसके अनुसार जेएसईबी के अध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि वे सभी सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं सभी संबंधित दस्तावेजों के आलोक में उपभोक्ता से अभ्यावेदन की पावती के 60 दिन के अन्दर अंतिम निर्णय लें और तदनुसार नया विपत्र निर्गत करें। उपभोक्ता के अभ्यावेदन की तिथि और कंपनी का उत्तर अप्राप्त था। हालाँकि, अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया (नवम्बर 2016)।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2016) कि संचिका खो गयी है, अतः जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है। निर्गम सम्मेलन में सरकार ने कहा (नवम्बर 2016) कि कंपनी को पुनः दस्तावेज तैयार करने एवं अभिलेख पुनर्स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

तथ्य यथावत है कि जेएसईबी अध्यक्ष के निर्णय की अनुपस्थिति में, जो उन्हे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, 60 दिनों के अन्दर लेना था, ₹ 52.88 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हो सकी।

## निष्कर्ष

लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पहुँची कि:

- चार एचटीएसएस उपभोक्ता विद्युत भार का उपयोग इण्डक्सन फर्नेस के अलावे अन्य कार्यों के लिए कर रहे थे; किन्तु कंपनी ने जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के अनुरूप भार को एचटीएसएस और एचटीएस टैरिफ में पृथक नहीं किया और ₹ 9.90 करोड़ की हानि वहन की;
- कंपनी पाँच मामलों में जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में विहित 153 दिनों के अन्दर नया विद्युत संबंध/भार-वृद्धि प्रदान करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ के राजस्व की हानि हुई;
- 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान 61 एचटीएस उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग लगातार तीन महीने तक अनुबंधित मांग से अधिक रही, तथापि कंपनी जेएसईआरसी टैरिफ आदेशों के अनुसार अनुबंधित मांग की वृद्धि करने में असफल रही जिसके कारण ₹ 3.42 करोड़ के राजस्व की हानि हुई;
- जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के अनुसार, कंपनी वास्तविक विपत्र के आधार पर 62 एचटीएस/एचटीएसएस उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के रूप में ₹ 54.03 करोड़ वसूल करने में असफल रही; एवं

- सात अंचलों की नमूना जाँच में पाया गया कि 468 विद्यमान उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 450 करोड़ के बकाया सहित 873 एचटीएस/एचटीएसएस उपभोक्ताओं के विरुद्ध ₹ 1487.11 करोड़ की बड़ी राशि बकाया थी।

### अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि कंपनी को:

- जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार इस प्रतिवेदन में वर्णित मामलों में भार को एचटीएस और एचटीएसएस टैरिफ में पृथक करना चाहिए और सभी एचटीएसएस उपभोक्ताओं के भार की समीक्षा करनी चाहिए;
- जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार, नया विद्युत संबंध/भार-वृद्धि का कार्य पूरा करना चाहिए;
- जेएसईआरसी टैरिफ आदेशों के अनुसार नियमित रूप से अनुबंधित मांग की समीक्षा एवं, जहाँ भी आवश्यक हो, अनुबंधित भार में वृद्धि करनी चाहिए;
- जेएसईआरसी आपूर्ति संहिता के अनुरूप प्रतिभूति राशि की समीक्षा एवं, जहाँ आवश्यक हो, अतिरिक्त प्रतिभूति राशि वसूल करनी चाहिए; और
- अप्राप्त बकायों की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।